

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
IN THE MATTER OF:**

Original Application No. 145/2023/EZ

(Earlier O.A No. 567/2023/PB)

Tribunal on its Own Motion

...Applicant

-Versus-

STATE OF JHARKHAND & ORS.

...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed on behalf of Chief Secretary, Government of Jharkhand.	1 - 22
2.	Verification	23
3.	Annexure – A	24 – 25
4.	Annexure – B	26 – 27
5.	Annexure – C	28 – 29
6.	Annexure – D	30 – 35
7.	Annexure – E	36
8.	Annexure – F	37 – 38
9.	Annexure – G	39 – 41
10.	Annexure – H	42 – 47

11.	Annexure – I	48 – 52
12.	Annexure – J	53 – 59
13.	Annexure – K	60
14.	Annexure – L	61 – 63
15.	Annexure – M	64 – 65
16.	Annexure – N	66 – 68
17.	Annexure – O	69
18.	Annexure – P	70 – 71
19.	Annexure – Q	72 – 125
20.	Annexure – R	126 – 135

AISHWARYA RAJYASHREE

Advocate

Bar Association Room No. 5,

High Tribunal, Calcutta

Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,

Kolkata: 700001.

(M)9874995669

Email: advaish.hc@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 145/2023/EZ

(Earlier O.A No. 567/2023/PB)

Tribunal on its Own Motion

...Applicant

-Versus-

STATE OF JHARKHAND & ORS.

...Respondents

AFFIDAVIT FILED BY CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF JHARKHAND AS PER
DIRECTION OF THE HON'BLE TRIBUNAL DATED 26.04.2024.

LALBIAKTLUANGA KHIANGTE
I, _____, son/daughter of K. THANZAUVA(L), aged
about 59 years, by Religion - Christian, by Occupation - Service under
the State Government of Jharkhand in the office of Chief Secretary,
Government of Jharkhand, having its office at
Project Building, Dhurwa, Ranchi Jharkhand, Pincode -
834004 do hereby solemnly affirm and state as follows:


1. That, I am the Chief Secretary, Government of Jharkhand, and I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions of the applicant in the Original Application as such I am competent to make and affirm the instant Affidavit.



Notarised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 Govt. of
Jharkhand Ranchi (India)

20 AUG 2024

Ref. No. 1147 Date



X

2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.
3. That in pursuance and in compliance to the order dated 26.04.2024 of this Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Affidavit is being filed by Chief Secretary, Government of Jharkhand.
4. That it is most humbly state and submit that the Hon'ble NGT, Eastern Zonal Bench, Kolkata vide its order dated 26.04.2024 in O.A. No. 145/2023/EZ in the matter of Tribunal on its Own Motion -Versus- State of Jharkhand &Ors. has been pleased to pass certain directions. The relevant portion of the said order is as follows :-

" ...13. We also direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand, to file his personal affidavit explaining as to how these constructions have been permitted within the river basin of Subarnarekha river and the what action taken has been taken with reference to the observations and findings made in the Joint Committee Report. ..."

5. That the Hon'ble Tribunal in the said order has been please to observe as follows :-

" ...3. Along with this affidavit, a Joint Committee Report has been filed as Annexure-C (pages 26-44), and in para 2.1.3 under the heading 'Observations of the survey teams' it is stated that physical verification of the structures constructed from the confluence point of Kharkai River and Subarnarekha River from the banks of the river till Kapali area was carried out by Advanced Preliminary Survey Team No.1 along with Zonal Amin, Revenue Sub-Inspector and Zonal Inspector and upon joint inspection it

20 AUG 2024



✕

was found that there are few Pukka Houses and other structures within revenue boundary of river in approximately six wards. It is stated that there were 62 structures such as – Pukka Makan, Asbestos Makan, Pump House, Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall present upto 10 meters from the revenue boundary as well as 134 structures were found to be present from 10-15 meters from revenue boundary as summarized in the Table No.1 (page no.31 of the paper book). However, there were three multi-storeyed buildings constructed beyond 15 meters from the revenue boundary of the river only in two wards, the details of which have been given in the Report.

4. The Report further mentions that a detailed field investigation to verify the presence of construction activities by private individuals starting in foothills of Dalma Range was carried out by the Advance Preliminary Survey Team No.2, which shows presence of kaccha and concrete structures for three zones i.e., 300 meters radius (1453 structures), 300 – 500 meters radius (74 structures) , and 500 meters – 1 kilometer radius (256 structures) in the Eco-Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary.

5. The Report also mentions that there were 78 industries present in the 300 meters – 1 kilometer of the Dalma Range boundary and Asanbani Village of the Dalma Range, found to have maximum number of concrete/non-concrete structures followed by Saharbera and Kanderbera Villages respectively. A table has also been given at page no.32 of the paper book summarizing the same.

20 AUG 2024



X

6. The Report also mentions that there are two industrial units within the Eco-Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary, namely, STP Limited, Pipe Production Products Division and SRG Iron and Steel (P) Ltd. Plant. The Report mentions that STP Limited does not have Environmental Clearance or Consent to Operate and pollution control devices were absent and hazardous materials were transported in open trucks. The said project also lacks authorization for hazardous waste and proper road maintenance. The Jharkhand State Pollution Control Board has instructed the Project Proponent to install air pollution control devices, obtain hazardous waste authorization and clarify the closure timeline.

7. Question is how was this industry functioning in the absence of Environmental Clearance or Consent to Operate?

8. So far as SRG Iron & Steel (P) Ltd. Plant is concerned, the Report mentions that the said Plant does not have Consent to Operate, it lacked water spraying systems and dust control equipment. The Jharkhand State Pollution Control Board issued closure order vide letters dated 13.09.2022 and 07.11.2022 and the Project Proponent has also confirmed the closure vide its letter dated 14.11.2022. The Jharkhand State Pollution Control Board further instructed for closure, dismantling and report of the Slag Screening Plant.

9. We also find that document at page no.34 shows that new structures are coming up with high rise buildings on the banks of Subarnarekha river basin. ..."

6. That it is humbly stated and submitted that for compliance to the said

20 AUG 2024



✕

order dated 26.04.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, a meeting under the chairmanship of the Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur was held on 02.07.2024 and in the Letter No. 233 (A), dated 02.07.2024, it was observed that, in the paragraph no. 3 of the said order dated 26.04.2024 the Hon'ble Tribunal has noted as follows:

"Along with this affidavit, a Joint Committee Report has been filed as Annexure-C (pages 26-44), and in para 2.1.3 under the heading 'Observations of the survey teams' it is stated that physical verification of the structures constructed from the confluence point of Kharkai River and Subarnarekha River from the banks of the river till Kapali area was carried out by Advanced Preliminary Survey Team No. 1 along with Zonal Amin, Revenue Sub-Inspector and Zonal Inspector and upon joint inspection it was found that there are few Pucca Houses and other structures within revenue boundary of river in approximately six wards. It is stated that there were 62 structures such as – Pucca Makan, Asbestos Makan, Pump House, Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall present upto 10 meters from the revenue boundary as well as 134 structures were found to be present from 10-15 meters from revenue boundary as summarized in the Table No.1 (page no.31 of the paper book). However, there were three multi-storeyed buildings constructed beyond 15 meters from the revenue boundary of the river only in two wards, the details of which have been given in the Report."

Therefore, for compliance of the aforesaid, the Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur directed the Circle Officer, Jamshedpur, Circle Officer, Mango, Additional Municipal Commissioner, Mango Municipal Corporation, Jamshedpur and Circle Officer, Chandil to initiate

20 AUG 2024



X

with respect to same within two days.


A Photocopy of the Letter No. 233 (A), dated 02.07.2024 is is annexed herewith and marked as **Annexure A**.

7. That it is humbly stated and submitted that the Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur vide Letter No. 2095/Legal, dated 06.07.2024 informed Secretary, Water Resources Department, Jharkhand, Ranchi, that the Circle Officer, Mango, Circle Officer, Jamshedpur, Circle Officer, Chandil , Additional Municipal Commissioner, Mango Municipal Corporation, Jamshedpur and Divisional Commissioner, Singhbhum, (Kolhan), Chaibasa, to comply the said order dated 26.04.2024.

A Photocopy of the Letter No. 2095/Legal, dated 06.07.2024 of the meeting and the report stating the action taken by the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board is annexed herewith and marked as **Annexure B**.

8. That it humbly stated and submitted that statement related to the action taken in compliance to the order dated 26.04.2024 , Circle Officer, Mango, vide letter dated 13.07.2024 submitted his report, wherein it is stated that 16 persons have been identified by concerned Revenue Sub Inspector, Circle Aminand Circle Inspector, who have encroached upon the government land on the bank of Swarnrekha river in Mango, Ward No. 8 and 10. After investigation, all the 16 encroachers who have encroached upon government land by carrying out illegal construction are booked under the Bihar (Jharkhand) Public Land Encroachment Act,

20 AUG 2024



✕


1956. Also, proceedings have been initiated by issuing notice under section 3 to all the encroachers and they are directed to present their case in the Tribunal of the Circle Officer, Mango by 15.07.2024. The names of all the encroachers were published in local newspaper "Danik Jagran" on 09.08.2024.

Further the Circle Officer, Mango has requested the Sub Divisional Officer, Dhalbhum to correspond with concerned officers/ departments for providing adequate police force and a Magistrate for removing the illegal encroachments, after the stipulated date.

A Photocopy of the Letter dated 13.07.2024 submitted by the Circle Officer, Mango, is annexed herewith and marked as **Annexure C**.

9. That it humbly stated and submitted that statement related to the action taken in compliance to the order dated 26.04.2024, Circle Officer, Jamshedpur, vide letter dated 13.07.2024 submitted his report, wherein it is stated that 145 persons have been identified by concerned Revenue Sub Inspector, Circle Amin and Incharge Circle Inspector, who have encroached upon the government land on the bank of Swarnrekha river in Jamshedpur. After investigation all the 145 encroachers who have encroached upon government land by carrying out illegal construction are booked under the Bihar (Jharkhand) Public Land Encroachment Act 1956. Also, proceedings have been initiated by issuing notice under section 3 of the said Act, to all the encroachers are directed to present their case in the Tribunal of the Circle Officer, Jamshedpur by 20.07.2024. Those encroachers who do not have a valid documents with respect to the ownership over the government land, they will be removed from the

20 AUG 2024



~~X~~

encroached land within 14 days from issue of notice under section 6 (2) of the said Act.

Further, the Circle Officer, Mango has requested the Sub Divisional Officer, Dhalbhum to correspond with concerned officers/ departments for providing adequate police force and a Magistrate for removing the illegal encroachments, after the stipulated date.

A Photocopy of the Letter dated 13.07.2024 submitted by the Circle Officer, Jamshedpur, is annexed herewith and marked as **Annexure D**.

10. That it humbly stated and submitted that statement related to the action taken in compliance to the order dated 26.04.2024, Circle Officer, Chandil, vide letter dated 13.07.2024 submitted his report, wherein it is stated that 2 persons have been identified by concerned Revenue Sub Inspector, Circle Amin and Incharge Circle Inspector, who have encroached upon the government land on the bank of Swarnrekha river in Jamshedpur. They have been noticed under section 3 of the said Act and directed to present their case in the Tribunal of the Circle Officer, Chandil by 22.07.2024. In case the encroachers do not present their case within the stipulated date a second notice will be issued giving another opportunity to present their case within a period of further 7 days. After which a final order shall be passed and the encroachers who do not have a valid documents with respect to the ownership over the government land, they will be removed from the encroached land within 7 days, from issue of notice under section 6 (2) of the said Act.

A Photocopy of the Letter dated 13.07.2024 submitted by the Circle

20 AUG 2024



~~IX~~

Officer, Chandil, is annexed herewith and marked as **Annexure E**.

11. That it humbly stated and submitted that the Additional Municipal Commissioner, Mango Municipal Corporation, Jamshedpur, vide Letter No. 1262, dated 05.07.2024 informed Officer-in-charge, Legal Section, East Singhbhum, Jamshedpur that as per the instruction, the encroachment done over the government land situated on the banks of Swarnrekha river under Mango Municipal Corporation area was investigated by the team constituted by the Circle Officer, Mango wherein it was found that 16 persons have encroached upon the government land on the banks of Swarnrekha river. As such, cases have been filed against all of them and notice under section 3 of the said Act, has been issued against them, and that 15.07.2024 was the date fixed for the encroachers to file their reply. The names of all the encroachers were published in local newspaper "Danik Jagran", "Prabhat Khabar" and "Hindustan" on 13.08.2024.

A Photocopy of the Letter No. 1262, dated 05.07.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure F**.

12. That it humbly stated and submitted that the Administrator, Municipal Council, Kapali, vide Letter No. 814, dated 13.07.2024 informed Officer-in-charge, Legal Section, East Singhbhum, Jamshedpur that 4 persons have encroached upon the government land on the banks of Swarnrekha river and they have been served with notice to demolish the structure constructed over it within 15 days from the receipt of the such notice. The names of all the encroachers were published in local newspaper "Danik Bhaskar" and "Prabhat Khabar" on 08.08.2024.

20 AUG 2024



~~X~~

Further, on not complying to such first notice, a Second notice will be issued for removal of encroachment from the government land, and on not complying to the second notice, a third and final notice shall be issued, and if such non compliance continued, thereafter the said structure will be demolished according to rules.

A Photocopy of the Letter No. 814, dated 13.07.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure G**.

13. That it humbly stated and submitted that under the chairmanship of the Chief Secretary, Jharkhand a meeting was held on 15.07.2024 with Principal Secretary, Forest, Environment and Climate Change, Department, Ranchi, Jharkhand, Sri. Prashant Kumar, Secretary, Water Resources Department, Jharkhand, Commissioner, Kolhan Division, Chaibaa, Deputy Commissioner, East Singhbhum, Deputy Forest Conservator and Area Director, Gaj Project, Jamshedpur, Additional Municipal Commissioner, Mango Municipal Corporation, Jamshedpur, Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Jamshedpur, Executive Officer, Jamshedpur Notified Area Committee, Executive Officer, Kapali Nagar Council and other concerned officers to discuss about the compliance of the order dated 26.04.2024 passed in O.A No. 145/2023/EZ.

In the said meeting the Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur informed regarding the notices being issued to the builders/owners of the buildings standing on the banks of Swarnrekha river.

20 AUG 2024



✂

Further, it was directed that the period of first notice given is ending on 20th July 2024 and as such the instructions were as follows:

- i). Action should be taken as per the rules against the builders /owners of all the constructed structures.
- ii). If the encroacher does not reply to the said notice within the prescribed period then as per natural justice a second notice shall be issued personally and through publication in newspaper by 28.07.2024.
- iii). If the encroacher do not reply within the prescribed period as stated in the said second notice then third notice shall be issued by 12.08.2024 through publication in newspaper.
- iv). If no reply is received from the noticee then a Ex-parte reasoned order is to be passed by 14.09.2024.
- v). If reply is received from the Noticee then after hearing the party a reasoned order is to be passed by 14.10.2024.
- vi). In the reasoned order the party should be given a maximum 15 days' time to remove the encroachment at their own cost.
- vii). If the encroachment is not removed within the next 15 days , action should be taken to remove encroachment as per rule.

A Photocopy of the minutes of the Meeting dated 15.07.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure H**.

14. That it humbly stated and submitted that the Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur vide Letter No. 277 (A), dated 12.08.2024 informed Secretary, Water Resources Department, Ranchi, Jharkhand (the nodal officer), about the action taken with respect to the meeting held under the Chairmanship of the Chief Secretary, Ranchi, Jharkhand

20 AUG 2024



~~X~~

on 15.07.2024, the report is attached with the letter.

A Photocopy of the Letter 277 (A), dated 12.08.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure I**.

15. That it humbly stated and submitted that all the construction which are standing over the banks of Swaranrekha river are illegal constructions as no building permit or any written permission was ever issued. All the illegal constructions which are standing on the government land of banks of the Swaranrekha river will be removed by initiating proceeding under the Jharkhand Public Land Encroachment Act and construction made on the raiyati or private land within 15 meters from the river bank will be removed by initiating proceeding under the Jharkhand Building Bylaws, 2016 and Jharkhand Municipal Act, 2011.
16. That vide order dated 26.04.2024 at paragraph 6 the Hon'ble Tribunal observed that the Joint Committee Report mentions that there are two industrial units falling within the Eco-Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary, namely M/S STP Limited, Pipe Production Products Division and M/S SRG Iron & Steel (P) Limited wherein the **STP Ltd.** does not have Environmental Clearance(EC) or Consent to Operate (CTO) and pollution control devices were absent and hazardous materials were being transported in open trucks. The said project also lacks authorization for hazardous waste and proper road maintenance. As such, JSPCB has instructed the said Project Proponent to install air pollution control devices, obtain hazardous waste authorization and clarify the closure timeline.

20 AUG 2024



✕

Further, at paragraph 8 of the said order dated 26.04.2024 the Hon'ble Tribunal observed that the Joint Committee Report mentions that **M/SSRG Iron & Steel (P) Ltd.** does not have Consent to operate, it lacked water spraying systems and dust control equipment. As such, JSPCB issued closure Order vide letters dated 13.09.2022 and 07.11.2022 which was confirmed by the Project Proponent vide their letter dated 14.11.2022. The apart from closure JSPCB also instructed about dismantling and report of the Slag Screening Plant. Furthermore at paragraph no. 7 of the said order dated 26.04.2024 the Hon'ble Tribunal raised the concern as to how the industrial Units in question were functioning in absence of Environmental Clearance or Consent to Operate?

17. That it is humbly stated and submitted that the factual matrix of the case is that M/S STP Ltd., Dimna Road, Mirzadih, Jamshedpur was granted N.O.C pertaining to pollution from Bihar State Pollution Control Board, Patna vide Memo dated 14.11.1995 for the proposed manufacture of plasticized Pitch, Synthetic Primer. Further, M/S STP Ltd was granted Consent to Operate by Jharkhand State Pollution Control Board vide Memo no. PC/JSR/Air/S/15/02- B-6344 dated 03.12.2012 for the period 01.07.2012 to 30.06.2013 on the conditions as stipulated in the CTO. The conditions mandated at serial no.13,16 and 19 imposes the following:-

"... 13. That he/they shall operate and maintain Effluent Treatment Plant regularly.

16. That he/they shall keep the waste water in close circuit and shall ensure no discharge or seepage of any industrial effluent into the Dimna Nalla.



20 AUG 2024

✕

19. That he/they shall comply the provisions of Hazardous Waste (Management, Handling & Trans-boundary Movement) Rules, 2008 ...”

18. That it is humbly stated and submitted that vide Notification dated March 29, 2012 of Government of India, Ministry of Environment & Forest, the area up to 5 km from the boundary of the protected area of the Dalma Wildlife Sanctuary was declared as Eco-Sensitive Zone. In view of the activities of Industrial Unit M/S STP Ltd. categorized as prohibited in terms of Annexure 3 of the notification. M/S STP Ltd. was issued show cause notice vide Memo No.G-4146 dated 10.11.2014 as to why the Application for further Consent dated 26.05.2014 should not be rejected.

19. The Project Proponent submitted reply which was carefully analyzed and found that it did not satisfy with authentic documents and accordingly, the Competent Authority refused to issue CTO to the Unit vide Memo No.PC/JSR/S-15/02G-4420 Dated 28.11.2014, under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

A Photocopy of Letter no.G-4146 dated 10.11.2014 & G-4420 dated 28.11.2014 are annexed herewith and collectively marked as **ANNAXURE J.**

20. That it is stated and submitted that earlier the project proponent M/S STP Ltd. had preferred Writ Petition W.P.C No.7340 of 2012 before Hon'ble Jharkhand High Tribunal wherein vide Order dated 08.07.2013



20 AUG 2024

✕

the Hon'ble Tribunal was pleased to direct that no coercive steps shall be taken against the petitioner. The said matter is sub-judice and the order passed is still in force.

A Photocopy of order dated 08.07.2013 passed in W.P.C No.7340 of 2012 is annexed herewith and marked **ANNAXURE-K.**

21. That it is further stated and submitted that, M/S STP Ltd has submitted an Affidavit dated 13.06.2024 stating therein that their factory is falling under Eco-Sensitive Zone since 2012 and they were running the plant with Consent to Operate till 2012, and thereafter the plant is running till date as per Order of Hon'ble Jharkhand High Tribunal passed in WPC No.7340 of 2012 which is still pending for adjudication. It has further been affirmed that proposal has been made before the Management for shifting the plant subject to allocation of suitable land by the Government or Compensation thereof.

A Photocopy of the said Affidavit sworn by the unit M/S STP Ltd. dated 13.06.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE L.**

22. That it is humbly stated and submitted that the other project proponent M/S SRG Iron & Steel Pvt. Ltd. Patamda, East Singhbhum was granted No Objection Certificate by the Bihar State Pollution Control Board vide Memo no.T-470 dated 14.12.2000 for setting up a plant to produce phawrah and kudali. The said Unit was later on granted Consent to Operate (CTO) by the Jharkhand State Pollution Control Board vide Memo no. 2402 dated 27.08.2011 for the period 01.04.2011 to



~~IX~~

31.03.2012 on the terms & conditions as stipulated in the CTO. The conditions mandated at serial no.7,8 and 9 imposes the following:-


" ...7.That he/they shall maintain the quality of discharge and (or) emission and (or) and (or) noise level of the environmental pollutants in conformity with the standards as laid down under Rule 3 of the Environment (Protection) Rules,1986.

8. That he/they shall monitor his/their effluent(s), emission(s) and the ambient air, noise level regularly and shall submit the Report to the Board in compliance of the conditions laid in paragraph 7.

9. That he/they shall establish well equipped environmental laboratory with the facilities of system(s) of continuous monitoring of effluent(s),emission(s), ambient water quality(ies), ambient air quality(ies) and ambient noise levels and transfer them to the e-mail address of JSPCB, Central Pollution Control Board, Bhubaneshwar with simultaneous displaying at prominent locations in front of his/their premises. (Unit(s)of medium and large scale under 17 categories of polluting industries of category A of EIA Notification, 2006the provisions of Hazardous Waste (Management, Handling & Trans-boundary Movement) Rules,2008)... "

A Photocopy of letter no.T-470 dated 14.02.2000 of BSPCB, Patna& letter no. 2402dated 27.08.2011 of JSPCB, Ranchi are annexed herewith and collectively marked **ANNEXURE M.**

23.That it is humbly stated and submitted that in view of similar reasons (as in case of M/S STP Ltd.) that the activities of Industrial Unit M/s SRG Iron & Steels Ltd. categorized as prohibited in terms of Annexure 3



20 AUC 2011

~~X~~

of the Dalma Eco-Sensitive Zone notification, M/S SRG Iron & Steel Ltd. was issued notice vide Memo No.463 dated 09.06.2022 of the Regional Officer, Jamshedpur of JSPCB to close down the operation of Plant unit with immediate effect as the Unit in question was also operating without obtaining CTO from the Board. In pursuance thereof the Member Secretary, JSPCB with the approval of the competent authority directed the Project Proponent vide Memo no.B-1886 dated 13.09.2022 to close down the operation of the plant with immediate effect and not to operate the plant without obtaining CTO from the Board.

Further, it is stated and submitted that M/s SRG Iron & Steels Ltd. had submitted letter dated 14.11.2022 regarding closing down the operation of the Unit.

During the inspection by the committee constituted by Hon'ble NGT on 27.01.2024 it was found that the earlier operation of the Unit remains closed down but the said units have further installed & operating slag screening unit in its premises. In the light of above M/S SRG Iron & Steel Ltd. was issued notice vide Memo No.99 dated 30.01.2024 of the Regional Officer, Jamshedpur of JSPCB to close down & dismantle the operation of Slag Screening Unit with immediate effect as the Slag Screening Unit was also operating without obtaining CTO from the Board.

A Photocopy of Memo No.B-1886 dated 13.09.2022 & Memo No. 99 dated 30.01.2024 are annexed herewith and collectively marked as **ANNEXURE N.**



~~X~~

24. That it is further stated and submitted that being aggrieved with the said closure order of the Board, the Project Proponent M/S SRG Iron & Steel Ltd. approached the Hon'ble Jharkhand High Court and preferred a Writ Petition being W.P.C No.732 of 2024 which is presently sub-judice before the Hon'ble Court, but the petitioner unit till date has not been granted any interim relief by the Hon'ble Court.

A Photocopy of Order dated 10.07.2024 Passed in W.P.C No.732 is annexed herewith and marked **ANNEXUREO.**

25. That the following instructions/directions were given in the meeting dated 15.07.2024 at the paragraph 5 and 6 of the proceedings of the said meeting which are as follows:-

" .. 5. Information was given regarding the structures located in the Eco-Sensitive Zone of Dalma Wild Life Sanctuary. It was told by the officials of Forest Environment and Climate Change Department that action in this regard is to be taken by the Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee constituted under Section 3, 4, and 5 of The Environment (Protection), Act, 1986, whose upcoming meeting will be held on July 19, 2024.

(i) After getting information about all the facts in this regard, the Monitoring Committee will inform all the concerned parties personally and through newspapers under Section 5 by 26th July 2024 through Notice.



20 AUG 2024

~~X~~

(ii) Thereafter, keeping a gap of 15 days, as per rules, the second and third notices are to be issued individually and through newspapers on 10.08.2024 and 27.08.2024 respectively.

(iii) After reviewing the information received by the Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee from various persons in 13 references to the parties, taking action as per the rules, it should be ensured that a case is filed in the Tribunal of the Chief Judicial Magistrate within 90 days i.e. by 26.10.2024.

6. Other instructions:-

The action being taken by the EcoSensitive Zone Monitoring Committee will be monitored by the Principal Secretary, Forest Environment and Climate Change Department, Ranchi. ..."

26. That is further stated and submitted that in the light of the above directives given by Chief Secretary, Jharkhand Government, it was decided in the meeting of the Monitoring Committee of Dalma Eco Sensitive Zone on 22.07.2024, under the chairmanship of Divisional Commissioner-cum-Chairman, Monitoring Committee, Eco Sensitive Zone, Dalma Wildlife Sanctuary, Dalma Eco Sensitive Zone to issue notices in the name of the occupier/landowner/guardian of the structures located in Dalma ESZ by the Member Secretary, Monitoring Committee, Dalma ESZ under Section 19 (B) of the Environment (Protection) Act, 1986 and Notification No. S.O. 680(A) dated 29.03.2012 of Eco Sensitive Zone.

20 AUG 2024



✕

A Photo copy of meeting proceeding of Monitoring Committee dated 22.07.24 annexed herewith and marked as **ANNAXURE P.**

27. That it is further stated and submitted that in this context, notice has been issued to 650 structure owners/occupiers/ guardians etc. by way of various letters and newspaper publications setting out the date of phased hearing, and second notice has been issued to 123 owners, out of which 114 structure owners/occupiers/ guardians have registered their presence for the hearing on several dates which are 07.08.2024, 08.08.2024, 10.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, 16.08.2024 and 17.08.2024.

A Photo copy of notices published in newspapers are annexed herewith and collectively marked **ANNAXURE Q.**

28. That it is further stated that in the light of the above directive, action is being taken to issue notices to the remaining structure owners/occupiers/guardians.

29. That it is further stated and submitted that Deputy Conservator of Forest & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur and XLRI, Jamshedpur has signed an agreement to prepare the Zonal Master plan (ZMP) of Dalma Ecosensitive Zone (ESZ). Moreover, it is further submitted that the overall objective of the project is to develop a Zonal Master Plan (ZMP) for the ESZ of Dalma wildlife sanctuary. The ZMP will strive to strike a balance between the ecological security of Dalma Wild Life Sanctuary, the economic development and social well-being to



~~X~~

fulfill the aspirations of the local stakeholders while leading to Sustainable Development in the region.

A Photocopy of agreement for preparation of Zonal Master Plan (ZMP) is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R**.

30. Further, every possible actions is taken and monitoring done on regular basis so as to assure that the encroachments of lands at the river banks and construction of illegal structures and industries within the eco sensitive zone, do not takes place in future.

31. That, this Affidavit is made bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant affidavit.

32. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 2 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 3 to 29 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.



20 AUG 2024

~~33~~

VERIFICATION

I, Lal Baidikthwanga Kiangli, son/daughter of K. Thanzauva (L), aged about 59 years, by Religion - Christian, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of Chief Secretary, Government of Jharkhand, having its office at Project Building, Dheerwa, Ranchi, Jharkhand, Pincode - 834004, and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, East Singhbhum, Government of Jharkhand.

Date: 20 AUG 2024


Place: Ranchi



Signature

Identified by me:

Advocate

1
BY  Adv
20/08/2024

(E. No. 626/2016)

**Signature Attested and
Identification of Lawyer**



20/08/24
NOTARY PUBLIC, RANCHI
20 AUG 2024

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि शाखा)

दिनांक-02.07.2024 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.567/2023/EZ renumbered as O.A. No.145/2023/EZ में दिनांक-26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन संबंधी बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी में संधारित।

बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.567/2023/EZ renumbered as O.A. No.145/2023/EZ में दिनांक-26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए बिन्दुवार निम्नवत निदेश दिया गया।

1.- माननीय NGT द्वारा पारित आदेश के कंडिका-3- "Along with this affidavit, a Joint Committee Report has been filed as Annexure-C (pages 26-44), and in para 2.1.3 under the heading 'Observations of the surey teams' it is stated that physical verification of the structures constructed from the confluence point of Kharkai River and Subarnrekha River from the banks of the river till Kapali area was carried out by Advanced Preliminary Survey Team No.1 along with Zonal Amin, Revenue Sub-Inspector and Zonal Inspector and upon joint inspection it was found that there are few Pukka Houses and other structures within revenue boundary of river in approximately six wards. It is stated that there were 62 structures such as - Pukka Makan, Asbestos Makan, Pump House, Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall present upto 10 meters from the revenue boundary as well as 134 structures were found to be present from 10-15 meters from revenue boundary as summarized in the Table No.1 (page no.31 of the paper book). However, there were three multi-storeyed buildings constructed beyond 15 meter from the revenue boundary of the river only in two wards, the details of which have been given in the Report. "

उक्त कंडिका के अनुपालन हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अंचल अधिकारी जमशेदपुर, अंचल अधिकारी मानगो, अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर एवं अंचल अधिकारी, चाण्डिल को निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि में निर्मित मकान/भवनों के मालिकों के विरुद्ध J.P.L.E. वाद दायर कर उनके विरुद्ध नोटिस निर्गत कर खाली कराने का निदेश दिया गया। इसका अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

2.- कंडिका- 9 We also find that document at page no.34 shows that new structures are coming up with high rise buildings on the banks of Subarnarekha river basin.

✓

उक्त कंडिका के अनुपालन हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर को निदेश दिया गया कि Jharkhand Building Byelaws 2016 के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

3.- कंडिका-4, 5 एवं 6 का अनुपालन हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्य प्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल/पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमशेदपुर को उपायुक्त महोदय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4.- कंडिका-7, 8 एवं 9 के अनुपालन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमशेदपुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर, जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर को उपायुक्त महोदय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Report of the Joint Committee एवं माननीय NGT द्वारा दिनांक-26.04.2024 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय ताकि ससमय मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

काम. 24.
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक- 233 (A) /विधि, दिनांक- 02 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- सभी संबंधित पदाधिकारी..... को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

काम. 24.
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि शाखा)

पत्रांक:-.....26.95...../विधि,

प्रेषक,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

जमशेदपुर, दिनांक:-.....6...../07/2024.

विषय:- माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.567/2023/EZ renumbered as O.A. No.145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक-26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.567/2023/EZ renumbered as O.A. No.145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक-26.04.2024 को पारित आदेश के कंडिका-3 में उल्लेखित है कि "Along with this affidavit, a Joint Committee Report has been filed as Annexure-C (pages 26-44), and in para 2.1.3 under the heading 'Observations of the surey teams' it is stated that physical verification of the structures constructed from the confluence point of Kharkai River and Subarnrekha River from the banks of the river till Kapali area was carried out by Advanced Preliminary Survey Team No.1 along with Zonal Amin, Revenue Sub-Inspector and Zonal Inspector and upon joint inspection it was found that there are few Pukka Houses and other structures within revenue boundary of river in approximately six wards. It is stated that there were **62 structures** such as - Pukka Makan, Asbestos Makan, Pump House, Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall present upto 10 meters from the revenue boundary as well as **134 structures** were found to be present from 10-15 meters from revenue boundary as summarized in the Table No.1 (page no.31 of the paper book). However, there were three multi-storeyed buildings constructed beyond 15 meter from the revenue boundary of the river only in two wards, the details of which have been given in the Report."

उक्त वर्णित बिन्दुओं में सुवर्णरेखा नदी के तट पर अतिक्रमण को हटाने संबंधित दिनांक-02.07.2024 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में जिला स्तर पर अनुपालन हेतु बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में अंचल अधिकारी, मानगो, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर एवं अंचल अधिकारी, चाण्डल को सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त करने हेतु जे0पी0एल0ई0 वाद दायर करने तथा रैयती भूमि पर निर्मित भवनों के संबंध में अपर नगर

आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर को Jharkhand Building Byelaws 2016 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में जे0पी0एल0ई0 वाद Jharkhand Building Byelaws 2016 के तहत सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद खोलकर नोटिस निर्गत कर दिया गया है एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा द्वारा माननीय NGT द्वारा पारित आदेश की कंडिका 4, 5, 6, 7 के अनुपालन हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर सह संयोजक निगरानी समिति दलमा, ECO Sensitive Zone, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी द्वारा ECO Sensitive Zone से अतिक्रमण हटाने हेतु जे0पी0एल0ई0 वाद दायर कर अतिक्रमण मुक्त करने का निदेश दिया गया है। क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, जमशेदपुर द्वारा दलमा ECO Sensitive Zone में अवस्थित उद्योगों को माननीय NGT द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नोटिस निर्गत किया गया है।

अतः माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.567/2023/EZ renumbered as O.A. No.145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक-26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, मानगो, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर, अंचल अधिकारी, चाण्डिल, अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर, प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा द्वारा की गई कार्यवाही बैठक की प्रति एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, जमशेदपुर से प्राप्त कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को सादर समर्पित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ANNEXURE-C

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगा

माननीय NGT नई दिल्ली में दायर वाद O.A. No. 567/2023/EZ renumbered as O.A. No. 145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक 26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरणी ।

1. मानगा अंचल अन्तर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगा, वार्ड नं०-8 एवं 10 में अवस्थित सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जाँच संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा की गई । जाँचोपरान्त सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये गये कुल 16 (सोलह) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बिहार (झारखण्ड) लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत जे.पी.एल.ई. वाद दायर कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है एवं सेक्शन 3 के तहत नोटिस निर्गत करते हुये सभी अतिक्रमणकारियों को दिनांक 15.07.2024 तक अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है । दायर किये गये सभी वादों का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम	जे.पी.वाद सं०	अतिक्रमणकारी का नाम	वार्ड नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	अतिक्रमित रकबा
1	02/24-25	भालु यादव	8	1249	3983	2 डिसमिल
2	03/24-25	महेन्द्र यादव	8	1249	3983	2 डिसमिल
3	04/24-25	रमेश प्रसाद	8	1249	3983	2 डिसमिल
4	05/24-25	सुरेन्द्र यादव	10	727	3487	30'X20'
5	06/24-25	शंकर यादव	10	727	3487	30'X20'
6	07/24-25	मनोज गौड़	10	727	3517	30'X40'
7	08/24-25	राजु राय	10	727	4312	10'X10'
8	09/24-25	नवीन रूहीदास	10	727	4312	30'X30'
9	10/24-25	ललन यादव	10	727	3128	50'X10'
10	11/24-25	अखई कैवर्त	10	727	3128	40'X10'
11	12/24-25	जे.एल. शर्मा	10	727	4312	40'X40'
12	13/24-25	साई. सुरज आश्रम	10	727	3487	100'X40'
13	14/24-25	मनोहर कैवर्त	10	727	3128	40'X10'
14	15/24-25	गनौरी वर्मा	10	727	3961	0.02 Acre
15	16/24-25	हरि भुईया	10	727	3487	25'X25'
16	17/24-25	रिंकु दास	10	727	3517	20'X25'

2. निर्धारित तिथि तक अतिक्रमणकारियों के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में पुनः एक अवसर देते हुये 7 (सात) दिनों के अन्दर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु द्वितीय नोटिस निर्गत किया जायेगा ।

- 20 - (229)

: 2 :

3. उपरोक्त तिथि के पश्चात अतिक्रमणकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष एवं दस्तावेज के आलोक में अन्तिम आदेश पारित किया जायेगा एवं जिन अतिक्रमणकारियों के पास पर्याप्त दस्तावेज यथा भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजात नहीं होगी, उन्हें सेक्शन 6(2) के तहत नोटिस निर्गत करते हुये 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर वाद में वर्णित भूमि को खाली एवं अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया जायेगा ।
4. तदोपरान्त निर्धारित तिथि के पश्चात अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी से दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्ति से संबंधित पत्राचार किया जायेगा । तत्पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी ।

13/7/24

अंचल अधिकारी
मानगो

ANNEXURE-D

-2/-

ANNEXURE D

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

माननीय NGT नई दिल्ली में दायर वाद O.A. No. 567/2023/EZ renumbered as O.A. No. 145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक 26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरणी।

1. जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे मौजा- अधिसूचित क्षेत्र, जमशेदपुर, वार्ड नं०- 7 में अवस्थित सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जाँच संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा की गई। जाँचोपरान्त सरकारी भूमि अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये गये कुल 145 (एक सौ पैंतालीस) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बिहार (झारखण्ड) लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जे.पी.एल.ई. वाद दायर कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है एवं सेक्शन 3 के तहत नोटिस निर्गत करते हुये सभी अतिक्रमणकारियों को दिनांक 20.07.2024 तक अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। दायर किये गये सभी वादों का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रम	जे०पी०एल०ई० वाद संख्या	मौजा / वार्ड नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	अतिक्रमित रकबा	अतिक्रमणकारी का नाम एवं प्रकार
1	01/TL/2024-25	अ० क्ष० स० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	18' X 20'	रवि भुईयाँ, पिता-बोका भुईयाँ (कच्चा मकान)
2	02/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 20'	उमेश कालिन्दी, पिता-गोरा कालिन्दी (कच्चा मकान)
3	03/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	10' X 15'	सुक्त भुईयाँ, पिता-बाने भुईयाँ (कच्चा मकान)
4	04/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	12' X 15'	पिंटु शर्मा, पिता-राम स्वरूप शर्मा (कच्चा मकान)

- 32 - 31/34

5	05/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	20' X 20'	महत्तम चौधरी, पिता- वीतन चौधरी (कच्चा मकान)
6	06/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	20' X 30'	लक्ष्मी ऑटो रिपेयर (कच्चा मकान)
7	07/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 18'	रीता देवी, पति- राजेन्द्र प्रसाद (कच्चा मकान)
8	08/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 15'	रंजीत सिंह, पिता-महावीर सिंह (कच्चा मकान)
9	09/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	18' X 20'	पेडी भुईयाँ, पिता- अहलाद भुईयाँ (कच्चा मकान)
10	10/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	12' X 15'	राजू गोप, पिता- लखन गोप (कच्चा मकान)
11	11/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	14' X 20'	राजू मंडल, पिता-दिवाकर मंडल (पक्का मकान)
12	12/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	20' X 20'	टीपेन कुमार राय, पिता-जोगेन्द्र राय (पक्का मकान)

13	13/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 18'	नमनी भुइया, पति-रवि भुइया (पक्का मकान)
14	14/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 18'	प्रमोद गुप्ता, पिता-लाल प्रसाद (पक्का मकान)
15	15/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	18' X 20'	अरुण पांडे, पिता-कमलाकान्त पांडे (पक्का मकान)
16	16/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	20' X 20'	पूनम कुमारी, पति-अज्ञात (पक्का मकान)
17	17/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	12' X 20'	रुखू भुइया, पिता-धोखा भुइया (पक्का मकान)
18	18/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	12' X 15'	मिथिलेश कुमार, पिता-देव भूषण (पक्का मकान)
19	19/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	12' X 15'	अजीत सिंह, पिता-अज्ञात (पक्का मकान)
20	20/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 15'	भोला शंकर गुप्ता, पिता-श्रीमुनी गुप्ता (पक्का मकान)

-34-

21	21/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	12' X 15'	अर्जुन कुमार, पिता-पनारिक यादव (पक्का यादव)
22	22/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	106	15' X 15'	पिहु कुमार, पिता-अज्ञात (झोपड़ी)
23	23/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	01	8' X 10'	खटाल, राजू यादव, पिता-दीनानाथ यादव(मानगो पुल के पास)
24	24/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	01	8' X 10'	सुनील यादव, पिता-धनंजय यादव, खटाल(मानगो पुल के पास)
25	25/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	9' X 9'	पिंकी देवी (पक्का मकान)
26	26/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 12'	पुष्पु कुमार (पक्का मकान)
27	27/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 12'	अशोक सिंह (पक्का मकान)
28	28/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 11'	तेतर साव (पक्का मकान)
29	29/TL/2024-25	अ० क्षे० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 16'	महेन्द्र साव (पक्का मकान)

- 35 - 3.7

30	30/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 13'	राज कुमार साव (पक्का मकान)
31	31/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 10'	दुनदुन साव (पक्का मकान)
32	32/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 13'	बिरवल सिंह (पक्का मकान)
33	33/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 12'	कपिल भुइया (पक्का मकान)
34	34/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 8'	बुढी भुइया (पक्का मकान)
35	35/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 12'	कदम भुइया (पक्का मकान)
36	36/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 14'	शिवा भुइया (पक्का मकान)
37	37/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 12'	धनहर भुइया (पक्का मकान)
38	38/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 8'	अभय भुइया (पक्का मकान)
39	39/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 10'	दुर्गा गोप (पक्का मकान)

17

- 38 - 28

40	40/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 12'	प्रभु साव (पक्का मकान)
41	41/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 14'	समीर चन्द्र पोद्दार (पक्का मकान)
42	42/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 10'	सत्येन्द्र साव (पक्का मकान)
43	43/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	10' X 16'	सरस्वती मुखी (पक्का मकान)
44	44/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 10'	शीबू महतो (पक्का मकान)
45	45/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 12'	शिकारी महतो (पक्का मकान)
46	46/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	9' X 10'	आनंद साहू (पक्का मकान)
47	47/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 9'	राजू हेम्ब्रम (पक्का मकान)
48	48/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 16'	अंजनी देवी (पक्का मकान)
49	49/TL/2024-25	अ० क्ष० जमशेदपुर वार्ड नं०-07	245	110	8' X 10'	यशोदा साव (पक्का मकान)

५५

ANNEXURE - E

- 37 - 202

ANNEXURE E



अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डल।

माननीय NGT, नई दिल्ली में दायर वाद O.A No. 567/2023/EZ renumbered as O.A No 145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक- 26.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

1. चाण्डल अंचल अन्तर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे मौजा- कपाली में अवस्थित सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जाँच संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा की गई। जाँचोपरान्त सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये गये कुल 02(दो) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बिहार (झारखण्ड) लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत जे.पी.एल.ई. वाद दायर कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है एवं सेक्शन 3 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को दिनांक- 22.07.2024 तक अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। दायर किये गये सभी वादों का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	जे.पी. वाद सं०	अतिक्रमणकारियों का नाम	वार्ड नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	अतिक्रमित रकबा
1	02/2024-25	अज्ञात		476	1949	10'X12'
2	03/2024-25	अज्ञात		476	1949	65 Feet Long Boundary

2. निर्धारित तिथि तक अतिक्रमणकारियों के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में पुनः एक अवसर देते हुए 7 (सात) दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु द्वितीय नोटिस निर्गत किया जायेगा।
3. उपरोक्त तिथि के पश्चात अतिक्रमणकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष एवं दस्तावेज के आलोक में अन्तिम आदेश पारित किया जायेगा एवं जिन अतिक्रमणकारियों के पास पर्याप्त दस्तावेज यथा भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजात नहीं होगी, उन्हें सेक्शन 6(2) के तहत नोटिस निर्गत करते हुए 7 (सात) दिनों के अन्दर वाद में वर्णित भूमि को खली एवं अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया जायेगा।
4. तदोपरान्त निर्धारित तिथि के पश्चात अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी से दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त से संबंधित पत्राचार किया जायेगा।
5. अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

ANNEXURE - F

-28-



ANNEXURE F

मानगो नगर निगम का कार्यालय, जमशेदपुर।

पत्रांक:- 1262

प्रेषक :

अपर नगर आयुक्त,
मानगो नगर निगम,
जमशेदपुर।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

मानगो/दिनांक :- 5/7/24

विषय :- स्वर्णरेखा नदी के किनारे सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निदेशानुसार मानगो नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जाँच अंचल अधिकारी, मानगो द्वारा गठित टीम के द्वारा की गई। जाँचोपरांत सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध वाद दायर कर वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	वाद संख्या	अतिक्रमणकारी का नाम	वार्ड नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	अतिक्रमित रकवा
1	02/2024-25	भालु यादव	8	1249	3983	2 डिसमिल
2	03/2024-25	महेन्द्र यादव	8	1249	3983	2 डिसमिल
3	04/2024-25	रमेश प्रसाद	8	1249	3983	2 डिसमिल
4	05/2024-25	सुरेन्द्र यादव	10	727	3487	30'X20'
5	06/2024-25	शंकर यादव	10	727	3487	30'X20'
6	07/2024-25	मनोज गौड	10	727	3517	30'X40'
7	08/2024-25	राजु राय	10	727	4312	10'X10'
8	09/2024-25	नवीन रूहीदास	10	727	4312	30'X30'
9	10/2024-25	ललन यादव	10	727	3128	50'X10'
10	11/2024-25	अखई कैवर्त	10	727	3128	45'X10'
11	12/2024-25	जे०एल० शर्मा	10	727	4312	40'X40'
12	13/2024-25	साई सुरज आश्रम	10	727	387	100'X40'
13	14/2024-25	मनोहर कैवर्त	10	727	3128	40'X10'
14	15/2024-25	गनौरी वर्मा	10	727	3961	0-02 Acre
15	16/2024-25	हरि भुईयां	10	727	3487	25'X25'
16	17/2024-25	रिंकु दास	10	727	3517	20'X25'

उपरोक्त सभी वादों में सेक्शन 3 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए निर्माणकर्ताओं को दिनांक 15.07.2024 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

100/2024

40
279

Date - 13-08-2024 5175 711101 - 21/148

सिमोन बाइल्स का इस बार टक्का दिखा. तोक्यो 2020 5 कारण कई स्पर्धाओं को छोड़नेवाली बाइल्स ने इस बार जीतने में सफल रही. बाइल्स ने छह साल की उम्र में अपने की और तोक्यो की निराशा को छोड़ते हुए पेरिस में अपने विशेष रूप में लौट आयी.

टीक पहले उन्हें आयोज्य घोषित कर दिया गया. बैन लगा.

कम आबादीवाले देशों का उन्मीद से अच्छा प्रदर्शन
67 हजार की जनसंख्या वाले डोमिनिका ने जीता गोल्ड

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	आबादी
जोनाडा	00	00	02	56,289
डोमिनिका	01	01	00	67,408
सेंट लूसिया	01	01	00	92,050
न्यूजीलैंड	10	07	03	2,66,945
बहरीन	02	01	01	4,25,393

03
गोल्डन पेंस
गोल्डन पेंस महिलाओं की 2

1) अमेरिका की महिला तैराक टॉरी हस्के ने तीन स्वर्ण व दो रजत सहित पांच पदक जीते और वह महिला वर्ग की बेस्ट ओलिंपिक एथलीट बनी. 21 वर्षीय टॉरी ने 4x100 मीटर मिक्स्ड मेडल रिले, महिलाओं की 4x100 मीटर मेडल रिले और महिलाओं की 100 मीटर बटरफ्लाई में तीन स्वर्ण पदक जीते. उन्होंने पहले दो इवेंट में नये विश्व रिकॉर्ड भी बनाये.

मानगो नगर निगम का कार्यालय, जमशेदपुर

आम सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मानगो नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जाँच अंचल अधिकारी, मानगो द्वारा गठित टीम के द्वारा की गई। जाँचोपरांत सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध वाद दायर कर वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	वाद संख्या	नाम	वाड नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	अतिक्रमित रकवा
1	02 / 2024	भालू यादव	8	1249	3983	2 डिसमिल
2	03 / 2024	महेन्द्र यादव	8	1249	3983	2 डिसमिल
3	04 / 2024	रमेश प्रसाद	8	1249	3983	2 डिसमिल
4	05 / 2024	सुरेन्द्र यादव	10	727	3487	30'X20'
5	06 / 2024	शंकर यादव	10	727	3487	30'X20'
6	07 / 2024	मनोज गौड़	10	727	3517	30'X40'
7	08 / 2024	राजू राय	10	727	4312	10'X10'
8	09 / 2024	नवीन रुहीदास	10	727	4312	30'X30'
9	10 / 2024	ललन यादव	10	727	3128	50'X10'
10	11 / 2024	अखई कैवत	10	727	3128	45'X10'
11	12 / 2024	जे०एल० शर्मा	10	727	4312	40'X40'
12	13 / 2024	साई सुरज आश्रम	10	727	387	100'X40'
13	14 / 2024	मनोहर कैवत	10	727	3128	40'X10'
14	15 / 2024	गनौरी वर्मा	10	727	3961	0-02 Acre
15	16 / 2024	हरि भुईया	10	727	3487	25'X25'
16	17 / 2024	रिंकु दास	10	727	3517	20'X25'

उपरोक्त नामित सभी व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 17.08.2024 तक अपने-अपने भवन से सम्बंधित सभी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित हो कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर

PR 332535 Urban Development (24-25)

सीआइएस का ट्रायल

जमशेदपुर, चर्च स्कूल, ब्रे सोमवार से दो दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट सह स शुरुआत हुई. प्रतियोगिता स्टील यूआइएसएल के प्र सिन्हा ने बतौर मुख्य अति स्कूल के सचिव अविनाश गुलदस्ता देकर सम्मानित अविनाश दास के नेतृत्व में स्कूल में कई खेलकूद प्रत किया गया है. इसमें कैरम खेल भी शामिल है. स्वाय उप प्राचार्या एस्तर मोहंती ने अतिथि ने, त्रुतुराज सिन्हा जरिये बच्चों को प्रेरित किया अतिथि यूआइएसएल के उ अर्नेस्ट पाल. कोषाध्यक्ष निदेशक इमरान मसूद व प्रतियोगिता का सफल आर्

बुची बाबू क्रिकेट से झारखंड के ईशान

रांची. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और चल रहे क्रिकेटकौपर बल बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में ईशान किशन से खेलते दिखेंगे. यह ट

JHARKHAND BELL METAL NIGAM LTD
(CIN: U40108JH2013SGC001702)
Sloughbhumi Electric Supply Area, Jamshedpur,
1st floor Co-Op. Bank Building Bishtapur, Jamshedpur.
e-mail- sesa.jsr13@yahoo.in Ph. No. 0657-2320495 (0).

E-TENDER NOTICE FOR SUPPLY OF ELECTRIC LINE MATERIALS UNDER SUPPLEMENTARY BUDGET ADP HEAD FOR FY 2023-24, ADP HEAD FOR FY 2024-25.

ANNEXURE - G

- 42 -



कार्यालय, नगर परिषद, कपाली

E-mail :- kapalnp@gmail.com

ANNEXURE G

पत्रांक 814

दिनांक 13/07/2024

प्रेषक,

प्रशासक,
नगर परिषद कपाली।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata में दायर वाद संख्या OA No 145/ 2023/ EZ में पारित आदेश के आलोक में आयोजित निगरानी समिति की बैठक के आलोक में आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंचल अधिकारी, चाण्डल के पत्रांक 689 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वर्णरेखा नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा निर्माण कार्य किया गया है।

क्र० सं०	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	निर्माण के प्रकार	अभियुक्ति
01	332	114	230	पक्का टीना का मकान	श्री मजहर अली,
02				चाहरदिवारी	अज्ञात
03				चाहरदिवारी	श्री अफरोज अनवर
04				चाहरदिवारी	श्री समीम अख्तर

नोटिस में उपर्युक्त चारों निर्माणकर्ताओं को 15 दिनों के अंदर निर्मित संरचना/चाहरदिवारी/भवन को स्वयं से हटा/ तोड़ लेने अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया गया है। प्रथम नोटिस के निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर द्वितीय नोटिस निर्गत किया जाएगा तथा द्वितीय नोटिस के निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तृतीय एवं अंतिम नोटिस निर्गत किया जाएगा। तृतीय एवं अंतिम नोटिस के निदेशों का अनुपालन नहीं करने के पश्चात नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

भवदीय को सादर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

13/7/24

प्रशासक,
नगर परिषद, कपाली।

- 43 - H.S.

35



प्रभात खबर

prabhatkhabar.com



Latest News

Singh: जेल से बाहर आये अनंत सिंह, एके-47 केस में पटना हाई

2	मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों के लिए नाव	6	30,000/-	3,000/-
<p>उक्त के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/ सदस्यों से विहित प्रपत्र में दिनांक 17/08/2024 तक जिला मत्स्य कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विहित प्रपत्र कार्यालय अवधि में जिला मत्स्य कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।</p> <p style="text-align: right;">जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर</p>				
PR 332105 Fish (24-25)_D				

कार्यालय, नगर परिषद, कपाली

E-mail :- kapalinp@gmail.com

द्वितीय नोटिस

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata में दायर वाद संख्या O.A. NO. 145/2023/EZ के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 तथा Jharkhand Building Bye Laws के उपबंधों के अनुसार नदी भूमि के 15 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण/चाहरदिवारी/संरचना का निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अक्सर अधिकारी चांडिल के पत्रांक 699 दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा भवन निर्माण कार्य किया गया है-

क्र०सं०	नाम	निर्माण के प्रकार	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या
01	श्री मजहर अली	पक्का टीना का मकान	332	114	230
02	अज्ञात	चाहरदिवारी			
03	श्री अफरोज अनवर	चाहरदिवारी			
04	श्री समीम अख्तर	चाहरदिवारी			

उपर्युक्त सभी अवैध भवन निर्माताओं को उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय द्वारा 10 दिनों का समय प्रदान करते हुए नोटिस निर्गत किया गया था जिसका आप सभी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। आप लोगों द्वारा ना तो अवैध निर्मित संरचना को तोड़ा गया और ना ही इस कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः इस नोटिस के द्वारा उपर्युक्त चारों अवैध भवन निर्माताओं को निदेश दिया जाता है कि सात दिनों के अंदर उपर्युक्त पते पर आपके द्वारा नदी भूमि के 15 मीटर के दायरे में निर्मित अवैध भवन/चाहरदिवारी/संरचना को स्वयं से तोड़कर हटा लें अथवा दिनांक 17.08.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सभी साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.08.2024 को लिखित रूप से आपका पक्ष प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके अवैध भवन को ढहाने का आदेश पारित किया जाएगा।

**दैनिक
भास्कर**

जमशेदपुर

08-08-2024

PR 332100 Urban Development and Housing(24-25)D

पूवा जमशेदपुर, जमशेदपुर

कार्यालय, नगर परिषद, कपाली

E-mail :- kapalinp@gmail.com

द्वितीय नोटिस

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata में दायर वार संख्या OA NO. 145/2023/EZ के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 तथा Jharkhand Building Bye Laws के उपबंधों के अनुसार नदी भूमि के 15 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण / बाहरदिवारी / संरचना का निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अचल अधिकारी चाडिल के पत्रांक 699 दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रलियेदित किया गया है कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा भवन निर्माण कार्य किया गया है-

क्र०सं०	नाम	निर्माण के प्रकार	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या
01	श्री नजहर अली,	पक्का दीना का मकान	332	114	230
02	अश्रात	बाहरदिवारी			
03	श्री अफरोज अनवर	बाहरदिवारी			
04	श्री सनीम अख्तर	बाहरदिवारी			

उपर्युक्त सभी अवैध भवन निर्माताओं को उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय द्वारा 10 दिनों का समय प्रदान करके हुए नोटिस निर्मित किया गया था जिसका आप सभी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। आप लोगों द्वारा ना तो अवैध निर्मित संरचना को तोड़ा गया और ना ही इस कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः इस नोटिस के द्वारा उपर्युक्त धारों अवैध भवन निर्माताओं को निर्देश दिया जाता है कि सात दिनों के अंदर उपर्युक्त पते पर आपके द्वारा नदी भूमि के 15 मीटर के दायरे में निर्मित अवैध भवन / बाहरदिवारी / संरचना को स्वयं से तोड़कर हटा लें अथवा दिनांक 17.08.2024 को पूर्वान्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सभी साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.08.2024 को लिखित रूप से आपका पक्ष प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके अवैध भवन को ढहाने का आदेश पारित किया जाएगा।

प्रशासक,

नगर परिषद कपाली।

PR 332100 Urban Development and Housing(24-25)D

दिनांक-15.07.2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में माननीय N.G.T कोलकाता में दायर वाद O.A.No. 145/2023/EZ के संदर्भ में में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

1. बैठक में सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा माननीय N.G.T में दायर वाद के संबंध में जानकारी दी गयी।
 - (i.) बताया गया कि माननीय N.G.T नई दिल्ली द्वारा सुवर्णरेखा नदी बेसिन एवं दलमा रेंज के Eco-Sensitive Zone में किये जा रहे Construction activities के संदर्भ में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक-20.09.2023 को आदेश पारित करते हुए पाँच सदस्यीय संयुक्त जाँच समिति का गठन करने का निदेश दिया गया तथा उपायुक्त जमशेदपुर को Nodal Officer नामित किया गया। साथ ही वाद को माननीय N.G.T कोलकाता को स्थानान्तरित कर दिया गया।
 - (ii.) बताया गया कि गठित संयुक्त जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा दिनांक-14.03.2024 को प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।
 - (iii.) बताया गया कि केस की अगली सुनवाई दिनांक-23.08.2024 निर्धारित है।
 - (iv.) उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा दायर किये गये प्रतिशपथ पत्र के आलोक में माननीय N.G.T कोलकाता द्वारा दिनांक 26.04.2024 को आदेश पारित किया गया है।
2. माननीय N.G.T द्वारा दिनांक- 26.04.2024 को पारित आदेश पर उठाये गये बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।
 - (i.) बताया गया कि सुवर्णरेखा नदी के Revenue boundary के अन्तर्गत कुछ Pakka Houses एवं Other Structures, River के revenue boundary से 10 मी० के अन्तर्गत 62 Pakka House, Asbestos house, Pump House एवं Other structures, River के revenue boundary से 10-15 मी० पर 134 Structures निर्मित है। River के revenue boundary से 15 मी० की दूरी के बाद 3 Multi Storey Buildings का निर्माण किया गया है, जिसका भौतिक सत्यापन गठित Advance preliminary survey team द्वारा किया गया है।
 - (ii.) Dalma Eco-Sensitive Zone में निर्मित संरचनाओं के संदर्भ में बताया गया कि :-
 - (a.) 300 मी० Radius के अन्तर्गत 1453 संरचनाएँ निर्मित है।
 - (b.) 300 मी० से 500 मी० Radius के अन्तर्गत 74 संरचनाएँ निर्मित है।
 - (c.) 500 मी० से 1 कि०मी० तक 256 संरचनाएँ निर्मित है।
 - (iii.) बताया गया कि दलमा रेंज Boundary के 300 मी० से 1 कि०मी० के अन्तर्गत 78 औद्योगिक ईकाईयों स्थापित है।

-46-

(iv.) बताया गया कि Industries - STP Ltd एवं SRG Iron & Steel Industries दलमा Eco-Sensitive Zone में अवस्थित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि STP Ltd के लिए निर्गत C.T.O (Consent to Operate) वापस ले लिया गया है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा उक्त निर्गत आदेश पर stay order दिया गया है। बताया गया कि SRG Iron & Steel Industries बन्द है।

3. उपायुक्त जमशेदपुर द्वारा सुवर्णरेखा नदी तट पर निर्मित संरचनाओं के निर्माणकर्ता/मालिकों के विरुद्ध निर्गत किये गये Notice के संदर्भ में जानकारी दी गयी। बताया गया कि दिये गये प्रथम Notice की अवधि 20 जुलाई, 2024 को समाप्त हो रही है।

निदेश :-

- (i.) सभी निर्मित संरचनाओं के निर्माणकर्ता/मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
- (ii.) यदि प्रतिवादियों द्वारा अपना पक्ष Notice अवधि के अन्दर नहीं दिया जाता है तो नैसर्गिक न्याय के तहत द्वितीय Notice व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक-28.07.2024 तक निर्गत किया जाय।
- (iii.) यदि प्रतिवादियों द्वारा अपना पक्ष द्वितीय Notice अवधि के अन्दर नहीं दिया जाता है तो नैसर्गिक न्याय के तहत तृतीय Notice व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक-12.08.2024 तक निर्गत किया जाय।
- (iv.) यदि प्रतिवादियों का कोई पक्ष प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय Reasoned order दिनांक-14.09.2024 तक पारित करना सुनिश्चित किया जाय।
- (v.) Notices अवधि के अन्तर्गत यदि निर्माणकर्ता/मालिकों का पक्ष प्राप्त होता है तो नियमानुसार इसकी सुनवाई करते हुए संबंधित प्रशासी पदाधिकारियों द्वारा दिनांक-14.10.2024 तक Reasoned order पारित करना सुनिश्चित किया जाय।
- (vi.) Reasoned order में प्रतिवादियों को अपने खर्च पर अतिक्रमण हटाने हेतु अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाय।
- (vii.) यदि प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो अगले 15 दिनों के अन्दर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :- उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/ संबंधित अंचल पदाधिकारी)

4. अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम द्वारा सुवर्णरेखा नदी तट पर झारखण्ड भवन उप-नियम 2016 के कंडिका-23 का उल्लंघन कर निर्मित भवनो की जानकारी दी गयी। बताया गया कि मालिकों के विरुद्ध Notice निर्गत किया गया है।

निदेश :-

- (i.) सभी भवन मालिकों के विरुद्ध कडिका-3 में अंकित निदेशों के समरूप समयबद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :- अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति/ कार्यपालक पदाधिकारी, कपाली नगर परिषद)

5. Dalma Wild Life Sanctuary के Eco- Sensitive Zone में अवस्थित संरचनाओं के संदर्भ में जानकारी दी गयी। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस संदर्भ में कार्रवाई The Environment (Protection) Act, 1986 के Section 3, 4, एवं 5 अन्तर्गत गठित Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee द्वारा किया जाना है, जिसकी आगामी बैठक दिनांक-19 जुलाई, 2024 को आहूत करने का निदेश दिया गया।

निदेश :-

- (i.) Monitoring Committee द्वारा इस संदर्भ सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर दिनांक-26 जुलाई 2024 तक सभी संबंधित पक्षों को Section 5 के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से Notice दिया जाय।
- (ii.) तदोपरांत 15 दिनों का अन्तराल रखते हुए नियमानुसार दूसरा एवं तीसरा Notice व्यक्तिगत एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यथा दिनांक-10.08.2024 एवं दिनांक-27.08.2024 को निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (iii.) Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त पक्षों के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए Chief Judicial Magistrate के कोर्ट में 90 दिनों अर्थात् दिनांक-26.10.2024 तक वाद दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची/ प्रमण्डलीय आयुक्त कोल्हान प्रमण्डल सह अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जमशेदपुर)

6. अन्य निदेश :-

- (i.) Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रबोधन प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची द्वारा किया जायेगा।

(अनुपालन :- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची/ प्रमण्डलीय आयुक्त कोल्हान प्रमण्डल सह अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन)


-48-
18/07/24

- (ii.) Eco-Sensitive Zone में अवस्थित विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई The Environment (Protection) Act, 1986 के अन्तर्गत सुसंगत Sections के अधीन नियमानुसार ससमय किया जायेगा एवं इसका प्रबोधन प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची द्वारा किया जायेगा।

(अनुपालन :- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची/
प्रमण्डलीय आयुक्त कोल्हान प्रमण्डल सह अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा ईको
सेन्सिटिव जोन/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जमशेदपुर)


- (iii.) इस संदर्भ में अगली समीक्षात्मक बैठक दिनांक- 9 अगस्त 2024 को निर्धारित करने का निदेश दिया गया। इसके पूर्व सभी निर्धारित कार्य ससमय पूरा कराने का निदेश दिया गया तथा Nodal विभाग (जल संसाधन विभाग) को सभी अभिलेखों के साथ पूर्ण सूचना निरंतर रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


(एल. खियांगते)
मुख्य सचिव
झारखण्ड, राँची

पत्रांक-2/पी०एम०सी०/विविध/969/2023.....380 /राँची, दिनांक-18/07/2024

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, राँची/आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर/ कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर, अधिसूचित क्षेत्र समिति/ कार्यपालक पदाधिकारी, कपाली नगर परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची।



माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No-145/2023/EZ के संदर्भ में दिनांक-
15.07.2023 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में उपस्थित पदाधिकारीगण

क्र०	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	दूरभाष नं०
1	श्री एल० खियांगते मुख्य सचिव, झारखण्ड		
2	प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची		
3	श्री प्रशांत कुमार सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड		
4	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, राँची		
5	आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	for Lid (Secy to Commissioner)	
6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची		
7	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर		
8	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर		
9	अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर		
10	क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर		8987594597
11	कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर, अधिसूचित क्षेत्र समिति		
12	कार्यपालक पदाधिकारी, कपाली नगर परिषद।		8580180458
13	PCCF Wildlife & CWT.		
14	Addl. Secretary 2D & 71D		
15	Sp. Sect. Forest, Environment & C.C. Dept		
16	S.R. Narkh (S C&T (Wildlife))		

~~50~~~~44~~

45

17	Kumar Manibhushan Environmental Engg-	<u>Mshahji</u> 15/07/24	6200688658
18	DCLR Dhalbhun (JSR)	<u>S</u> 15/7/24	9631815411
19	CO Mango (JSR)	<u>Anir</u> 15/7/24	8789566643
20	CO. Jamsheerpur	<u>Key</u> 15/07/24	9430146892
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

ANNEXURE - I

ANNEXURE I

2nd Notice

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि शाखा)
पत्रांक-.....~~277~~ (A)...../विधि

प्रेषक,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

जमशेदपुर, दिनांक:-...~~12~~/08/2024.

विषय:- माननीय N.G.T कलकत्ता में दायर वाद O.A. No. 145/2023/EZ, दिनांक-26.04.2024 में पारित आदेश एवं दिनांक 15.07.2024 के मुख्य सचिव, राँची झारखण्ड, के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्रवाई के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : - भवदीय पत्रांक-416/राँची, दिनांक-07.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि माननीय N.G.T कलकत्ता में दायर वाद O.A. No. 145/2023/EZ, दिनांक-26.04.2024 में पारित आदेश एवं दिनांक 15.07.2024 के मुख्य सचिव, राँची झारखण्ड, के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्रवाई के संदर्भ में प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

K. Lalit
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

6/12/24
जिला दण्डाधिकारी, विधि शाखा
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि शाखा)

दिनांक-05.08.2024 को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अध्यक्षता में माननीय N.G.T. कलकत्ता में दायर O.A.No.145/2023/EZ के संदर्भ में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी में संधारित।

बैठक की कार्यवाही

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा माननीय NGT में दायर वाद O.A. No 567/2023/EZ renumbered as O.A. No 145/2023/EZ में दिनांक 26.04.2024 को पारित आदेश एवं दिनांक-15.07.2024 के मुख्य सचिव झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों से बिन्दुवार समीक्षा की गई।

1. उपायुक्त महोदय द्वारा स्वर्णरेखा नदी तट पर निर्मित संरचनाओं के निर्माणकर्ता/मालिकों के विरुद्ध प्रथम नोटिस दिनांक-20.07.2024 को समाप्त होने के पश्चात् अपर नगर आयुक्त मानगो, उप नगर आयुक्त अधिसूचित क्षेत्र, जमशेदपुर, प्रशासक नगर परिषद कपाली, अंचल अधिकारी मानगो, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर, एवं अंचल अधिकारी, चाण्डल से JPLE वाद एवं Jharkhand Building Byelaws 2016 के तहत द्वितीय नोटिस व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्र के माध्यम से निर्गत किये जाने संबंधी समीक्षा की गई एवं निदेश दिया गया की सभी वाद में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें -
 - i) यदि प्रतिवादियों द्वारा अपना पक्ष द्वितीय Notice अवधि के अन्दर नहीं दिया जाता है तो नैसर्गिक न्याय के तहत तृतीय Notice व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक-12.08.2024 तक निर्गत किया जाय।
 - ii) यदि प्रतिवादियों का कोई पक्ष प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय Reasoned order दिनांक-14.09.2024 तक परित करना सुनिश्चित किया जाय।
 - iii) Notice अवधि के अन्तर्गत यदि निर्माणकर्ता/मालिकों का पक्ष प्राप्त होता है तो नियमानुसार इसकी सुनवाई करते हुए संबंधित प्रशासी पदाधिकारियों द्वारा दिनांक-14.10.2024 तक पारित Reasoned order दिनांक-14.09.2024 तक पारित करना सुनिश्चित किया जाय।
 - iv) Reasoned order में प्रतिवादी का अपने खर्च पर अतिक्रमण हटाने हेतु अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाय।
 - v) यदि प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो अगले 15 दिनों के अन्दर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :- अपर नगर आयुक्त मानगो, उप नगर आयुक्त अधिसूचित क्षेत्र, जमशेदपुर, प्रशासक नगर परिषद कपाली, अंचल अधिकारी मानगो, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर, एवं अंचल अधिकारी, चाण्डल)


2. Dalma Wild Life Sanctuary के Eco-Sensitive Zone में अवस्थित संरचनाओं के संदर्भ में Divisional Forest Officer Jamshedpur द्वारा बताया गया की इस संदर्भ में कार्यवाही The Environment (Protection) Act, 1986 के Section 3, 4 एवं 5 अंतर्गत गठित Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में दिनांक-22.07.2024 को प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष निगरानी समिती, इको सेंसिटिव जोन दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक की गई :-


- i) निगरानी समिति की बैठक में यह बात प्रकाश में आई कि Dalma Eco- Sensitive Zone अंतर्गत निर्मित संरचनाओं को नोटिस निर्गत करने हेतु संबंधित संरचनाओं के दखलकर्ता/भू-स्वामी का नाम/अभिभावक का नाम आदि की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ एक जाँच दल का गठन किया गया। जाँच दल के सदस्य निम्नवत हैं :-
- अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ - अध्यक्ष (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत)
 - अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम - सदस्य (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत)
 - महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा - सदस्य
 - संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी - सदस्य
 - संबंधित प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी - सदस्य
 - क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर - सदस्य
- II). निगरानी समिति के द्वारा सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सभी पक्षों को Section 5 अंतर्गत नोटिस निर्गत किया जाना है इस संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर द्वारा Dalma Eco- Sensitive Zone में अवस्थित 78 Industrial Units में से 52 Industrial Units का Latitude-Longitude चिन्हित करते हुए निगरानी समिति द्वारा प्रभात खबर दिनांक-04.08.2024 के प्रकाशन में नोटिस निर्गत कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
- III). तदोपरान्त 15 दिनों का अंतराल रखते हुए नियमानुसार द्वितीय एवं तदनुसार तृतीय नोटिस निर्गत किया जाना है।
- IV). Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त पक्षों के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए Chief Judicial Magistrate के कोर्ट में 90 दिनों अर्थात् दिनांक-26.10.2024 तक वाद दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :- अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ, अपर नगर आयुक्त मानगो, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र चाईबासा, संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी, संबंधित प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर)


NGT में दायर वाद O.A. No 567/2023/EZ renumbered as O.A. No 145/2023/EZ के संबंध में सभी सदस्यों को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक दिनांक-09.08.2024 हेतु अपना प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई है।


वरीय पदाधिकारी
विधि शाखा
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
 ज्ञापांक -2276(B)/विधि, दिनांक-06.08.2024


उपायुक्त
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारीको
 सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


वरीय पदाधिकारी
विधि शाखा


उपायुक्त

माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No- 567/2023/EZ renumbered as O.A No-145/2023/EZ के संदर्भ में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक: 15.07.2024 को सम्पन्न बैठक दिये गए निर्देश के आलोक में प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, निगरानी समिति, इको सेंसिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की अध्यक्षता में दिनांक: 22.07.2024 को अपराह्न 02:00 बजे प्रमण्डलीय कार्यालय, चाईबासा के सभागार में दलमा इको सेंसिटिव जोन के निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा संचारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

- दिनांक: 15.07.2024 को माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No-145/2023/EZ के संदर्भ में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची के ज्ञापक: 380 दिनांक: 18.07.2024 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यवाही के कंडिका 05 के अनुसार मुख्य सचिव महोदय, झारखण्ड द्वारा दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन में अवस्थित संरचनाओं के संदर्भ जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर दिनांक: 26.07.2024 तक सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस दिया जाय।

निगरानी समिति, दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी द्वारा उपरोक्त बैठक में दिये गए निर्देश के आलोक में दिनांक: 26.07.2024 तक संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस निर्गत करने का निर्देश उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निर्देशक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक, निगरानी समिति दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी को दिया गया।

(अनुपालन- उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निर्देशक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक, निगरानी समिति दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी)

- बैठक में यह बात प्रकार में आई कि Dalma Eco-Sensitive Zone अंतर्गत निर्मित संरचनाओं को नोटिस निर्गत करने हेतु संबंधित संरचनाओं के दखलकर्ता/भू-स्वामी का नाम/अभिभावक का नाम आदि की भी आवश्यकता है।

अतः संबंधित संरचनाओं के दखलकर्ता/भू-स्वामी का नाम/अभिभावक का नाम आदि के साथ सर्वे करने हेतु निम्न प्रकार से जांच दल का गठन किया जाता है :-

1. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ	-	अध्यक्ष (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत)
2. अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम	-	सदस्य (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत)
3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	-	सदस्य
4. संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी	-	सदस्य
5. संबंधित प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी	-	सदस्य
6. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर	-	सदस्य

उपरोक्त गठित जांच दल को दिनांक: 31.07.2024 तक निश्चित रूप से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(अनुपालन- अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/अपर उपायुक्त सरायकेला-खरसावाँ/अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/अंचल अधिकारी, मानगो/बोडाम/पलमदा/चाण्डिल/नीमडीह/वन क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्वी प्रक्षेत्र/परिचामी प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर/उप वन

- 55 -

23/07/24

संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक, निगरानी समिति दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी)

निगरानी समिति के उपरिथत सभी सदस्यों को आपसी सगन्धय स्थापित करते हुए मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-
संयोजक, निगरानी समिति दलमा
ईको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य
प्राणी आश्रयणी।

प्रमण्डलीय अधिकृत,
सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा
-सह-अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा
ईको सेंसिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

ज्ञापक- 547 दिनांक- 22-07-2024

प्रतिलिपि-उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक निगरानी समिति ईको सेंसिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी/अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम/जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर/अंचल अधिकारी, चाण्डल/नोमडीह, सरायकेला-खरसावाँ/अंचल अधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/बोझाम, पूर्वी सिंहभूम/पटमदा पूर्वी सिंहभूम/वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, परियंणी प्रक्षेत्र, चाण्डल/पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/जिला बागवानी पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/सरायकेला-खरसावाँ/जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/प्रशासक के प्रतिनिधि, स्वर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/ V.P. Corporate Services, Tata Steel, Jamshedpur/कांरखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

with feed'aw
22/07/24

Copy to all
S
23/7

कार्यालय: उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र
निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक... 1619
दिनांक... 25.07.2024
जमशेदपुर

आयुक्त के अधिकृत,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI - 834004
Phone.: 0651-2400852/2400851/2400850(Fax), Web site : www.jspcb.org

Ref. No. PC/JSR/S-15/02/.....

Ranchi, dated

From,

Dr. Mahendra Mahto,
Member Secretary.

To,

Head (Works)
M/s. STP Ltd.,
At-Mirzadih, Dimna Road,
P.O. - MGM Medical College,
Jamshedpur, Dist. - East Singhbhum

Sub: Regarding refusal of Consent to Operate (CTO) u/s 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Sir,

Whereas, you have, vide your Application Dated 26.05.2014 sought CTO u/s 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Whereas, inspection report, Ref. No. 2563 dated 09.10.2014 of Regional Office, Jamshedpur of office reveal (s) that you did not comply the following:

- (i) The unit falls under Dalma Wild Life sanctuary Eco sensitive zone as per MoEF, Govt. of India notification no. S.O. 680 (E) dated 29.03.2012
- (ii) The unit does not meet the distance criteria according to nature & category of industry as per above notification.

Whereas, you were, granted opportunity to show cause on 21.11.2014 vide letter No. G-4146 dated 10.11.2014. Your representative appeared in show cause and submitted the reply which did not satisfy with authentic documents.

The competent authority has, therefore, been pleased to refuse CTO u/s 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and u/s 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Yours faithfully,

Sd/-

(Dr. Mahendra Mahto)
Member Secretary

Ranchi, dated : 28.11.14

Memo No. : PC/JSR/S-15/02/..... G. G. G.

Copy to Dy Commissioner, East Singhbhum/ Director of Industry, Govt. of Jharkhand, Ranchi/ Chief Inspector of Factories, Ranchi/Regional Officer, Regional Office, Jamshedpur for information & necessary action.

(Dr. Mahendra Mahto)
Member Secretary

Received on 3-12-14
JSPCB. JSR.

-51-



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004
 Phone.:2403852, 2403851, Fax:0651- 2403850,

Ref.No. PC/JSR/S-15/02/.....

Ranchi, dated-

From,

R. N. Kashyap,
 Board Analyst.

To,

Head (Works)
 M/s. STP Ltd.,
 At -Mirzadih, Dimna Road,
 P.O. - MGM Medical College,
 Jamshedpur, Dist. - East Singhbhum

Sub:- Show cause notice in pursuance of section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Sir,

In compliance of the provisions provided under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, this Board grants you an opportunity to show cause on **21.11.2014** at **11.00 A.M.** in the Office Chamber of the **Member Secretary** as to why your consent application dated **26.05.2014** should not be rejected on the following grounds:

- (i) That, your unit falls under Dalma Wild Life sanctuary Eco sensitive zone as per MoEF, Govt. of India notification no. S.O. 680 (E) dated 29.03.2012

In case of failure to represent your part on date as mentioned above, your application for consent to operate shall be rejected and complaint under the aforesaid Acts shall be filed in the strict compliance of the law.

This is issued by the order of competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(R.N. Kashyap)
 Board Analyst

Memo No. PC/JSR/Air/L-05/14/.....*6.4.14.6*

Ranchi, dated-*10.11.14*

Copy forwarded to Regional Officer, Regional Office, JSPCB, Jamshedpur for information and necessary action.

6339
17-11-14

17-11-14
[Signature]

[Signature]
(R.N. Kashyap)
 Board Analyst
[Signature]
10.11.14

Chandan/Show Cause-JSR/143

17/11

~~58~~

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
WP.(C) No. 2442 of 2014

S T P Limited, a registered company under
the Indian Companies Act, 1956, Jamshedpur,
East Singhbhum ... Petitioner

Versus

The State of Jharkhand & Others ... Respondents

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SHREE CHANDRASHEKHAR

For the Petitioner : M/s. Rajiv Ranjan & H. K. Shikarwar,
Advocates

For the State : Mrs. Priya Shreshtha, J.C. to Sr. S.C. II

05/20.09.2014

The learned counsel appearing for the petitioner submits that the petitioner-company was established way back in the year, 1986 and it is in operation for more than last 26 years. It was granted valid license by the Government of Bihar and it has been granted emission consent orders since the year, 1989. Lastly, the petitioner-company submitted its request by depositing requisite fee on 24.05.2013 for grant of discharge consent certificate, for renewal of authorization for handling hazardous waste and emission consent orders. However, those orders have not been issued by the respondent-Jharkhand State Pollution Control Board nor any deficiency has been notified to the petitioner-company. It is therefore prayed that this writ petition may be disposed of directing the respondent no. 2 to take a decision on the applications/representations of the petitioner-company so that the petitioner-company starts its operation forthwith.

Mrs. Priya Shreshtha, J.C. to Sr. S.C. II appearing for the



respondent-State of Jharkhand submits that the application of the petitioner would be dealt with in accordance with law.

In view of the submission made by the counsel for the petitioner this writ petition is disposed of directing the respondent no.2 to take a decision on the application/representation of the petitioner-company within a period of two weeks.

Sd/- (Shree Chandrashekhar, J.)

Amit/

Submitted to the (True Copy)

Bimal Ranjan
26.9.2014

Copying Officer

Delegated under Rule 252 (11) of J.H.C. Reg.

Authorised JHC Act of 1972

The 4th Ashwini 1936

26/9/2014

(h) 26/9/2014



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद
Bihar State Pollution Control Board

- (d) The unit shall submit ambient air quality of 3 points before expansion & after expansion within a month.
- (e) List and quality of chemicals used every month shall be submitted within a month.
- (f) The unit shall submit waste disposal scheme within a month. If the conditions are not complied within stipulated time, the N.O.C shall be deemed to have been revoked.

sd/-

(I.S.Singh)
Zonal Officer-I

Memo.no.- T-4973 Patna, Dated- 14.11.95
Copy forwarded to M/s S.T.P Ltd Dimna Road, Mirzadin Jamshedpur, East Singhbhum/Addl. Secretary Dept. of Environment & Forest Bihar/ Dy. Chief Inspector of Factories, Patna, Bihar/Direct of Industry Bihar/Regional Officer, Jamshedpur for information & necessary action.

(Signature)
(I.S.Singh)
Zonal Officer-I

Bh/-13.11.95

Office : Belltron Bhawan, 2nd Floor, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800 02
Phone: Chairman: 281776, Member-Secretary: 281250, FAX: 0612-281050

Belltron Bhawan	: 3rd Floor, L.B.S. Nagar, Patna-23, Ph: 282265	Begusarai	: Industrial Area, Barauni, Begusarai-85 Ph: 06342-23297
Dhanbad	: HIG-I Sardar Patel Nagar, Hirapur, Dhanbad-826001, Ph: 0326-204933/203202	Bhagalpur	: P.O. Barari, Bhagalpur-812003, Ph: 0641-4057
Ranchi	: Industrial Area, Tupudana, Ranchi-834003, Ph: 0651-408810	Muzaffarpur	: Sarai Syed Ali Road, Technical Chowk, Muzaf 842001, Ph: 0121-232511



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

[CONSTITUTED UNDER SECTION 4 OF THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974]
 T.A.DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR),HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI-834004.
 Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850.

Ref No. PC/JSR/Air/S-15/02-13-6344

Date: 09/12/12

CONSENT TO OPERATE

With reference to the application dated 21.05.2012 of M/s. STP Limited, Mirzadih, Dimna Road, Mango, Jamshedpur for consent under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and that under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, he (they) is (are) granted consent to bring into use his(their) new/altered/existing outlet(s) for discharge of trade effluent and (or) domestic sewage and to operate his (their) industrial plant having installed production capacity to produce **Plasticised Pitch-40,000 MTPA, Hard Pitch-18000 MTPA At- Mirzadih, Dimna Road, Mango, Jamshedpur** for the period from 01.07.2012 to 30.06.2013 with the following conditions :

1. That, he(they) shall not make any alteration, addition, deletion or modification in the plant without the prior clearance from the Board.
2. That, he(they) shall abide by the obligations provided under section 24, 31 and 33A of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under section 20, 21, 23, 30 and 32 of the Act.
3. That, he(they) shall comply with the requirements of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 read with the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Rules, 1978.
4. That, he(they) shall abide by the obligations provided under section 22, 23 and 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under sections 24, 25 and 26 of the Act.
5. That, he(they) shall abide by the obligations provided under sections 5, 7, 8 and 9 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall extend co-operation in performing the functions entrusted under section 3, 10 and 11 of the Act.
6. That, he(they) shall abide by the applicable provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Hazardous Wastes (Management, Handling & Transboundary Movement) Rules, 2008; the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989; the Bio-medical Waste (Management & Handling) Rules, 1998; the Municipal Solid Wastes (Management & Handling) Rules, 2000 and the Batteries (Management & Handling) Rules, 2001.
7. That, he(they) shall maintain the quality of discharge and (or) ambient air and (or) emission and (or) noise level of environmental pollutants in conformity with the standards as laid under Rule 3 of the Environment (Protection) Rules, 1986.
8. That, he(they) shall monitor his(their) effluent(s), emission(s) and the ambient air, noise level regularly and shall submit the report to the Board in compliance of the condition laid in paragraph 7.

9. That, he(they) shall establish well equipped environmental laboratory with the facilities of system(s) of continuous monitoring of effluent(s), emission(s) ambient water quality(ies), ambient air quality(ies) and ambient noise level(s) and transferring them (monitoring results) to his(their) website(s) and to the e-mail address(es) of the key persons of Jharkhand State Pollution Control Board, Zonal Office, Kolkata and Ministry of Environment & Forests, Regional Office, Bhubneshwar with simultaneous displaying at prominent locations in front of his(their) premises. [*Unit(s) of medium and large scale under 17 categories of polluting industries of category A of EIA Notification, 2006.]
10. That, he(they) shall submit the environmental statement every year by 30th September and shall harvest all rain water precipitating in the premises and do three tier tree plantation in the premises as air barrier.
11. That, he(they) shall submit application for consent under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and that under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 again 120 days before the expiration of the consent order 30.06.2013 or within 30 days from the date of receipt of the order, whichever is earlier.
12. That, he(they) shall submit ambient air quality report, stack emission, noise level and effluent analysis report to the Board within consent period.
13. That, he(they) shall operate and maintain Effluent Treatment Plant regularly.
14. That, he(they) shall implement the rain water harvesting in the unit as per design submitted to the Board.
15. That, he(they) shall ensure the cleaning and wetting of ground regularly to improve house keeping.
16. That, he (they) shall keep the waste water in close circuit and shall ensure no discharge or seepage of any industrial effluent into the Dimna Nalla.
17. That, he (they) shall pay water cess under Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 to the Board based upon the water meter reading sealed in presence of Regional Officer, Jamshedpur.
18. That, he(they) shall develop plantation within and around the plant premises.
19. That, he(they) shall comply the provisions of Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement) Rules, 2008.

Sd/-
Member Secretary

Ranchi, Dated 03/12/12

Memo no. PC/JSR/Air/S-15/02-13 - 6344

Copy forwarded to M/s. STP Limited, Mirzadih, Dimna Road, Mango, Jamshedpur /Regional Officer, Regional Office-Cum-Laboratory, Jamshedpur for information & necessary action.


Member Secretary

Annexure - K

~~65-105~~

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W. P. (C) No. 7340 of 2012

S T P Limited, a registered Company
under the Indian Companies Act, 1956..... Petitioner

Versus

The Union of India & others Respondents.

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE APARESH KUMAR SINGH

For the Petitioner : Mr. H. K. Shikarwar, Adv.
For the Respondents : J. C. to A.G.

5/8.7.2013 Two weeks' time by way of last indulgence is granted to the learned counsel for the State to seek instruction and file counter affidavit in the matter, for which earlier time has also been granted.

List this case under the heading for admission as has been ordered by order dated 24th January, 2013 itself.

Till then, no coercive steps shall be taken against the petitioner.

(Aparesh Kumar Singh, J)

jk

ANNEXURE - L

~~ANNEXURE - C~~

~~64~~ 16

STP Limited

Mirajdi, Dimna Road, P.O. MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 831 018 Jharkhand, India
Tel: +91 90310 01668
Email: stpltd@stpltd.com
Website: www.stpltd.com
CIN: U23109WB1935PLC008423

Date 10 07 2024

To
The Regional Officer
Jharkhand State Pollution Control Board,
Jamshedpur

Sir

Sub. NGT Visit Report

This refers to your visit dated 11 05 2024 at our factory located at Dimna, Jamshedpur. The required points are given as follows

- 1 Name of the Company STP Limited
- 2 Year of establishment 1986
- 3 Electric Load (Contract Demand) : 210 KVA
- 4 Pollution Control Device Installed:
 - a) Water cooled Condenser installed to condensate the vapour into liquid phase, thereby reduces the air pollution
 - b) ETP installed @ 5 KL/day to reduce water pollution with Zero discharge facility. The treated water is used for cooling tower and heat exchanger.
 - c) Nine Chimneys installed to reduce air pollution
 - d) Three DG sets are installed with acoustic enclosure system to reduce sound pollution.
 - e) Power Factor meter is installed to increase power factor (0.98) for energy conservation.
 - f) Rainwater Harvesting Plant installed to make up ground water level.
- 5 Product Manufactured Coal Tar (Coal Tar Based Anti-Corrosive Products and Binder Pitch)
- 6 Production Capacity: 500 MT per Month
- 7 Plan to Shift Factory to Industrial area. We are searching for suitable land to shift the factory
- 8 Affidavit Letter stating the plan for shifting the factory (attached)
- 9 Number of Employee, Local and outside: 80
- 10 List of Client NTPC/IOCL/HINDALCO/L&T/BHEL/JSW/BIRLA CARBON/SHINE CARBON/VESUVIUS INDIA LTD./MES
- 11 Certificates: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EIL (Enclosed)
- 12 Revenue of STP Limited during 2023-24 Rs 13,65,20,769 00



Received on...
JSPCB, JSR.
Signature

Enc: ISO Certificates, EIL Certificate, High Court Stay order, Affidavit letter





Corporate Office: 707, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place
New Delhi - 110 019 India
Tel: +91 11 46561359, Customer Care: +91 81302 81114
Registered Office: Berger House, 129, Park Street, Kolkata - 700 017 India

1172
13-7-2024

13/07/24

-65-

62



For STP LIMITED
Authenticatory

Subscribed by me and signed
For STP LTD in the presence
of Notary

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

13/6/24

Receipt Number : cf9cbab1c2fb88befff9

Receipt Date : 13-Jun-2024 09:53:42 am

Receipt Amount : 100/-

Amount In Words : One Hundred Rupees Only

Document Type : Affidavit

District Name : EastSinghbhum

Stamp Duty Paid By : S T P LTD JAMSHEDPUR


Purpose of stamp duty paid : AFFIDAVIT

First Party Name : S T P LTD JAMSHEDPUR

Second Party Name : NA

GRN Number : 2402526794

This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-




This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः मूल या प्रतिलिपि या फोटो कॉपी द्वारा इस रसीद का दूसरे दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय प्रमाण है।

~~67~~ 69

AF-GUENVA0000 DU 09688



AFFIDAVIT

This is
a
Affidavit

For STP LIME
Authorized Signer



Identified by me and signed
for STP LIME
13/6/24
Authorized
Signature

13/6/24

ANNEXURE - M

- 68 -

170

~~ANNEXURE - D~~

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
 [Constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974]
 T A Division Building, HEC Complex, Dhurwa, Ranchi-834 004
 Phone: (0651)2400852/2400851/2400902/2400979, Fax (0651) 2400850, Web: www.jspcb.org

Date _____ / _____ / _____


Ref. No. _____

CONSENT TO OPERATE

With reference to the applications dated 11-06-2011 of **M/s SRG Iron & Steel (P) Ltd., Vill- Gerna, PO- Patumda** for consent under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and that under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, he(they) is (are) granted consent to bring into use his(their) new / altered / existing outlet(s) for discharge of trade effluent and (or) domestic sewage and to operate his (their) industrial plant having installed production capacity to produce **Pewrah & Kudali - 1200 MT/Y**, At- **Vill- Gerna, PO- Patumda**, for the period from 01.04.2011 to 31.03.2012 with the following conditions:

1. That, he (they) shall not make any alteration, addition, deletion or modification in the plant without the prior clearance from the Board.
2. That, he (they) shall abide by the obligations provided under sections 24, 31 and 33A of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under sections 20, 21, 23, 30 and 32 of the Act.
3. That, he (they) shall comply with the requirements of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 read with the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Rules, 1978
4. That, he (they) shall abide by the obligations provided under sections 22, 23 and 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under sections 24, 25 and 26 of the Act.
5. That, he (they) shall abide by the obligations provided under sections 5, 7, 8 and 9 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall extend co-operation in performing the functions entrusted under sections 3, 10 and 11 of the Act.
6. That, he (they) shall abide by the applicable provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986; the Hazardous Wastes (Management, Handling & Transboundary Movement) Rules 2008; the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989; the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998; the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.
7. That, he (they) shall maintain the quality of discharge and (or) emission and (or) noise level of environmental pollutants in conformity with the standards as laid under rule 3 of the Environment (Protection) Rules, 1986.
8. That, he (they) shall monitor his (their) effluent (s), emission (s) and the ambient air, noise level regularly and shall submit the report to the Board in compliance of the condition laid in paragraph 7.
9. That, he (they) shall establish well equipped environmental laboratory with the facilities of system (s) of continuous monitoring of effluent (s), emission (s), ambient water quality (ies), ambient air quality (ies) and ambient noise level (s) and transferring them (monitoring results) to his (their) website (s) and to the e-mail address (es) of the key persons of Jharkhand State Pollution Control Board; Central Pollution

H
29/94024
29/8/11

- 65 - 

... shall be required with simultaneous displaying at prominent locations in front of the his (their) premises. [°
Unit (s) of medium and large scale under 17 categories of polluting industries of category A of E I A
Notification, 2006.]

10. That, he (they) shall submit the environmental statement by 30th September every year and shall harvest
all rainwater precipitating in the premises and do three tier tree plantation as air barrier.

11. That, he (they) shall submit applications for consent under section 25/26 of the Water (Prevention &
Control of Pollution) Act, 1974 and that under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution)
Act, 1981 again 120 days before the expiration of the consent i.e. 31-03-2012 or within 120 days from
the date of receipt of this order, whichever is earlier.

12. That, he (they) shall Submit stock(s) monitoring report within consent period;

13. That, he (they) shall submit Ambient air quality monitoring report within consent period;

14. That, he (they) shall continue tree plantation and shall maintain;

sd/-
Board Analyst

Memo. No. 2402

Ranchi, Dated 27/8/11

Copy forwarded to Sri P D Pandey, M/s SRG Iron & Steel (P) Ltd., VIII- Gerua, PO- Patamda,
Jamshedpur / Regional Officer, R O-Cum-Laboratory, Jamshedpur for information and necessary action.

sd/-
Board Analyst
Am
20/8/11

~~-72-~~ 

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
 T.A. Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004
 Phone No:-2400852, 2400851, Fax No:- 2400850

Ref. No./JSPCB/C-26/10/

From -

Y. K. Das
 Member Secretary

To,

Sri Santosh Pandey
 M/s SRG Iron and Steel Pvt. Ltd.,
 At- Gerua, PO- Patamda, Dist- East Singhbhum

Dated.....

~~Annexure E (Series)~~

Sub.: Direction under section 33A of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.

Sir,

Whereas, Regional officer, Jamshedpur has informed that your unit falls under the Dalma Eco Sensitive Zone and falls under the prohibited category of industries.

Whereas, Regional officer, Jamshedpur has written a letter to you vide memo no. 463 dated 09.06.2022 in this regard and has directed to close down the operation of the plant with immediate effect.

Whereas, you are operating your unit without valid Consent to operate (CTO) from the Board.

Using the power conferred in u/s 33A of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the undersigned directs you to close down the operation of the plant with immediate effect and not to operate the plant without obtaining CTO from the Board.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
 (Y. K. Das)
 Member Secretary

Memo No.

Ranchi, dated :

Copy to: Chief Inspector of Factories, Ranchi/ Deputy Commissioner, East Singhbhum / DFO, East Singhbhum / GM, DIC, East Singhbhum / Secretary, Jharkhand State Electricity Board, Ranchi / Regional Officer, Regional Office, Jamshedpur for information & necessary action.

Sd/-
 (Y. K. Das)
 Member Secretary

Memo No. B-1886

Ranchi, dated : 13/9/2022

Copy to: Regional Officer, Regional Office, Jamshedpur for information & he is requested to serve this notice from his level also and submit the receipt copy of intimation.

(Y. K. Das)
 Member Secretary

Rizvi -New Closure/202

-73- 

SRG IRON & STEEL (P) LTD.

Date: 14.11.2022

To
The Regional Officer
New Housing Colony
Adityapur, Jamshedpur

Sub: - Reply regarding letter Ref No. - 975, dated: 07.11.2022

Ref: - J.S.P.C Board Letter No- 1886 dt. 13.09.2022

Respected Sir,

With reference to above subject we would like to inform you that we have fulfill all the formalities to take CTO from JSPCB but as per department our unit falls under Dalma Eco Sensitive Zone vide letter No-B 1886 dt 13.09.22 & my application for CTO Clearance has been rejected, we have taken CTO clearance in the Year 1999 & Dalma Eco Sensitive Zone is declared in the year 2012 from the government. We have already close down our operation of Plant but our neighbor STP Limited is running his plant in Eco Sensitive Zone (i.e. STP Limited), we are also moving to the court as our neighbor did (STP Limited) to operate his plant, because if we will not get the clearance we will be defaulter from the Bank our account will get NPA and to get Justice we have also proceed to the court according to the court instruction we will inform to the JSPCB, This is for your kind information.

Hope department will also agree & do the needful

With warm Regards

For SRG IRON & STEEL (P) LTD


Director



Office : 36, Humepipe Basti, Sakchi, Jamshedpur
Works : Vill. Gerua, Patamda, Jamshedpur
Phone : 0657-6553555, 6558555 Email : srg_kp@rediffmail.com Website : www.srgindiaagrico.com

- 74 -

26



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।

Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

दिनांक :

पत्राक

प्रेषक

राम प्रवेश कुमार,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
जमशेदपुर।

सेवा में,

M/s S.R.G. Iron & Steel Ltd,
ग्राम-गेरुआ, पटमदा,
जिला-पूर्वी सिंहभूम।

विषय :- इकाई में स्लैग स्क्रीनिंग के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.- 567/2023 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक-27.01.2024 को केन्द्रीय टीम एवं गठित समिति Advance Preliminary Survey Team 1 एवं 2 के सभी सदस्यों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आपके इकाई में Slag Screening का कार्य होते हुए पाया गया, स्क्रीनिंग के दौरान भारी मात्रा में डस्ट उत्सर्जन हो रहा था। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रीनिंग सेक्सन ढंका हुआ एवं जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं पायी गयी।

ज्ञातव्य हो कि पूर्व में आपकी इकाई में फावड़ा का उत्पादन करती थी जो स्थल निरीक्षण के दौरान बन्द पायी गयी। विदित हो कि पर्षद पत्रांक-1886 दिनांक-13.09.2022, पर्षद पत्रांक-975 दिनांक-07.11.2022 द्वारा इकाई दलमा Eco Sensitive zone में पडने के कारण बन्दी आदेश निर्गत किया गया था, साथ ही आपके द्वारा दिनांक-14.11.2022 को इकाई बन्द करने की सूचना पर्षद में समर्पित किया था। परन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने इकाई में मूल वस्तु की उत्पादन को बदल कर स्लैग स्क्रीनिंग करते पाया गया। इस परिवर्तन के लिए आपने पर्षद से वंचित सहमति भी प्राप्त नहीं की है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि अविलंब Slag Screening Plant को बन्द कर dismantal करे एवं डिस्मन्टल करने की सूचना पर्षद को अतिशीघ्र समर्पित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राम प्रवेश कुमार)

क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

ज्ञापक

99

प्रतिलिपि

/ आदित्यपुर, दिनांक : 30-01-2024

सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(राम प्रवेश कुमार)

क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

ANNEXURE - 0

~~ANNEXURE - F~~

- 75 -

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
W.P.(C) No. 732 of 2024

1. SRG Iron & Steel Limited represented by one of its Director namely, Shyamdhhar Pandey
 2. Sri Shyamdhhar Pandey
- Petitioners
- Versus**
- The State of Jharkhand & Others
- Respondents

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KUMAR DWIVEDI

For the Petitioners: Mr. Mahesh Tewari, Advocate
For the State : Mr. Rahul Saboo, G.P.-II
For the JSPCB : Mrs. Pinky Shaw, A.C. to Mrs. Richa Sanchita

05/Dated: 10/07/2024

Mr. Rahul Saboo, learned counsel for the State. on instruction submits that he has been informed that process of appointment of the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board has already started and advertisement and other formalities is already being made and he has been further instructed that in completing the process two months time will be consumed. He further submits that he has been instructed that Chairman of Jharkhand State Pollution Control Board is taking a decision with regard to pending matters.

2. In view of above submissions, learned counsel for the Jharkhand State Pollution Control Board shall take instruction and file counter affidavit with regard to the grievance of the petitioners within four weeks.

3. The pendency of this writ petition will not be an impediment to the Jharkhand State Pollution Control Board to take decision on the pending application dated 30.06.2022 filed by the petitioners.

4. Let it appear after four weeks under the appropriate heading.

(Sanjay Kumar Dwivedi, J.)

Satyarthi/

माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No- 567/2023/EZ renumbered as O.A No-145/2023/EZ के संदर्भ में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक: 15.07.2024 को सम्पन्न बैठक दिये गए निदेश के आलोक में प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, निगरानी समिति, इको सेंसिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की अध्यक्षता में दिनांक: 22.07.2024 को अपराह्न 02:00 बजे प्रमण्डलीय कार्यालय, चाईबासा के सभागार में दलमा इको सेंसिटिव जोन के निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा संधारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

- दिनांक: 15.07.2024 को माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No-145/2023/EZ के संदर्भ में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची के ज्ञापांक: 380 दिनांक: 18.07.2024 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यवाही के कंडिका 05 के अनुसार मुख्य सचिव महोदय, झारखण्ड द्वारा दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन में अवस्थित संरचनाओं के संदर्भ जानकारी प्राप्त करते हुए निदेशित किया गया कि सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर दिनांक: 26.07.2024 तक सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस दिया जाय।

निगरानी समिति, दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी द्वारा उपरोक्त बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में दिनांक: 26.07.2024 तक संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस निर्गत करने का निदेश उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशिक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक, निगरानी समिति दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी को दिया गया।

(अनुपालन- उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशिक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक, निगरानी समिति दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी)

- बैठक में यह बात प्रकाश में आई कि Dalma Eco-Sensitive Zone अंतर्गत निर्मित संरचनाओं को नोटिस निर्गत करने हेतु संबंधित संरचनाओं के दखलकर्ता/भू-स्वामी का नाम/अभिभावक का नाम आदि की भी आवश्यकता है।

अतः संबंधित संरचनाओं के दखलकर्ता/भू-स्वामी का नाम/अभिभावक का नाम आदि के साथ सर्वे करने हेतु निम्न प्रकार से जांच दल का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ | - | अध्यक्ष (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत) |
| 2. अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम | - | सदस्य (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत) |
| 3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा | - | सदस्य |
| 4. संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. संबंधित प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 6. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर | - | सदस्य |


उपरोक्त गठित जांच दल को दिनांक: 31.07.2024 तक निश्चित रूप से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।


(अनुपालन- अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/अपर उपायुक्त सरायकेला-खरसावाँ/अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/अंचल अधिकारी, मानगो/बोड़ाम/पटमदा/चाण्डिल/नीमडीह/वन क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्वी प्रक्षेत्र/पश्चिमी प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, जमशेदपुर/उप वन

संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर-राठ-संयोजक, निगरानी समिति
दलमा इको सेन्सिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी)

निगरानी समिति के उपरिष्ठत सभी सदस्यों को आपसी रागन्वय स्थापित करते हुए मुख्य सचिव,
खण्ड द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-
संयोजक, निगरानी समिति दलमा
ईको सेन्सिटिव जोन, दलमा वन्य
प्राणी आश्रयणी।


प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा
-सह-अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा
ईको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

ज्ञापक- S47 दिनांक- 22-07-2024

प्रतिलिपि-उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर-सह-संयोजक निगरानी समिति ईको सेन्सिटिव
जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी/अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/ अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम/जिला खनन
पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल,
सरायकेला -खरसावाँ/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन
प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ/क्षेत्रीय
पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पंषद, जमशेदपुर/अंचल अधिकारी, चाण्डिल/नीमडीह,
सरायकेला-खरसावाँ/अंचल अधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/बोडाम, पूर्वी सिंहभूम/पटमदा पूर्वी सिंहभूम/वन
क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल/पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला- खरसावाँ/जिला बागवानी पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/
सरायकेला-खरसावाँ/जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/
प्रशासक के प्रतिनिधि, स्वर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/ V.P. Corporate Services, Tata Steel, Jamshedpur/कारखाना
निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


आयुक्त के सचिव,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।

185-182

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	दिनांक
55	विपरीत	पक्का मकान	82	21.08.2024
56	विपरीत	पक्का मकान	501	21.08.2024
57	विपरीत	पक्का मकान	525	21.08.2024
58	विपरीत	पक्का मकान	491	21.08.2024
59	विपरीत	पक्का मकान	527	21.08.2024
60	विपरीत	पक्का मकान	532	21.08.2024
61	विपरीत	पक्का मकान	110	21.08.2024
62	विपरीत	पक्का मकान	142	21.08.2024
63	विपरीत	पक्का मकान	96	21.08.2024
64	विपरीत	पक्का मकान	174	21.08.2024
65	विपरीत	पक्का मकान	66	21.08.2024
66	विपरीत	पक्का मकान	78	21.08.2024
67	विपरीत	पक्का मकान	172	21.08.2024
68	विपरीत	पक्का मकान	131	21.08.2024
69	विपरीत	पक्का मकान	123	21.08.2024
70	विपरीत	पक्का मकान	161	21.08.2024
71	विपरीत	पक्का मकान	145	21.08.2024
72	विपरीत	पक्का मकान	148	21.08.2024
73	विपरीत	पक्का मकान	147	21.08.2024
74	विपरीत	पक्का मकान	159	21.08.2024
75	विपरीत	पक्का मकान	26	21.08.2024
76	विपरीत	पक्का मकान	131	21.08.2024
77	विपरीत	पक्का मकान	165	21.08.2024
78	विपरीत	पक्का मकान	114	21.08.2024
79	विपरीत	पक्का मकान	180	21.08.2024
80	विपरीत	पक्का मकान	94	21.08.2024
81	विपरीत	पक्का मकान	88	21.08.2024
82	विपरीत	पक्का मकान	192	21.08.2024
83	विपरीत	पक्का मकान	28	21.08.2024
84	विपरीत	पक्का मकान	195	21.08.2024
85	विपरीत	पक्का मकान	116	21.08.2024
86	विपरीत	पक्का मकान	200	21.08.2024

PR 332248 Forest, Environment and Climate Change (24-25)D
 सच वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	दिनांक
60	विपरीत	पक्का मकान	24	20.08.2024
61	विपरीत	पक्का मकान	115	20.08.2024
62	विपरीत	पक्का मकान	200	20.08.2024
63	विपरीत	पक्का मकान	247	20.08.2024
64	विपरीत	पक्का मकान	218	20.08.2024
65	विपरीत	पक्का मकान	286	20.08.2024
66	विपरीत	पक्का मकान	384	20.08.2024
67	विपरीत	पक्का मकान	387	20.08.2024
68	विपरीत	पक्का मकान	382	20.08.2024
69	विपरीत	पक्का मकान	381	20.08.2024
70	विपरीत	पक्का मकान	343	20.08.2024
71	विपरीत	पक्का मकान	299	20.08.2024
72	विपरीत	पक्का मकान	302	20.08.2024
73	विपरीत	पक्का मकान	303	20.08.2024
74	विपरीत	पक्का मकान	292	20.08.2024
75	विपरीत	पक्का मकान	229	20.08.2024
76	विपरीत	पक्का मकान	295	20.08.2024
77	विपरीत	पक्का मकान	218	20.08.2024
78	विपरीत	पक्का मकान	148	20.08.2024
79	विपरीत	पक्का मकान	149	20.08.2024
80	विपरीत	पक्का मकान	5	20.08.2024
81	विपरीत	पक्का मकान	211	20.08.2024
82	विपरीत	पक्का मकान	215	20.08.2024
83	विपरीत	पक्का मकान	130	20.08.2024
84	विपरीत	पक्का मकान	297	20.08.2024
85	विपरीत	पक्का मकान	94, 95	20.08.2024
86	विपरीत	पक्का मकान	72, 71	20.08.2024
87	विपरीत	पक्का मकान	72	20.08.2024
88	विपरीत	पक्का मकान	61	20.08.2024
89	विपरीत	पक्का मकान	72	20.08.2024
90	विपरीत	पक्का मकान	73	20.08.2024
91	विपरीत	पक्का मकान	2	20.08.2024
92	विपरीत	पक्का मकान	125, 126	20.08.2024
93	विपरीत	पक्का मकान	89	20.08.2024
94	विपरीत	पक्का मकान	119	20.08.2024
95	विपरीत	पक्का मकान	154	20.08.2024
96	विपरीत	पक्का मकान	133	20.08.2024
97	विपरीत	पक्का मकान	165	20.08.2024

PR 332247 Forest, Environment and Climate Change (24-25)D
 सच वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, जमशेदपुर

**आरक्षण सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-
संयोजक, निगमानी समिति, दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा
वन्यप्राणी आश्रयणी**

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस

सुनवाई के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान / भूकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगमानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कडिका 4 (6) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अदोहस्ताक्षरों के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगमानी समिति द्वारा नियमानुसार विविध-व्यक्त कार्यवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / मू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	दुरुङ्गरी	93	333	पक्का मकान	सीमा कान्त महतो	23.08.2024
2	दुरुङ्गरी	93	333	पक्का मकान	मजु रानी जेहान	23.08.2024
3	दुरुङ्गरी	93	334	पक्का मकान	श्रीमती मजु रानी जेहान	23.08.2024
4	दुरुङ्गरी	93	334	पक्का मकान	मुबन चन्द्र महतो	23.08.2024
5	दुरुङ्गरी	9	212	पक्का मकान	करकलता घोष	23.08.2024
6	दुरुङ्गरी	9	212	पक्का मकान	गीतारानी महतो	23.08.2024
7	दुरुङ्गरी	9	212	पक्का मकान	विश्व रंजन महतो	23.08.2024
8	दुरुङ्गरी	94	208	पक्का मकान	महेश्वर महतो	23.08.2024
9	दुरुङ्गरी	94	209	पक्का मकान	निमाई चन्द्र महतो	23.08.2024
10	दुरुङ्गरी	94	209	पक्का मकान	हेगलता महतो	23.08.2024

16/08/2024
17/08/2024

- 82 -

84

11	बुरुङ्गरी	94	210	पक्का मकान	नागेश्वर महतो	23.08.2024
12	बुरुङ्गरी	45	321	पक्का मकान	मानीकलाल दे	23.08.2024
13	बुरुङ्गरी	45	321	पक्का मकान	श्रीमती अनीता गुप्ता	23.08.2024
14	बुरुङ्गरी	45	321	पक्का मकान	वासुदेव सिंह	23.08.2024
15	बुरुङ्गरी	92	324	पक्का मकान	श्रीमती सुरेन्द्रानी जेहान	23.08.2024
16	बुरुङ्गरी	31	326	पक्का मकान	मधुसुदन महतो	23.08.2024
17	बुरुङ्गरी	45	321	पक्का मकान	खाखी महतानी	23.08.2024
18	बुरुङ्गरी	81	318	पक्का मकान	श्यामापदो सिंह	23.08.2024
19	बुरुङ्गरी	81	318	पक्का मकान	श्री जयन्त कुमार सिंह	23.08.2024
20	बुरुङ्गरी	81	318	पक्का मकान	रंजु कुमारी	23.08.2024
21	बुरुङ्गरी	54	301	पक्का मकान	जवाहर लाल सिंह	23.08.2024
22	बुरुङ्गरी	6	304	पक्का मकान	इन्द्र गोपाल मिश्रा	23.08.2024
23	बुरुङ्गरी	54	303	पक्का मकान	जोगेश्वर प्रसाद सिंह	23.08.2024
24	बुरुङ्गरी	94	310	पक्का मकान	भरत महतो	23.08.2024
25	बुरुङ्गरी	65	311	पक्का मकान	गीठारानी महतो	23.08.2024
26	बुरुङ्गरी	65	311	पक्का मकान	जनशुक लाल चावड़ा	23.08.2024
27	बुरुङ्गरी	65	311	पक्का मकान	रेशनी प्रफुल्ल चावड़ा	23.08.2024
28	बुरुङ्गरी	90	315	पक्का मकान	भवती	23.08.2024
29	बुरुङ्गरी	90	315	पक्का मकान	हीनम कुमार राठौर	23.08.2024
30	बुरुङ्गरी	90	315	पक्का मकान	उमेश कुमार राठौर	23.08.2024
31	बुरुङ्गरी	30	242	पक्का मकान	जीतू महतो	23.08.2024
32	बुरुङ्गरी	30	243	पक्का मकान	मुकुन्द महतो	23.08.2024
33	बुरुङ्गरी	30	243	पक्का मकान	शांतिनय चटर्जी	23.08.2024
34	बुरुङ्गरी	30	242	पक्का मकान	नारायण चन्द्र बनर्जी	23.08.2024
35	बुरुङ्गरी	30	244	पक्का मकान	सुर्यनारायण महतो	23.08.2024
36	बुरुङ्गरी	30	244	पक्का मकान	महावीर प्रसाद महतो	23.08.2024
37	बुरुङ्गरी	30	245	पक्का मकान	शिवानी महतो	23.08.2024
38	बुरुङ्गरी	30	245	पक्का मकान	नव किशोर महतो	23.08.2024
39	बुरुङ्गरी	30	248	पक्का मकान	नन्दलाल कुन्डार	23.08.2024
40	बुरुङ्गरी	30	248	पक्का मकान	संजना महतानी	23.08.2024

42	बुरुङ्गरी	30	281	पक्का मकान	श्रीमती डिगला देवी	23.08.2024
43	बुरुङ्गरी	103	254	पक्का मकान	डाक बंगला	23.08.2024
44	बांघडीह	63	277	पक्का मकान	मंगली कुम्हारिन	23.08.2024
45	बांघडीह	25	1251	पक्का मकान	गुरुररण	24.08.2024
46	बांघडीह	6	1402	पक्का मकान	अमर सिंह	24.08.2024
47	बांघडीह	6	1388	पक्का मकान	अमर सिंह	24.08.2024
48	बांघडीह	6	1387	पक्का मकान	नौचौराम सिंह	24.08.2024
49	बांघडीह	133	1449	पक्का मकान	बखालाल सिंह	24.08.2024
50	बांघडीह	126	1473	पक्का मकान	रुप सिंह	24.08.2024
51	बांघडीह	30	1663	पक्का मकान	गुहोराम	24.08.2024
52	बांघडीह	140	1378	पक्का मकान	सिदान सिंह	24.08.2024
53	बांघडीह	134	1377	पक्का मकान	लाल सिंह	24.08.2024
54	बांघडीह	140	1379	पक्का मकान	उत्तरल सिंह	24.08.2024
55	बांघडीह	134	1380	पक्का मकान	लाल सिंह	24.08.2024
56	बांघडीह	134	1381	पक्का मकान	लाल सिंह	24.08.2024
57	बांघडीह	48	1363	पक्का मकान	तरुण सिंह	24.08.2024
58	बांघडीह	48	1362	पक्का मकान	तरुण सिंह	24.08.2024
59	बांघडीह	159	1371	पक्का मकान	हाजीराम सिंह	24.08.2024
60	फारंगा	159	1364	पक्का मकान	तरुण सिंह	24.08.2024
61	फारंगा	18	187	पक्का मकान	दिशम्बर कालिन्दी	24.08.2024
62	फारंगा	22	191	पक्का मकान	नेपाल महतो	24.08.2024
63	फारंगा	107	190	पक्का मकान	जाहूर गोरई	24.08.2024
64	फारंगा	20	199	पक्का मकान	कोरि गोरई	24.08.2024
65	फारंगा	36	264	पक्का मकान	पलटन गोरई	24.08.2024
66	फारंगा	15	176	पक्का मकान	तरणी गोरई	24.08.2024
67	फारंगा	69	273	पक्का मकान	पंकज मंडल	24.08.2024
68	फारंगा	19	274	पक्का मकान	शिशिर मंडल	24.08.2024
69	फारंगा	56	314	पक्का मकान	सन्ध्यास कुटीर	24.08.2024
70	फारंगा	56	314	पक्का मकान	अनिल कालिन्दी	24.08.2024
				पक्का मकान	देवी प्रसाद मंडल	24.08.2024

71	फारिंगा	30	199	पक्का मकान	कृष्णा महतो	24.08.2024
72	फारिंगा	30	199	पक्का मकान	लक्ष्मी पद गोराई	24.08.2024
73	फारिंगा	21	184	पक्का मकान	हितिक महतो	24.08.2024
74	फारिंगा	56	314	पक्का मकान	दीपु मंडल	24.08.2024
75	फारिंगा	73	158	पक्का मकान	वासुदेव मंडल	24.08.2024
76	फारिंगा	73	158	पक्का मकान	सताप मंडल	24.08.2024
77	फारिंगा	73	158	पक्का मकान	अजित मंडल	24.08.2024
78	फारिंगा	71	156	पक्का मकान	किरीटी मंडल	24.08.2024
79	फारिंगा	71	156	पक्का मकान	रंजीत मंडल	24.08.2024
80	फारिंगा	72	316	पक्का मकान	सखिन्द्र मंडल	24.08.2024
81	फारिंगा	102	153	पक्का मकान	शरत कुं0 मंडल	24.08.2024
82	फारिंगा	113	318	पक्का मकान	दत्तन मंडल	24.08.2024

उप बग सखिक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
PR.NO.332261 Forest, Environment and Climate Changes(24-25):D

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलगा इको सेन्सिटिव जोन दलगा वन्यप्राणी आश्रयणी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई के संबंध में

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलगा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलगा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कंडिका 4 (b) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसन्वत कार्रवाई वाज्यता होगी।

Sl No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / मू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	झरीडीह	22	426	पक्का मकान	निलकण्ठ सिंह	22.08.2024
2	झरीडीह	22	425	पक्का मकान	बैकुण्ठ सिंह	22.08.2024
3	झरीडीह	33	427	पक्का मकान	बनमाली सिंह	22.08.2024
4	झरीडीह	33	428	पक्का मकान	बनमाली सिंह	22.08.2024
5	झरीडीह	37	362	पक्का मकान	शंकर सिंह	22.08.2024
6	झरीडीह	25	351	पक्का मकान	प्रहलाद सिंह	22.08.2024
7	झरीडीह	49	346	पक्का मकान	सुकदेव सिंह	22.08.2024
8	झरीडीह	45	337	पक्का मकान	रूप सिंह	22.08.2024

10	झरीडीह	50	331	पक्का मकान	सुफल सिंह	22.08.2024
11	झरीडीह	19	329	पक्का मकान	दुलर्न सिंह	22.08.2024
12	झरीडीह	19	420	पक्का मकान	उपेन्द्र सिंह	22.08.2024
13	झरीडीह	27	391	पक्का मकान	फागु सिंह	22.08.2024
14	झरीडीह	41	318	पक्का मकान	माहन सिंह	22.08.2024
15	झरीडीह	7	240	पक्का मकान	डानम सिंह	22.08.2024
16	डाहुबड़ा	82	307	पक्का मकान	मंगली मुमिजानी	22.08.2024
17	डाहुबड़ा	43	803	पक्का मकान	जलो मुमिजानी	22.08.2024
18	डाहुबड़ा	174	810	पक्का मकान	सुरेन्द्र चौधरी	22.08.2024
19	डाहुबड़ा	1	817	पक्का मकान	केशो सिंह	22.08.2024
20	डाहुबड़ा	1	825	पक्का मकान	केशो सिंह	22.08.2024
21	डाहुबड़ा	38	732	पक्का मकान	चित्तानि	22.08.2024
22	डाहुबड़ा	2	733	पक्का मकान	प्रहलाद सिंह	22.08.2024
23	डाहुबड़ा	2	735	पक्का मकान	प्रहलाद सिंह	22.08.2024
24	डाहुबड़ा	84	752	पक्का मकान	मान सिंह	22.08.2024
25	डाहुबड़ा	104	754	पक्का मकान	लीलननी	22.08.2024
26	डाहुबड़ा	28	763	पक्का मकान	खडिया बस्ती	22.08.2024
27	डाहुबड़ा	70	513	पक्का मकान	बुधु गोराई	22.08.2024
28	डाहुबड़ा	70	545	पक्का मकान	बुधु गोराई	22.08.2024
29	डाहुबड़ा	70	546	पक्का मकान	बुधु गोराई	22.08.2024
30	डाहुबड़ा	34	190	पक्का मकान	चन्द्र देव तिवारी	22.08.2024
31	डाहुबड़ा	7	69	पक्का मकान	अल्पना भूमियानी	22.08.2024
32	डाहुबड़ा	128	237	पक्का मकान	अतुल सिंह	22.08.2024
33	डाहुबड़ा	48	417	पक्का मकान	देवेन्द्र नाथ दास	22.08.2024
	डाहुबड़ा	79	318	पक्का मकान	मनसा राम	22.08.2024

35	डाहुवेडा	79	319	पक्का मकान	मनसा राम	22.08.2024
36	डाहुवेडा	88	346	पक्का मकान	माची राम	22.08.2024
37	डाहुवेडा	50	347	पक्का मकान	धूम सिंह	22.08.2024
38	डाहुवेडा	101	294	पक्का मकान	लाल सिंह	22.08.2024
39	डाहुवेडा	57	292	पक्का मकान	पहलान सिंह	22.08.2024
40	डाहुवेडा	53	242	पक्का मकान	नकूल सिंह	22.08.2024
41	डाहुवेडा	62	414	पक्का मकान	प्रेम सिंह	22.08.2024
42	डाहुवेडा	74	420	पक्का मकान	कान्हो सिंह	22.08.2024
43	टेंगाडीह	71	1364	पक्का मकान	जगत मोदी	22.08.2024
44	टेंगाडीह	71	1365	पक्का मकान	श्री गुरुचरण मोदी	22.08.2024
45	टेंगाडीह	71	1366	पक्का मकान	श्री घर	22.08.2024
46	टेंगाडीह	193	1368	पक्का मकान	रवि माझी	22.08.2024
47	टेंगाडीह	231	2050	पक्का मकान	सुका नांझी	22.08.2024
48	टेंगाडीह	231	2016	पक्का मकान	बलाय मांझी	22.08.2024
49	टेंगाडीह	70	695	पक्का मकान	जगयधु सिंह	22.08.2024
50	टेंगाडीह	248	696	पक्का मकान	करुणा सिंह	22.08.2024
51	टेंगाडीह	91	684	पक्का मकान	दन्दो सिंह	22.08.2024
52	टेंगाडीह	78	810	पक्का मकान	जगन्धु सिंह	22.08.2024
53	बचकमकोचा	10	97	पक्का मकान	रमेश पाल	22.08.2024
54	बचकमकोचा	10	98	पक्का मकान	सधानाथ पाल	22.08.2024
55	बचकमकोचा	39	99	पक्का मकान	ठाकूरदास मांझी	22.08.2024
56	बचकमकोचा	86	361	पक्का मकान	सोमरा मांझी	22.08.2024
57	बचकमकोचा	6	364	पक्का मकान	रोही मांझी	22.08.2024
58	बचकमकोचा	29	365	पक्का मकान	गुलिया मांझी	22.08.2024
59	बचकमकोचा	25	368	पक्का मकान	गनधरी मांझी	22.08.2024

- 86 -

199

58	बचकमकोचा	25	368	पक्का मकान	गनधरी मांडी	22.08.2024
59	बचकमकोचा	54	373	पक्का मकान	मंजुरी	22.08.2024
60	बचकमकोचा	59	380	पक्का मकान	काठी मांडीयान	22.08.2024
61	बचकमकोचा	3	126	पक्का मकान	गुडीराम मांडी	22.08.2024
62	बचकमकोचा	84	127	पक्का मकान	शोभरा मांडी	22.08.2024
63	बचकमकोचा	73	130	पक्का मकान	भतला मांडी	22.08.2024
64	बचकमकोचा	43	131	पक्का मकान	नयु निवों	22.08.2024
65	बचकमकोचा	30	140	पक्का मकान	गुडी मांडी	22.08.2024
66	बचकमकोचा	49	142	पक्का मकान	नईका मांडी	22.08.2024
67	बचकमकोचा	68	328	पक्का मकान	मंगल मांडी	22.08.2024
68	बचकमकोचा	54	327	पक्का मकान	दत्तमत मांडी	22.08.2024
69	बचकमकोचा	31	323	पक्का मकान	किस्तो सिंह	22.08.2024
70	बचकमकोचा	31	315	पक्का मकान	किस्तो सिंह	22.08.2024
71	बचकमकोचा	36	310	पक्का मकान	श्रीमती छुटी मुनि	22.08.2024
72	बचकमकोचा	22	304	पक्का मकान	कदारनाथ दों	22.08.2024
73	बचकमकोचा	2	649	पक्का मकान	उधो नूभिज	22.08.2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर

PR 332252 Forest, Environment and Climate Changes (24-25)_D

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी
समिति, दलमा इको-सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

**श्रीरक्ष्य (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत
जालिया खुलवाई के संक्षेप में**

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान /मकान दलमा-इको-सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन-अधिनियमों के त्रिस्तरीयों के त्रिस्तरीयों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि, खुलवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधीहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपने पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्बन्धित कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	इच्छा एवं निश्चित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	निजाडीह	निजाडीह	176, 177, 178, 179	एस्कोरसो इस्टेक इण्डिया प्राडलिड	12.08.2024
2.	निजाडीह	निजाडीह	410, 417	धनवन्ती डिस्ट्रिब्यूटर प्राडलिड पक्का चारदीवारी गोदाम	12.08.2024
3.	निजाडीह	निजाडीह	273, 285, 288	मर्सो क्यूडन कन्स्ट्रक्शन प्राडलिड कम्पनी	12.08.2024
4.	निजाडीह	निजाडीह	282, 283, 272, 253, 272, 282, 253/A	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी गाय सेडू	12.08.2024
5.	निजाडीह	निजाडीह	182, 165, 175	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी गैरज	12.08.2024
5.	निजाडीह	निजाडीह	260, 261, 270, 277	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी एवं गोदाम	12.08.2024
7.	निजाडीह	निजाडीह	275	M/S S.P.G Enterprise चारदीवारी	12.08.2024
8.	निजाडीह	निजाडीह	263, 264, 268, 269, 265, 266	M/S S.P.G Enterprise गोदाम एवं पक्का चारदीवारी	12.08.2024
9.	निजाडीह	निजाडीह	324, 309, 339, 343, 345, 323	जय माता दी इन्टर प्राइजेज चारदीवारी	12.08.2024
10.	निजाडीह	निजाडीह	1175, 1177, 1176, 1179	मेसर्स चन्द्रा आकष प्राडलिड कम्पनी प्राडी	12.08.2024
11.	निजाडीह	निजाडीह	321	M/S धनवन्ती डिस्ट्रिब्यूटर प्राडलिड पक्का चारदीवारी	12.08.2024
12.	निजाडीह	निजाडीह	694, 695, 693, 708, 709, 710	आनन्द विहार प्रोमोटर एवं डेवलपर्स प्राडलिड पक्का चारदीवारी	12.08.2024
13.	निजाडीह	निजाडीह	1175, 1178, 1179, 1180, 1182	A.D.L साहन स्कूल बिल्डिंग एवं चारदीवारी	12.08.2024
14.	निजाडीह	निजाडीह	940	पक्का चारदीवारी एवं टीना शेड पानी फिल्टर प्लांट	12.08.2024

PR 3



1. दि: 3
2. पृ: 1

15.	मिजाडीह	मिजाडीह	1091, 1092, 1093, 1094	1091, 1092, 1093, 1094	S.T.P Ltd अलाकतरा फर्की	12.08.2024
16.	मिजाडीह	मिजाडीह	649, 650, 640, 639, 641, 642, 643, 644, 648, 585	649, 650, 640, 639, 641, 642, 643, 644, 648, 585	पारिक इन प्रालिम टीना शेड एवं पक्का चारदीवारी मकान	12.08.2024
17.	मिजाडीह	मिजाडीह	937, 938	937, 938	ज्ञान गुण पब्लिक स्कूल	12.08.2024
18.	मिजाडीह	मिजाडीह	72	72	गाय पालन टीना शेड	12.08.2024
19.	मिजाडीह	मिजाडीह	1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1198, 1199	1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1198, 1199	संत श्री आचारनजी आश्रम पक्का चारदीवारी	12.08.2024
20.	गेरुआ	गेरुआ	260, 261, 262	260, 261, 262	SRG Iron and Steels (P) Ltd	12.08.2024
21.	गेरुआ	गेरुआ	698	698	एमएसओ पुजा इन्टरप्राइजेज	12.08.2024
22.	गेरुआ	गेरुआ	778	778	एमएसओ पुजा इन्टरप्राइजेज	12.08.2024
23.	गेरुआ	गेरुआ	40	40	इण्डेन गैस गोदाम	12.08.2024
24.	गेरुआ	गेरुआ	143, 144	143, 144	फरपसव्वाक इट्ट प्लांट	12.08.2024
25.	गेरुआ	गेरुआ	485	485	फेरसव्वाक इट्ट प्लांट वर्तमान बन्द है।	12.08.2024
26.	गेरुआ	गेरुआ	259	259	विगीव मुनार सिंह कन्सल्टिंग प्रकका चारदीवारी	12.08.2024
27.	गेरुआ	गेरुआ	243, 241	243, 241	पतंजली ट्रस्ट प्रकका चारदीवारी	12.08.2024
28.	गेरुआ	गेरुआ	232, 2397, 231, 233, 242	232, 2397, 231, 233, 242	पतंजली ट्रस्ट मकान एवं पक्का चारदीवारी	12.08.2024
29.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	269	269	रोजम एवं गाडी पार्किंग प्रकका चारदीवारी	12.08.2024
30.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	270	270	फिरस व्वाक इट्ट प्लांट वर्तमान बन्द है।	12.08.2024
31.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	201	201	फरसव्वाक इट्ट प्लांट	12.08.2024
32.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	233	233	आम पालन प्रकका चारदीवारी	12.08.2024
33.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	235	235	आम पालन प्रकका चारदीवारी	12.08.2024
34.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	237	237	गिट्टी गलुं मिक्सचर प्लांट	12.08.2024
35.	प्रातिपानी	प्रातिपानी	137	137	फरसव्वाक इट्ट प्लांट	12.08.2024
36.	हलुदवनी	हलुदवनी	245	245	लाइन होटल	12.08.2024
37.	हलुदवनी	हलुदवनी	360, 361	360, 361	गाडी पार्किंग एवं चारदीवारी	12.08.2024
38.	हलुदवनी	हलुदवनी	198, 199	198, 199	S.S Engineers Works Shop	12.08.2024
39.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	32	32	दलमा हील होटल	13.08.2024
40.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	93	93	New Naryan Tailor Service	13.08.2024
41.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	33	33	Sindhi ware Fiver	13.08.2024
42.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	33	33	Fiver Universal	13.08.2024
43.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	37	37	Labour Hotel	13.08.2024
44.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	37	37	OM Road Live	13.08.2024
45.	कान्दरवेडा	कान्दरवेडा	37	37	रोजम माता दवाखाना	13.08.2024

कान्चस्वेड़ा	37	देशी माता देवाधाना	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	55	जगजोत होटल	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	49, 50	Ware House परका मकान	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	504, 505	Shamliha Boundary Building 2 मजिला परका मकान	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	506	H.P. Petrol Pump	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	558, 560	Mithila Motor	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	581	Nirmal Transport	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	566	Omi Logistic	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	614, 617	Runa Bombay Transport	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	437, 438, 439	Silver sand Resort	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	259	Guineeet Hotel	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	159	Subheccha Hofel	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	551	Petrol Pump	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	540	B.P. Pump	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	539	Tata Genqus Part	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	532	Tata Genous Part	13.08.2024
कान्चस्वेड़ा	533	Tata Genous Part	13.08.2024
रामगढ़	40, 41	Ware House (Reliance Jiomart)	13.08.2024
रामगढ़	44, 746	Jai Maa Tarini Hotel (Ramgarh)	13.08.2024
रामगढ़	750	Shatrughan Hotel	13.08.2024
रामगढ़	118	बारा का ढाबा (होटल)	13.08.2024
रामगढ़	155, 160	GTI Truck Garrage	13.08.2024
रामगढ़	171	Scrap Godown	13.08.2024
रामगढ़	175, 176, 177	Banke Bihari Auto Motors Ltd. (Mahindra)	13.08.2024
रामगढ़	180	BEBCO Trucking (Truck Garrage service Centre)	13.08.2024
रामगढ़	179, 180	Rachal Transport Co. (Truck Garrage)	13.08.2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर

PR 331720: Forest, Environment and Climate Changes (24-25) D

101
12
101

**झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गृह परियोजना, जयशानपुर, सह-संयोजक,
निगरानी समिति, दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी**

पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस मुनवाई के संबंध में

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	मूलांक की तिथि दिनांक
1	दलमा	3	4	AGCS FOOD & SPICES PVT.LTD	22.08.2024
2	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
3	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
4	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
5	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
6	दलमा	10	20	Smruti Seva Sadaan Hospital	22.08.2024
7	दलमा	10	20	R.V.S. School	22.08.2024
8	दलमा	10	21	Dayal Steel Construction Pvt.Ltd	22.08.2024
9	दलमा	9	29, 21	R.V.S. Academy	22.08.2024
10	दलमा	9	1751, 1752	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
11	दलमा	9	1761	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
12	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
13	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
14	दलमा	10	19	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
15	दलमा	9	1109, 1317, 1379	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
16	दलमा	9	1753, 1755, 1756, 760, 1749, 1757, 1748, 747, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770, 1776, 1771, 1772, 1775	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
17	दलमा	9	1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1773, 1303, 1304, 1305, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1327, 1328, 1324, 1325, 1320, 1321, 1322, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1377, 1376, 1360, 1359, 5017	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024
18	दलमा	10	803	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	22.08.2024

**झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गृह परियोजना, जयशानपुर, सह-संयोजक,
निगरानी समिति, दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी**

पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस मुनवाई के संबंध में

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	मूलांक की तिथि दिनांक
1	दलमा	3	4	AGCS FOOD & SPICES PVT.LTD	22.08.2024
2	दलमा	10	176, 177, 178, 179	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	27.08.2024
3	दलमा	10	410, 417	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	27.08.2024
4	दलमा	10	273, 285, 282	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	27.08.2024
5	दलमा	10	282, 283, 272, 253, 274, 382, 253/A	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
6	दलमा	10	182, 165, 175	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
7	दलमा	10	260, 261, 270, 277	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
8	दलमा	10	275	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
9	दलमा	10	263, 264, 268, 269, 265, 266	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
10	दलमा	10	324, 309, 339, 343, 345, 343	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
11	दलमा	10	1175, 1177, 1178, 1179	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	27.08.2024
12	दलमा	10	321	M/S S.P.G Enterprise वन्यप्राणी आश्रयणी	27.08.2024
13	दलमा	10	694, 695, 693, 708, 709, 710	श्री मती इस्लाम स्मॉल आर्टिजानल प्रोडक्ट्स	27.08.2024

15.08.2024

~~103~~

Sl. No.	Particulars	Area	Value	Rate	Completion Date	Remarks
19	785,782	...	22.08.2024	...
20	776	...	22.08.2024	...
21	798	...	22.08.2024	...
22	798	...	22.08.2024	...
23	798	...	22.08.2024	...
24	798	...	22.08.2024	...
25	798	...	22.08.2024	...
26	798	...	22.08.2024	...
27	800,801	...	22.08.2024	...
28	776	...	22.08.2024	...
29	798	...	22.08.2024	...
30	798	...	22.08.2024	...
31	798	...	22.08.2024	...
32	797	...	22.08.2024	...
33	787,793	...	22.08.2024	...
34	425,429,230	...	22.08.2024	...
35	430	...	22.08.2024	...
36	420	...	22.08.2024	...
37	418	...	22.08.2024	...
38	431	...	22.08.2024	...
39	422	...	22.08.2024	...
40	422	...	22.08.2024	...
41	422	...	22.08.2024	...
42	773,775	...	22.08.2024	...
43	424	...	22.08.2024	...
44	766,758	...	22.08.2024	...
45	22.08.2024	...
46	22.08.2024	...
47	22.08.2024	...
48	22.08.2024	...
49	18,19	...	24.08.2024	...
50	20	...	24.08.2024	...
51	24.08.2024	...
52	24.08.2024	...
53	24.08.2024	...
54	23	...	24.08.2024	...
55	24.08.2024	...
56	29	...	24.08.2024	...
57	250	...	24.08.2024	...
58	251	...	24.08.2024	...
59	251	...	24.08.2024	...
60	251	...	24.08.2024	...
61	251	...	24.08.2024	...
62	251	...	24.08.2024	...
63	251	...	24.08.2024	...
64	246	...	24.08.2024	...
65	205	...	24.08.2024	...

Sl. No.	Particulars	Area	Value	Rate	Completion Date	Remarks
12	694,693,693,703,703,710	...	27.08.2024	...
13	1175,1178,1179,1180,1181	...	27.08.2024	...
14	940	...	27.08.2024	...
15	1091,1092,1093,1094	...	27.08.2024	...
16	649,650,640,639,641,642	...	27.08.2024	...
17	643,644,648,645	...	27.08.2024	...
18	937,938	...	27.08.2024	...
19	72	...	27.08.2024	...
20	1188,1189,1190,1191,1192	...	27.08.2024	...
21	1193,1199	...	27.08.2024	...
22	160,161,162	...	27.08.2024	...
23	698	...	27.08.2024	...
24	718	...	27.08.2024	...
25	40	...	27.08.2024	...
26	123,124	...	27.08.2024	...
27	485	...	27.08.2024	...
28	259	...	27.08.2024	...
29	243,241	...	27.08.2024	...
30	232,2397,231,233,242	...	27.08.2024	...
31	169	...	27.08.2024	...
32	270	...	27.08.2024	...
33	203	...	27.08.2024	...
34	231	...	27.08.2024	...
35	235	...	27.08.2024	...
36	237	...	27.08.2024	...
37	225	...	27.08.2024	...
38	360,361	...	27.08.2024	...
39	193,199	...	27.08.2024	...
40	32	...	27.08.2024	...
41	33	...	27.08.2024	...
42	33	...	27.08.2024	...
43	37	...	27.08.2024	...
44	37	...	27.08.2024	...
45	37	...	27.08.2024	...
46	55	...	27.08.2024	...
47	49,50	...	27.08.2024	...
48	504,505	...	27.08.2024	...
49	595	...	27.08.2024	...

104-96

65	कार्टन	9	205	मिशन कार्टन	24.08.2024
66	कार्टन	9	203	UN-30 मिशन कार्टन	24.08.2024
67	कार्टन	9	207, 208	उप कार्टन	24.08.2024
68	कार्टन	9	200, 201	उप कार्टन	24.08.2024
69	कार्टन	9	200	उप कार्टन	24.08.2024
70	कार्टन	9	208, 198	उप कार्टन	24.08.2024
71	कार्टन	9	197	उप कार्टन	24.08.2024
72	कार्टन	9	197	उप कार्टन	24.08.2024
73	कार्टन	9	186, 187	उप कार्टन	24.08.2024
74	कार्टन	9	188	उप कार्टन	24.08.2024
75	कार्टन	9	178	उप कार्टन	24.08.2024
76	कार्टन	9	176	उप कार्टन	24.08.2024
77	कार्टन	9	176	उप कार्टन	24.08.2024
78	कार्टन	9	176	उप कार्टन	24.08.2024
79	कार्टन	9	175	उप कार्टन	24.08.2024
80	कार्टन	9	162	उप कार्टन	24.08.2024
81	कार्टन	9	162	उप कार्टन	24.08.2024
82	कार्टन	9	162	उप कार्टन	24.08.2024
83	कार्टन	9	159	उप कार्टन	24.08.2024
84	कार्टन	9	120	उप कार्टन	24.08.2024
85	कार्टन	9	120	उप कार्टन	24.08.2024
86	कार्टन	9	119, 123	उप कार्टन	24.08.2024
87	कार्टन	9	87, 115	उप कार्टन	24.08.2024
88	कार्टन	9	87	उप कार्टन	24.08.2024
89	कार्टन	9	18, 19	उप कार्टन	24.08.2024

PR 332766 (Forest, Environment and Climate Changes) 24-25 (D) उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, वन परियोजना, चण्डीपुर

49	कार्टन	506	H.P. Petrol Pump	27.08.2024
50	कार्टन	568, 560	Milaha Motor	27.08.2024
51	कार्टन	561	Himal Transport	27.08.2024
52	कार्टन	566	Om Logistic	27.08.2024
53	कार्टन	614, 617	Puna Bombay Transport	27.08.2024
54	कार्टन	437, 438, 439	Silver sand Petrol	27.08.2024
55	कार्टन	299	Gurmeet Hotel	27.08.2024
56	कार्टन	159	Subheshya Hotel	27.08.2024
57	कार्टन	551	Petrol Pump	27.08.2024
58	कार्टन	540	B.P. Pump	27.08.2024
59	कार्टन	539	Jana Genous Part	27.08.2024
60	कार्टन	539	Jana Genous Part	27.08.2024
61	कार्टन	533	Jana Genous Part	27.08.2024
62	कार्टन	40/41	Ware House (Bellance Joimart)	27.08.2024
63	कार्टन	44,746	Jai Maa Tarini Hotel (Ramgarh)	27.08.2024
64	कार्टन	750	Shatrughan Hotel	27.08.2024
65	कार्टन	118	श्री श्री श्री (Raza)	27.08.2024
66	कार्टन	355, 160	Gill Truck Garage	27.08.2024
67	कार्टन	171	Sujan Goetown	27.08.2024
68	कार्टन	175, 176, 177	Banke Bhatti Auto Motors Ltd. (Mahindra)	27.08.2024
69	कार्टन	180	BESCO Trucking (Truck Garage service Centre)	27.08.2024
70	कार्टन	179, 180	Rajul Transport Co. (Truck Garage)	27.08.2024

PR 332769 (Forest, Environment and Climate Changes) 24-25 D उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, वन परियोजना, चण्डीपुर

19
10

Jharkhand NH-220 from NH-24 to 24-NM of NH-220 the state of Jharkhand on EPC mode. (Job No. NH-220/APP/2023-24/3-40) Rs. 8,46,000/- (including GST & LC) 06 (Six Months) after Completion

The complete BID document can be viewed/downloaded from official portal of the CPWT. The complete structure/bid form from 03.08.2024 to 22.08.2024 (upto 15:00 Hrs IST). Bidder must submit its financial bid and technical bid at <https://spassure.gov.in/spassure/option> or before 23.08.2024 (upto 15:00 Hrs). Bids received online shall be opened on 23.08.2024 (at 15:30 hours IST).

Bid through any other mode shall not be entertained. However, Bid Security, document fee, Power of Attorney shall be submitted physically by the Bidder on or before 23.08.2024 (at 12:30 hours IST). Please note that the Ministry/Executing Agency reserves the right to accept or reject all or any of the BIDs without assigning any reason whatsoever.

Executive Engineer
National Highway Division, Chhailhasa
PR 331787 West Singhbhum(24-25)#D Mobile No. 9006914020, E-mail: cemh.chhailhasa@gmail.com

आरक्षित संवर्धन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलना इको सोसिटाटिव जोन दलना कन्याप्रणी आश्रयणी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई के संबंध में

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिपान/गवान दलना इको सोसिटाटिव जोन के अन्तर्गत अदखल है जो इको सोसिटाटिव जोन की अधिव्यवस्था संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित पर्यावरण, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलना इको सोसिटाटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के अलावा, निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलना इको सोसिटाटिव जोन दलना कन्याप्रणी आश्रयणी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना दल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं दिनिश्र दन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सोसिटाटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधियानुसार कार्यवाई वादयता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	सुनवाई की तिथि
1	दलना	10	4	राम रेडरी	07.08.2024
2	दलना	10	19	AGCS FOOD & SPICES PVT.LTD	07.08.2024
3	दलना	10	19	श्री शंभु शंभु टैर	07.08.2024
4	दलना	10	19	श्री काली मंडल	07.08.2024
5	दलना	10	19	राधा चौरी भोजनालय	07.08.2024
6	दलना	10	20	Smriti Seva Sadan Hospital	07.08.2024
7	दलना	10	20	R.V.S. School	07.08.2024
8	दलना	10	21	Dayal Steel Construction Pvt.Ltd	07.08.2024
9	दलना	10	29, 21	R.V.S. Academy	07.08.2024
10	दलना	9	1751, 1752	श्री गौरी मूल शिडो	07.08.2024
11	दलना	9	1751	राम रेडरी	07.08.2024
12	दलना	10	19	श्री शंभु मंडल	07.08.2024

आरक्षित संवर्धन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलना इको सोसिटाटिव जोन दलना कन्याप्रणी आश्रयणी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई के संबंध में

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिपान/गवान दलना इको सोसिटाटिव जोन के अन्तर्गत अदखल है जो इको सोसिटाटिव जोन की अधिव्यवस्था संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित पर्यावरण, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलना इको सोसिटाटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के अलावा, निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलना इको सोसिटाटिव जोन दलना कन्याप्रणी आश्रयणी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना दल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं दिनिश्र दन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सोसिटाटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधियानुसार कार्यवाई वादयता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	सुनवाई की तिथि
1	आसतकी	3	4	Golden Leaf Resort	16.08.2024
2	आसतकी	3	2576, 2577, 2578, 2597, 2598, 2600, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306/6a, 2307/3a, 2309/4, 3104, 2311/1a, 2312/1a, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317/1a, 2318/1a, 2319/1a	Ashiana wood land (185 एकड़ भूभाग)	16.08.2024
3	आसतकी	3	2312, 2308, 2309, 2310, 2312	Ganapati Engineering workshop	16.08.2024
4	आसतकी	3	2347, 2347, 2344	IMI International Logistics Ltd.	16.08.2024
5	आसतकी	3	2283, 2284	Ganapati Engineering workshop	16.08.2024
6	आसतकी	3	2283, 2284	IMI ware house (closed)	16.08.2024
7	आसतकी	3	2285, 2285	Shub boundary wall	16.08.2024
8	आसतकी	3	2286, 2287	Flv/Asm EC water	16.08.2024
9	आसतकी	3	2338, 2339, 2340, 2341, 2347, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366	आ. जल नहर Associate Engineering work	16.08.2024
10	आसतकी	3	2326	Visual sales work House	16.08.2024
11	आसतकी	3	2326	JSR steel trader ware house	16.08.2024
12	आसतकी	3	2499, 2498, 2499	Indian Oil Petrol Pump (Near Kahi Mandir)	16.08.2024
13	आसतकी	3	2483	1 Truck Garage (MISH Automobile)	16.08.2024
14	आसतकी	3	2370	Truck Garage	16.08.2024
15	आसतकी	3	2440	Truck Garage Shop	16.08.2024
16	आसतकी	3	2434, 2435, 2436	tata parking	16.08.2024
17	आसतकी	3	2438, 2439	Radhaam Engineering	16.08.2024
18	आसतकी	3	2196, 2197, 2200, 2201	Washing center	16.08.2024
19	आसतकी	3	2172	Paper factory	16.08.2024
20	आसतकी	3	2171	का. शि. शि. शि.	16.08.2024
21	आसतकी	3	2170	का. शि. शि. शि.	16.08.2024
22	आसतकी	3	2171	का. शि. शि. शि.	16.08.2024
23	आसतकी	3	2155, 2156, 2167	का. शि. शि. शि.	16.08.2024

49	वारंदा	8	23	उपरी पाटरी एक मील	10.08.2024
50	वारंदा	8	23	अपरी पाटरी	10.08.2024
51	वारंदा	8	29	मामा धरम म निर्माण	10.08.2024
52	वारंदा	9	250	मंडळ विभाग	10.08.2024
53	वारंदा	9	250	प्रशिक्षण अधिकारी पदवी पाप	10.08.2024
54	वारंदा	9	251	म निर्माण	10.08.2024
55	वारंदा	9	251	राज्य अर्थी मंत्री कार्यालय	10.08.2024
56	वारंदा	9	251	राज्य भोजनघर	10.08.2024
57	वारंदा	9	251	राज्य भोजन	10.08.2024
58	वारंदा	9	251	राज्य भोजन	10.08.2024
59	वारंदा	9	251	राज्य भोजन	10.08.2024
60	वारंदा	9	246	राज्य भोजन	10.08.2024
61	वारंदा	9	205	Abid Car ac export	10.08.2024
62	वारंदा	9	204	राज्य भोजन	10.08.2024
63	वारंदा	9	207, 208	राज्य भोजन	10.08.2024
64	वारंदा	9	200, 201	राज्य भोजन	10.08.2024
65	वारंदा	9	200	राज्य भोजन	10.08.2024
66	वारंदा	9	209, 198	राज्य भोजन	10.08.2024
67	वारंदा	9	197	राज्य भोजन	10.08.2024
68	वारंदा	9	197	राज्य भोजन	10.08.2024
69	वारंदा	9	186, 187	राज्य भोजन	10.08.2024
70	वारंदा	9	188	राज्य भोजन	10.08.2024
71	वारंदा	9	178	राज्य भोजन	10.08.2024
72	वारंदा	9	176	राज्य भोजन	10.08.2024
73	वारंदा	9	176	राज्य भोजन	10.08.2024
74	वारंदा	9	176	राज्य भोजन	10.08.2024
75	वारंदा	9	175	राज्य भोजन	10.08.2024
76	वारंदा	9	162	राज्य भोजन	10.08.2024
77	वारंदा	9	162	राज्य भोजन	10.08.2024
78	वारंदा	9	159	राज्य भोजन	10.08.2024
79	वारंदा	9	159	राज्य भोजन	10.08.2024
80	वारंदा	9	120	राज्य भोजन	10.08.2024
81	वारंदा	9	120	राज्य भोजन	10.08.2024
82	वारंदा	9	119, 123	राज्य भोजन	10.08.2024
83	वारंदा	9	87, 115	राज्य भोजन	10.08.2024
84	वारंदा	9	87	राज्य भोजन	10.08.2024
85	वारंदा	9	18, 19	राज्य भोजन	10.08.2024

59.	वारंदा				
60.	वारंदा				17.08.2024
61.	वारंदा				17.08.2024
62.	वारंदा				17.08.2024
63.	वारंदा				17.08.2024
64.	वारंदा				17.08.2024
65.	वारंदा				17.08.2024
66.	वारंदा				17.08.2024
67.	वारंदा				17.08.2024
68.	वारंदा				17.08.2024
69.	वारंदा				17.08.2024
70.	वारंदा				17.08.2024
71.	वारंदा		25		17.08.2024
72.	वारंदा		25		17.08.2024
73.	वारंदा		23		17.08.2024
74.	वारंदा		21, 22		17.08.2024
75.	वारंदा		18		17.08.2024
76.	वारंदा		17		17.08.2024
77.	वारंदा				17.08.2024
78.	वारंदा				17.08.2024
79.	वारंदा		94		17.08.2024
80.	वारंदा		95		17.08.2024
81.	वारंदा		98		17.08.2024
82.	वारंदा		96		17.08.2024
83.	वारंदा		97		17.08.2024
84.	वारंदा		100		17.08.2024
85.	वारंदा		100		17.08.2024
86.	वारंदा		100		17.08.2024
87.	वारंदा		100		17.08.2024
88.	वारंदा		100		17.08.2024
89.	वारंदा		130, 133, 134, 139, 135		17.08.2024
90.	वारंदा		137, 185, 186, 184, 181, 136, 145, 204, 945, 140, 138, 141, 142, 181, 182, 285, 286		17.08.2024
91.	वारंदा		341, 818, 817, 826, 819, 825, 823, 820, 349, 348, 347, 346, 827, 828, 829, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 856, 851, 858, 822, 821		17.08.2024

PR 33171 (Forest, Environment and Climate Changes) 24-25 (D) मज परिचयना, जमहीदपुर

PR 33178 Forest, Environment and Climate Changes(24-25).D मज परिचयना, जमहीदपुर

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

- 98 -



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in, dcffdjrsr@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 1477 दिनांक 26.04.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।



महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी


 उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
 गज परियोजना, जमशेदपुर।


~~93~~

11/07

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी
समिति, दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस
सुनवाई के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डिमना	10	19	श्याम डेयरी	07.08.2024
2	डिमना	10	19	AGCS FOOD & SPICES PVT.LTD	07.08.2024
3	डिमना	10	19	माँ मनसा किराना स्टोर	07.08.2024
4	डिमना	10	19	माँ काली मेडिकल	07.08.2024
5	डिमना	10	19	दादा बोदी भोजनालय	07.08.2024
6	डिमना	10	20	Smriti Seva Sadan Hospital	07.08.2024
7	डिमना	10	20	R.V.S. School	07.08.2024
8	डिमना	10	21	Dayal Steel Construction Pvt.Ltd	07.08.2024
9	डिमना	10	29, 21	R.V.S. Academy	07.08.2024

-100-

102

10	डिमना	9	1751, 1752	माँ गौरी गल्स पी0जी0	07.08.2024
11	डिमना	9	1751	जया कलेक्शन	07.08.2024
12	डिमना	10	19	माँ तारा भेजिटेवल	07.08.2024
13	डिमना	10	19	साई स्टोर	07.08.2024
14	डिमना	10	19	आयुष स्टोर	07.08.2024
15	डिमना	9	1309, 1317, 1379	शिदु कान्दु स्कूल	07.08.2024
16	डिमना	9	1753, 1755, 1756, 750, 1749, 1757, 1748, 747, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770, 1776, 1771, 1772, 1775	हिल व्यू कोलोनी	07.08.2024
17	डिमना	9	1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1773, 1303, 1304, 1305, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1327, 1328, 1324, 1325, 1320, 1321, 1322, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1377, 1376, 1360, 1359, 5017	रिपिट कॉलोनी	07.08.2024
18	बालीगुमा	10	803	वास्तु विहार	08.08.2024
19	बालीगुमा	10	785, 782	सन सिटी आशियाना	08.08.2024
20	बालीगुमा	10	776	इस्पात नगर	08.08.2024
21	बालीगुमा	10	798	जय माँ तारा इस्पात गोडाउन	08.08.2024
22	बालीगुमा	10	798	वृन्दावन होटल	08.08.2024
23	बालीगुमा	10	798	वृन्दावन गैरेज	08.08.2024
24	बालीगुमा	10	799	सीट गैरेज	08.08.2024
25	बालीगुमा	10	798	पंजाब ट्रक एंड कार बॉस सेंटर	08.08.2024
26	बालीगुमा	10	798	दास भोजनालय	08.08.2024
27	बालीगुमा	10	800, 801	आर0सी0 इन्डस्ट्रीज	08.08.2024
28	बालीगुमा	10	798	आर्यन ग्लास पैलेज	08.08.2024
29	बालीगुमा	10	798	अपना रेस्टोरेन्स एन्ड लॉज	08.08.2024
30	बालीगुमा	10	798	सुमन मोटर्स	08.08.2024
31	बालीगुमा	10	797	माँ संतोषी इन्जीनियरिंग वर्क्स	08.08.2024
32	बालीगुमा	10	793, 794	भारत पेट्रोलियम	08.08.2024
33	बालीगुमा	10	425, 429, 430	बालीगुमा होटल	08.08.2024
34	बालीगुमा	10	430	नन्दु रोडवेज	08.08.2024
35	बालीगुमा	10	420	सुरज इन्टरप्राइजेज	08.08.2024

- 103 -



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं गंधिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in, dcffdjsr@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 1478 दिनांक 26.07.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबां आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

(Signature)
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

(Signature)
26/7/24 026/07/24

-104- 

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी
समिति, दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस
सुनवाई के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	मिर्जाडीह	मिर्जाडीह	176, 177, 178, 179	एस0एस0 इस्टेक इण्डिया प्रा0लि0	12.08.2024
2.	मिर्जाडीह	मिर्जाडीह	410, 417	धनवन्ती डिस्ट्रिब्यूटर प्रा0लि0 पक्का चारदीवारी गोदाम	12.08.2024
3.	मिर्जाडीह	मिर्जाडीह	273, 285, 288	मसेस ब्लुमन कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 कम्पनी	12.08.2024
4.	मिर्जाडीह	मिर्जाडीह	282, 283, 272, 253, 272, 282, 253/A	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी गाय सेड	12.08.2024
5.	मिर्जाडीह	मिर्जाडीह	182, 165, 175	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी गैरेज	12.08.2024

-108-

H.H.



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in, dcffdjrs@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 1479 दिनांक 26.07.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

26/7/24

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी
समिति, दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस
सुनवाई के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	आसनबनी		2576, 2577, 2578	Golden Leaf Resort	16.08.2024
2.	आसनबनी		2297, 2299, 2298, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306/a, 2307/a, 2309/a, 310/a, 2311/a, 2312/a, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317/a, 2318/a, 2319/a	Ashiana wood land (185 पक्का मकान)	16.08.2024
3.	आसनबनी		2312	Ganapati Engineering workshop	16.08.2024
4.	आसनबनी		2312, 2308, 2309, 2310, 2342	TM International Logistic Ltd, Ganapati Engineering workshop	16.08.2024
	आसनबनी		2342, 2347, 2344	TM ware house (closed)	16.08.2024
	आसनबनी		2283, 2284	Slab boundry wall	16.08.2024
	आसनबनी		2282, 2285	Fly Ash ईट भट्टा	16.08.2024

-114-

116



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी0एच0 एरिया,(नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdjsr@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 2008 दिनांक 05.8.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

[Signature]
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

[Signature]
05/8/24 05/08/24

o/c

-115-

117

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको
सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई
के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कंडिका 4 (6) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / भू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	बुरुडुंगरी	93	333	पक्का मकान	सीमा कान्त महतो	23.08.2024
2	बुरुडुंगरी	93	333	पक्का मकान	मंजु रानी जेहान	23.08.2024
3	बुरुडुंगरी	93	334	पक्का मकान	श्रीमती मंजु रानी जेहान	23.08.2024
4	बुरुडुंगरी	93	334	पक्का मकान	भुवन चन्द्र महतो	23.08.2024
5	बुरुडुंगरी	9	212	पक्का मकान	कशकलता घोष	23.08.2024
6	बुरुडुंगरी	9	212	पक्का मकान	गीतारानी महतो	23.08.2024
7	बुरुडुंगरी	9	212	पक्का मकान	विश्व रंजन महतो	23.08.2024
8	बुरुडुंगरी	94	208	पक्का मकान	महेश्वर महतो	23.08.2024
9	बुरुडुंगरी	94	209	पक्का मकान	निमाई चन्द्र महतो	23.08.2024
10	बुरुडुंगरी	94	209	पक्का मकान	हेमलता महतो	23.08.2024
11	बुरुडुंगरी	94	210	पक्का मकान	नागेश्वर महतो	23.08.2024
12	बुरुडुंगरी	45	321	पक्का मकान	मानीकलाल दे	23.08.2024
13	बुरुडुंगरी	45	321	पक्का मकान	श्रीमती अनीता गुप्ता	23.08.2024
14	बुरुडुंगरी	45	321	पक्का मकान	बासुदेव सिंह	23.08.2024
15	बुरुडुंगरी	92	324	पक्का मकान	श्रीमती सुरेन्द्ररानी जेहान	23.08.2024
16	बुरुडुंगरी	31	326	पक्का मकान	मधुसुदन महतो	23.08.2024
17	बुरुडुंगरी	45	321	पक्का मकान	खोखी महतानी	23.08.2024
18	बुरुडुंगरी	81	318	पक्का मकान	श्यामापदो सिंह	23.08.2024
19	बुरुडुंगरी	81	318	पक्का मकान	श्री जयन्त कुमार सिंह	23.08.2024
20	बुरुडुंगरी	81	318	पक्का मकान	रंजु कुमारी	23.08.2024

-116-

118

21	बुरुडुंगरी	54	301	पक्का मकान	जवाहर लाल सिंह	23.08.2024
22	बुरुडुंगरी	6	304	पक्का मकान	इन्द्र गोपाल मिश्रा	23.08.2024
23	बुरुडुंगरी	54	303	पक्का मकान	जोगेश्वर प्रसाद सिंह	23.08.2024
24	बुरुडुंगरी	94	310	पक्का मकान	भरत महतो	23.08.2024
25	बुरुडुंगरी	65	311	पक्का मकान	गीतारानी महतो	23.08.2024
26	बुरुडुंगरी	65	311	पक्का मकान	जनसुक लाल चौवड़ा	23.08.2024
27	बुरुडुंगरी	65	311	पक्का मकान	रेशनी प्रफुल्ल चावड़ा	23.08.2024
28	बुरुडुंगरी	90	315	पक्का मकान	पार्वती	23.08.2024
29	बुरुडुंगरी	90	315	पक्का मकान	हीनेभ कुमार राठोर	23.08.2024
30	बुरुडुंगरी	90	315	पक्का मकान	उमेश कुमार राठोर	23.08.2024
31	बुरुडुंगरी	30	242	पक्का मकान	जीतु महतो	23.08.2024
32	बुरुडुंगरी	30	243	पक्का मकान	मुकून्द महतो	23.08.2024
33	बुरुडुंगरी	30	243	पक्का मकान	शांतिमय चटर्जी	23.08.2024
34	बुरुडुंगरी	30	242	पक्का मकान	नारायण चन्द्र बनर्जी	23.08.2024
35	बुरुडुंगरी	30	244	पक्का मकान	सुर्यनारायण महतो	23.08.2024
36	बुरुडुंगरी	30	244	पक्का मकान	महावीर प्रसाद महतो	23.08.2024
37	बुरुडुंगरी	30	245	पक्का मकान	शिवानी महतो	23.08.2024
38	बुरुडुंगरी	30	245	पक्का मकान	नव किशोर महतो	23.08.2024
39	बुरुडुंगरी	30	248	पक्का मकान	नन्दलाल कुम्हार	23.08.2024
40	बुरुडुंगरी	30	248	पक्का मकान	संजना महतानी	23.08.2024
41	बुरुडुंगरी	30	281	पक्का मकान	श्रीमती डिंगला देवी	23.08.2024
42	बुरुडुंगरी	103	254	पक्का मकान	डाक बंगला	23.08.2024
43	बुरुडुंगरी	63	277	पक्का मकान	मंगली कुम्हारिन	23.08.2024
44	बांधडीह	25	1251	पक्का मकान	गुरुचरण	24.08.2024
45	बांधडीह	6	1402	पक्का मकान	अमर सिंह	24.08.2024
46	बांधडीह	6	1388	पक्का मकान	अमर सिंह	24.08.2024
47	बांधडीह	6	1387	पक्का मकान	मोचीराम सिंह	24.08.2024
48	बांधडीह	133	1449	पक्का मकान	बड़ोलाल सिंह	24.08.2024
49	बांधडीह	126	1473	पक्का मकान	रूप सिंह	24.08.2024
50	बांधडीह	30	1663	पक्का मकान	गुहीराम	24.08.2024
51	बांधडीह	140	1378	पक्का मकान	सिदाम सिंह	24.08.2024
52	बांधडीह	134	1377	पक्का मकान	लाल सिंह	24.08.2024
53	बांधडीह	140	1379	पक्का मकान	उन्तरल सिंह	24.08.2024
54	बांधडीह	134	1380	पक्का मकान	लाल सिंह	24.08.2024
55	बांधडीह	134	1381	पक्का मकान	लाल सिंह	24.08.2024
56	बांधडीह	48	1363	पक्का मकान	तरुण सिंह	24.08.2024
57	बांधडीह	48	1362	पक्का मकान	तरुण सिंह	24.08.2024

-111-

111

58	बांधडीह	159	1371	पक्का मकान	हाडीराम सिंह	24.08.2024
59	बांधडीह	159	1364	पक्का मकान	तरुण सिंह	24.08.2024
60	फारेंगा	18	187	पक्का मकान	दिशम्बर कालिन्दी	24.08.2024
61	फारेंगा	22	191	पक्का मकान	नेपाल महतो	24.08.2024
62	फारेंगा	107	190	पक्का मकान	जाहुर गोर्राई	24.08.2024
63	फारेंगा	20	199	पक्का मकान	कोपि गोर्राई	24.08.2024
64	फारेंगा	36	264	पक्का मकान	पलटन गोर्राई	24.08.2024
65	फारेंगा	15	176	पक्का मकान	तरणी गोर्राई	24.08.2024
66	फारेंगा	69	273	पक्का मकान	पंकज मंडल	24.08.2024
67	फारेंगा	19	274	पक्का मकान	शिशिर मंडल	24.08.2024
68	फारेंगा	56	314	पक्का मकान	रान्यास कुटीर	24.08.2024
69	फारेंगा	56	314	पक्का मकान	अनिल कालिन्दी	24.08.2024
70	फारेंगा	56	314	पक्का मकान	देवी प्रसाद मंडल	24.08.2024
71	फारेंगा	30	199	पक्का मकान	कृष्णा महतो	24.08.2024
72	फारेंगा	30	199	पक्का मकान	लक्ष्मी पद गोर्राई	24.08.2024
73	फारेंगा	21	184	पक्का मकान	हितिक महतो	24.08.2024
74	फारेंगा	56	314	पक्का मकान	दीपु मंडल	24.08.2024
75	फारेंगा	73	158	पक्का मकान	बासुदेव मंडल	24.08.2024
76	फारेंगा	73	158	पक्का मकान	संतोष मंडल	24.08.2024
77	फारेंगा	73	158	पक्का मकान	अजित मंडल	24.08.2024
78	फारेंगा	71	156	पक्का मकान	किरीटी मंडल	24.08.2024
79	फारेंगा	71	156	पक्का मकान	रंजीत मंडल	24.08.2024
80	फारेंगा	72	316	पक्का मकान	लखिन्द्र मंडल	24.08.2024
81	फारेंगा	102	153	पक्का मकान	शरत कु0 मंडल	24.08.2024
82	फारेंगा	113	318	पक्का मकान	दतन मंडल	24.08.2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर
05/08/24

-118-

1120



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन मवन, सी0एच0 एरिया,(नोर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdjrs@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 2007 दिनांक 05/8/2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

[Signature]
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।
[Signature]

o/c

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जगशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलगा इको
सेन्सिटिव जोन दलगा वन्यप्राणी आश्रयणी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई
के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलगा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलगा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कंडिका 4 (6) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

SI No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / भू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	उगडीह	68	189	पक्का मकान	अजय सिंह	23.08.2024
2	उगडीह	68	193	पक्का मकान	परमेश्वर सिंह, सम्भु सिंह	23.08.2024
3	उगडीह	68	200	पक्का मकान	उदय सिंह	23.08.2024
4	उगडीह		205	पक्का मकान	अजित सिंह	23.08.2024
5	उगडीह	16	211	पक्का मकान	सुमन सिंह	23.08.2024
6	उगडीह	5	214	पक्का मकान	भुवन सिंह	23.08.2024
7	उगडीह	61	219	पक्का मकान	सुरेन्द्र महतो	23.08.2024
8	उगडीह		222	पक्का मकान	आंगनबाड़ी	23.08.2024
9	उगडीह	28	233	पक्का मकान	आभाराम महतो, संजय महतो, संतोष महतो	23.08.2024
10	उगडीह		238	पक्का मकान	श्याम सिंह सरदार	23.08.2024
11	उगडीह	68	247	पक्का मकान	दुसु सिंह	23.08.2024
12	उगडीह		246	पक्का मकान	राहिन सिंह, जय सिंह, सुकदेव सिंह	23.08.2024
13	उगडीह	68	257	पक्का मकान	संजनी सिंह	23.08.2024
14	उगडीह	64	9	पक्का मकान	कन्हाई लाल भुमिज	23.08.2024
15	उगडीह	64	10	पक्का मकान	हराधन भुमिज, वासी भुमिज	23.08.2024

Press Notice Second - Copy (4)

- 120 -

1199

16	उगडीह	64	28	पक्का मकान	घासीनी भुमिज	23.08.2024
17	उगडीह	64	29	पक्का मकान	जोत्सना सिंह	23.08.2024
18	उगडीह	64	21	पक्का मकान	रमेश मांझी	23.08.2024
19	उगडीह	62	45	पक्का मकान	बुका सिंह	23.08.2024
20	उगडीह	62	45	पक्का मकान	कार्तिक दंडपात	23.08.2024
21	उगडीह	62	46	पक्का मकान	श्रमती मारती प्रमाणिक	23.08.2024
22	उगडीह	62	46	पक्का मकान	मयक कु० चक्रवर्ती	23.08.2024
23	उगडीह	62	47	पक्का मकान	किलि सिताय टोपो	23.08.2024
24	उगडीह	22	133, 134	पक्का मकान	द्वारिका सिंह	23.08.2024
25	उगडीह	22	128	पक्का मकान	दशरथ सिंह मुण्डा	23.08.2024
26	उगडीह	20	130	पक्का मकान	जयन्नद	23.08.2024
27	उगडीह	20	130	पक्का मकान	मंगल सिंह	23.08.2024
28	उगडीह	20	130	पक्का मकान	श्रीमती दीपाली सिंह	23.08.2024
29	बुरुडुंगरी		358	पक्का मकान	भरत सिंह	23.08.2024
30	बुरुडुंगरी		355	पक्का मकान	सुभाष सिंह	23.08.2024
31	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	निरंजन कालिंदी	23.08.2024
32	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	गुरु कालिंदी	23.08.2024
33	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	सुनिल कालिंदी	23.08.2024
34	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	गोपी कालिंदी	23.08.2024
35	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	छट्टु कालिंदी	23.08.2024
36	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	प्रकाश कालिंदी	23.08.2024
37	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	चांदी कालिन्दी	23.08.2024
38	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	गुरुवारी कालिन्दी	23.08.2024
39	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	गुहीराम कालिन्दी	23.08.2024
40	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	बलदेव कालिन्दी	23.08.2024
41	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	गुरुपद कालिन्दी	23.08.2024
42	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	राम दभका कालिन्दी	23.08.2024
43	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	अशोक कालिन्दी	23.08.2024
44	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	सुलचना कालिन्दी	23.08.2024
45	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	सुकदेव कालिन्दी	23.08.2024
46	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	संजय कालिन्दी	23.08.2024
47	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	डोबु कालिन्दी	23.08.2024
48	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	राजेश कालिन्दी	23.08.2024
49	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	विष्णु कालिन्दी	23.08.2024
50	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	कार्तिक कालिन्दी	23.08.2024

-121-

122

51	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	मनोज कालिन्दी	23.08.2024
52	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	अनिल कालिन्दी	23.08.2024
53	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	रघु कालिन्दी	23.08.2024
54	बुरुडुंगरी	97	364	पक्का मकान	कलामनी कालिन्दी	23.08.2024
55	बुरुडुंगरी	8	238	पक्का मकान	कनक लता घोष	23.08.2024
56	बुरुडुंगरी	8	238	पक्का मकान	राजेश कु0 सिंह	23.08.2024
57	बुरुडुंगरी	8	238	पक्का मकान	दिलीप सिंह	23.08.2024
58	बुरुडुंगरी	16	239	पक्का मकान	गोविन्द महतो	23.08.2024
59	बुरुडुंगरी	52	366	पक्का मकान	शंकर गोस्वामी	23.08.2024
60	बुरुडुंगरी	57	367	पक्का मकान	खुदीराम महतो, यादव महतो	23.08.2024
61	बुरुडुंगरी	36	368	पक्का मकान	पूर्णचन्द्र मोदक	23.08.2024
62	बुरुडुंगरी	31	329	पक्का मकान	दलजीत सिंह	23.08.2024
63	बुरुडुंगरी	31	329	पक्का मकान	शकुन्तला देवी	23.08.2024
64	बुरुडुंगरी	31	330	पक्का मकान	श्रीमती गायत्री देवी	23.08.2024
65	बुरुडुंगरी	31	330	पक्का मकान	गर्णभ सिंह	23.08.2024
66	बुरुडुंगरी	31	331	पक्का मकान	सुरेश लाल गुप्ता	23.08.2024
67	बुरुडुंगरी	31	331	पक्का मकान	श्रीमती परिसेन	23.08.2024
68	बुरुडुंगरी	19	332	पक्का मकान	श्रीमती माधुरी देवी	23.08.2024
69	बुरुडुंगरी	19	332	पक्का मकान	गनेश सिंह	23.08.2024
70	बुरुडुंगरी	19	332	पक्का मकान	कमला कान्त महतो	23.08.2024

for
 उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
 गज परियोजना, जमशेदपुर
 05/08/24

-122-

1124



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया,(नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdjrs@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 2006 दिनांक 05.8.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कड़िका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

Sham Singh
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

Sham Singh

O/C

-123-

125

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलगा इको
सेन्सिटिव जोन दलगा वन्यप्राणी आश्रयणी

**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई
के संबंध में**

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलगा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलगा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कंडिका 4 (6) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्बत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / भू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	झरीडीह	22	426	पक्का मकान	निलकन्ठ सिंह	22.08.2024
2	झरीडीह	22	425	पक्का मकान	बैकुन्ठ सिंह	22.08.2024
3	झरीडीह	33	427	पक्का मकान	वनमाली सिंह	22.08.2024
4	झरीडीह	33	428	पक्का मकान	वनमाली सिंह	22.08.2024
5	झरीडीह	37	362	पक्का मकान	शंकर सिंह	22.08.2024
6	झरीडीह	25	351	पक्का मकान	प्रहलाद सिंह	22.08.2024
7	झरीडीह	49	346	पक्का मकान	सुकदेव सिंह	22.08.2024
8	झरीडीह	45	337	पक्का मकान	रूप सिंह	22.08.2024
9	झरीडीह	50	331	पक्का मकान	सुफल सिंह	22.08.2024
10	झरीडीह	19	329	पक्का मकान	दुलर्भ सिंह	22.08.2024
11	झरीडीह	19	420	पक्का मकान	उपेन्द्र सिंह	22.08.2024
12	झरीडीह	27	391	पक्का मकान	फागु सिंह	22.08.2024
13	झरीडीह	41	318	पक्का मकान	मोहन सिंह	22.08.2024
14	झरीडीह	7	240	पक्का मकान	डानभ सिंह	22.08.2024

-124-


T.P.

15	डाहुबेड़ा	82	307	पक्का मकान	मंगली भुमिजानी	22.08.2024
16	डाहुबेड़ा	43	803	पक्का मकान	जलो भुमिजानी	22.08.2024
17	डाहुबेड़ा	174	810	पक्का मकान	सुरेन्द्र चौधरी	22.08.2024
18	डाहुबेड़ा	1	817	पक्का मकान	केशो सिंह	22.08.2024
19	डाहुबेड़ा	1	825	पक्का मकान	केशो सिंह	22.08.2024
20	डाहुबेड़ा	38	732	पक्का मकान	चिन्तामनि	22.08.2024
21	डाहुबेड़ा	2	733	पक्का मकान	प्रहलाद सिंह	22.08.2024
22	डाहुबेड़ा	2	735	पक्का मकान	प्रहलाद सिंह	22.08.2024
23	डाहुबेड़ा	84	752	पक्का मकान	मान सिंह	22.08.2024
24	डाहुबेड़ा	104	754	पक्का मकान	लीलमनी	22.08.2024
25	डाहुबेड़ा	28	763	पक्का मकान	खडिया बस्ती	22.08.2024
26	डाहुबेड़ा	70	513	पक्का मकान	बुधु गोराई	22.08.2024
27	डाहुबेड़ा	70	545	पक्का मकान	बुधु गोराई	22.08.2024
28	डाहुबेड़ा	70	546	पक्का मकान	बुधु गोराई	22.08.2024
29	डाहुबेड़ा	34	190	पक्का मकान	चन्द्र देव तिवारी	22.08.2024
30	डाहुबेड़ा	7	69	पक्का मकान	अल्पना भूमियानी	22.08.2024
31	डाहुबेड़ा	128	237	पक्का मकान	अतुल सिंह	22.08.2024
32	डाहुबेड़ा	48	417	पक्का मकान	देवेन्द्र नाथ दास	22.08.2024
33	डाहुबेड़ा	79	318	पक्का मकान	मनसा राम	22.08.2024
34	डाहुबेड़ा	79	319	पक्का मकान	मनसा राम	22.08.2024
35	डाहुबेड़ा	88	346	पक्का मकान	माची राम	22.08.2024
36	डाहुबेड़ा	50	347	पक्का मकान	धुम सिंह	22.08.2024
37	डाहुबेड़ा	101	294	पक्का मकान	लाल सिंह	22.08.2024
38	डाहुबेड़ा	57	292	पक्का मकान	पहलान सिंह	22.08.2024
39	डाहुबेड़ा	53	242	पक्का मकान	नकुल सिंह	22.08.2024
40	डाहुबेड़ा	62	414	पक्का मकान	प्रेम सिंह	22.08.2024
41	डाहुबेड़ा	74	420	पक्का मकान	कान्हो सिंह	22.08.2024
42	टेंगाडीह	71	1364	पक्का मकान	जगत मोदी	22.08.2024
43	टेंगाडीह	71	1365	पक्का मकान	श्री गुरुचरण मोदी	22.08.2024
44	टेंगाडीह	71	1366	पक्का मकान	श्री धर	22.08.2024
45	टेंगाडीह	193	1368	पक्का मकान	रवि मांझी	22.08.2024
46	टेंगाडीह	231	2050	पक्का मकान	सुका मांझी	22.08.2024
47	टेंगाडीह	231	2016	पक्का मकान	बलाय मांझी	22.08.2024

-125-

1.2.27

48	टेंगाडीह	70	695	पक्का मकान	जगबन्धु सिंह	22.08.2024
49	टेंगाडीह	248	696	पक्का मकान	करुणा सिंह	22.08.2024
50	टेंगाडीह	91	684	पक्का मकान	दन्दो सिंह	22.08.2024
51	टेंगाडीह	78	810	पक्का मकान	जगन्धु सिंह	22.08.2024
52	बचकमकोचा	10	97	पक्का मकान	रमेश पाल	22.08.2024
53	बचकमकोचा	10	98	पक्का मकान	राधानाथ पाल	22.08.2024
54	बचकमकोचा	39	99	पक्का मकान	ठाकुरदास मांझी	22.08.2024
55	बचकमकोचा	86	361	पक्का मकान	सोमरा मांझी	22.08.2024
56	बचकमकोचा	6	364	पक्का मकान	रोही मांझी	22.08.2024
57	बचकमकोचा	29	365	पक्का मकान	गुलिया मांझी	22.08.2024
58	बचकमकोचा	25	368	पक्का मकान	गनधरी मांझी	22.08.2024
59	बचकमकोचा	54	373	पक्का मकान	मंजुरी	22.08.2024
60	बचकमकोचा	59	380	पक्का मकान	काटी मांझीयान	22.08.2024
61	बचकमकोचा	3	126	पक्का मकान	गुहीराम मांझी	22.08.2024
62	बचकमकोचा	84	127	पक्का मकान	सोमरा मांझी	22.08.2024
63	बचकमकोचा	73	130	पक्का मकान	भतला मांझी	22.08.2024
64	बचकमकोचा	43	131	पक्का मकान	नयु मियाँ	22.08.2024
65	बचकमकोचा	30	140	पक्का मकान	गुही मांझी	22.08.2024
66	बचकमकोचा	49	142	पक्का मकान	नईका मांझी	22.08.2024
67	बचकमकोचा	68	328	पक्का मकान	मंगल मांझी	22.08.2024
68	बचकमकोचा	54	327	पक्का मकान	दसमत मांझी	22.08.2024
69	बचकमकोचा	31	323	पक्का मकान	किस्टो सिंह	22.08.2024
70	बचकमकोचा	31	315	पक्का मकान	किस्टो सिंह	22.08.2024
71	बचकमकोचा	36	310	पक्का मकान	श्रीमती छुटी भुनि	22.08.2024
72	बचकमकोचा	22	304	पक्का मकान	केदारनाथ दाँ	22.08.2024
73	बचकमकोचा	2	649	पक्का मकान	उधो भूमिज	22.08.2024


 उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
 गज परियोजना, जमशेदपुर
 05/08/24



कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
 वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
 पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011
 e-mail-dfo-dirpe@gov.in, dcffdir@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039.(R)



पत्रांक 2005 दिनांक 05/8/2024

सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।


महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी


 उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
 गज परियोजना, जमशेदपुर।



0/5

-121-

1129

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको
सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई
के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कंडिका 4 (6) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / भू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	चेलियामा	592	2230	पक्का मकान	चैतन सबर	21.08.2024
2	चेलियामा	329	2280	पक्का मकान	पुनकित सिंह	21.08.2024
3	चेलियामा	259	2171	पक्का मकान	दिनबन्धु सिंह	21.08.2024
4	चेलियामा	389	2217	पक्का मकान	हराधन सिंह	21.08.2024
5	चेलियामा	216	2318	पक्का मकान	लालमोहन सिंह	21.08.2024
6	चेलियामा	38	2324	पक्का मकान	अजय सिंह	21.08.2024
7	चेलियामा	362	2323	पक्का मकान	श्रावण सिंह	21.08.2024
8	चेलियामा	351	2419	पक्का मकान	हिरालाल	21.08.2024
9	चेलियामा	22	2534	पक्का मकान	सुकदेव सिंह	21.08.2024
10	चेलियामा	22	2534	पक्का मकान	शंकर सिंह	21.08.2024
11	चेलियामा	85	1537	पक्का मकान	मंगल सिंह	21.08.2024
12	चेलियामा	515	2536	पक्का मकान	विश्वनाथ सिंह	21.08.2024
13	चेलियामा	31	2540	पक्का मकान	देवीलाल सिंह	21.08.2024
14	चेलियामा	227	2520	पक्का मकान	बुधु सिंह	21.08.2024
15	चेलियामा	95	2511	पक्का मकान	जलेश्वरी सिंह	21.08.2024
16	चेलियामा	76	2541	पक्का मकान	सैनात सिंह	21.08.2024
17	चेलियामा	333	2542	पक्का मकान	अमला सिंह	21.08.2024
18	चेलियामा	470	2544	पक्का मकान	कोकिल सिंह	21.08.2024

-128-

1120

19	चेलियामा	333	2506	पक्का मकान	विशान सिंह	21.08.2024
20	चेलियामा	333	2546	पक्का मकान	माथुर सिंह	21.08.2024
21	चेलियामा	116	2275	पक्का मकान	वकील महतो	21.08.2024
22	चेलियामा	246	1402	पक्का मकान	झुंडु भूमिज	21.08.2024
23	चेलियामा	246	1403	पक्का मकान	झुंडु भूमिज	21.08.2024
24	चेलियामा	272	1406	पक्का मकान	नकुल बागति	21.08.2024
25	चेलियामा	271	1407	पक्का मकान	नकुल बागति	21.08.2024
26	चेलियामा	48	1413	पक्का मकान	अहलादी भूमिज	21.08.2024
27	चेलियामा	48	1414	पक्का मकान	अहलादी भूमिज	21.08.2024
28	चेलियामा	151	2445	पक्का मकान	गोपाल गोराई	21.08.2024
29	चेलियामा	151	2485	पक्का मकान	गोपाल गोराई	21.08.2024
30	चेलियामा	389	2217	पक्का मकान	हराधन सिंह	21.08.2024
31	चेलियामा	216	2318	पक्का मकान	लालमोहन सिंह	21.08.2024
32	चेलियामा	22	2534	पक्का मकान	सुकदेव सिंह	21.08.2024
33	चेलियामा	22	2534	पक्का मकान	शंकर सिंह	21.08.2024
34	चेलियामा	87	2398	पक्का मकान	मंगल मांझी	21.08.2024
35	चेलियामा	352	2529	पक्का मकान	दलगोविन्द सिंह	21.08.2024
36	चेलियामा	494	2357	पक्का मकान	विरेन सिंह	21.08.2024
37	चेलियामा	333	2547	पक्का मकान	शंकु सिंह	21.08.2024
38	चेलियामा	333	2547	पक्का मकान	मोडे सिंह	21.08.2024
39	लुपुगंडीह	288	1357	पक्का मकान	शेखर सिंह	21.08.2024
40	लुपुगंडीह	265	1361	पक्का मकान	लखिन्द्र सिंह	21.08.2024
41	लुपुगंडीह		1566	पक्का मकान	अर्जन सिंह, अरुण सिंह, गुरुपद सिंह	21.08.2024
42	लुपुगंडीह	268	1565	पक्का मकान	मण्जुझ सिंह	21.08.2024
43	लुपुगंडीह	116	1380	पक्का मकान	पूर्ण सिंह	21.08.2024
44	लुपुगंडीह	116	1384	पक्का मकान	तिलोचाद सिंह	21.08.2024
45	लुपुगंडीह	116	1380	पक्का मकान	कैलास सिंह	21.08.2024
46	लुपुगंडीह	171	1550	पक्का मकान	बैधनाथ सिंह	21.08.2024
47	लुपुगंडीह	297	1754	पक्का मकान	हेमलता गोप	21.08.2024
48	लुपुगंडीह	297	1754	पक्का मकान	उमनु गोप	21.08.2024
49	लुपुगंडीह	297	1754	पक्का मकान	गुरुपद गोप	21.08.2024
50	लुपुगंडीह	297	1754	पक्का मकान	अरुन सिंह	21.08.2024
51	लुपुगंडीह	297	1754	पक्का मकान	प्रभावती सिंह	21.08.2024
52	लुपुगंडीह	297	1754	पक्का मकान	गुरुपद सिंह	21.08.2024
53	लुपुगंडीह	127	1604	पक्का मकान	घुतुराम सिंह	21.08.2024
54	लुपुगंडीह	127	1604	पक्का मकान	रामकिष्टो सिंह	21.08.2024

-129-

129

55	पितकी	82	501	पक्का मकान	सुचांद सिंह	21.08.2024
56	पितकी	82	501	पक्का मकान	लखन सिंह	21.08.2024
57	पितकी	58	525	पक्का मकान	बिनोद महतो, आनन्द महतो	21.08.2024
58	पितकी	177	491	पक्का मकान	गुरुपद सिंह	21.08.2024
59	पितकी	129	527	पक्का मकान	शिवचरण सिंह सरदार, कुन्ती सिंह सरदार	21.08.2024
60	पितकी	32	532	पक्का मकान	रोहिन सिंह	21.08.2024
61	पितकी	110	560	पक्का मकान	चमन सिंह	21.08.2024
62	पितकी	142	550	पक्का मकान	केशव सिंह	21.08.2024
63	पितकी	96	448	पक्का मकान	विक्रम सिंह	21.08.2024
64	पितकी	174	543	पक्का मकान	हरि सिंह	21.08.2024
65	पितकी	78	66	पक्का मकान	कदम सिंह	21.08.2024
66	पितकी	78	172	पक्का मकान	बुधनी सिंह	21.08.2024
67	पितकी	131	135	पक्का मकान	अंगद सिंह	21.08.2024
68	पितकी	123	106	पक्का मकान	जयपाल गोप	21.08.2024
69	पितकी	161	107	पक्का मकान	हराधन सिंह	21.08.2024
70	पितकी	15	145	पक्का मकान	कैलाश गोप, जवाहर लाल गोप	21.08.2024
71	पितकी	15	148	पक्का मकान	किशोरी देवी	21.08.2024
72	पितकी	127	147	पक्का मकान	लिलु गोप	21.08.2024
73	पितकी	15	149	पक्का मकान	विलास गोप	21.08.2024
74	पितकी	62	159	पक्का मकान	ठाकुरमनी देवी	21.08.2024
75	पितकी	26	163	पक्का मकान	विराज सिंह	21.08.2024
76	पितकी	131	165	पक्का मकान	समर सिंह	21.08.2024
77	पितकी	114	174	पक्का मकान	लखन सिंह	21.08.2024
78	पितकी	92	180	पक्का मकान	दल गोबिन्द सिंह	21.08.2024
79	पितकी	94	182	पक्का मकान	कलिया कुण्डू	21.08.2024
80	पितकी	88	190	पक्का मकान	खोड़ सिंह	21.08.2024
81	पितकी	88	192	पक्का मकान	तिलोचना सिंह	21.08.2024
82	पितकी	28	196	पक्का मकान	गोपाल सिंह	21.08.2024
83	पितकी	116	200	पक्का मकान	लक्ष्मी गोप	21.08.2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर

श्री

कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdjsr@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 2004 दिनांक 05/8/2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०स०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

05/8/24 05/08/24

Hard Copy & Soft Copy क्षेपण शिवालय;

st of construction in ESZ)Forwarding ESZ Second Notice to press.doc

o/c

-151-

137

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको
सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई
के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 के कंडिका 4 (6) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

SI No	Village	Khata No.	Plot No	Structure Details	दखलकर्ता / भू-स्वामी का नाम	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	आसनवनी	-	2489	Portable Cabin	Sivendra Singh	20.08.2024
2	गेरुवा	-	-	उद्योग इकाई	श्री बालाजी स्टील उद्योग	20.08.2024
3	कान्दरबेड़ा	-	618	Floor Mill	S.M Enterprises, Rahul Agarwal	20.08.2024
4	कान्दरबेड़ा	5	34, 35	पक्का मकान	अरुण कुमार दौ	20.08.2024
5	कान्दरबेड़ा	5	37	पक्का मकान	आनन्द कुमार दौ	20.08.2024
6	कान्दरबेड़ा	5	37	राशन दुकान	अमिताभ कुमार दौ	20.08.2024
7	कान्दरबेड़ा	45	39	पक्का मकान	झोला मांझी	20.08.2024
8	कान्दरबेड़ा	45	39	क्लब घर	झोला मांझी	20.08.2024
9	कान्दरबेड़ा	45	106	3 पक्का मकान	झोला मांझी	20.08.2024
10	कान्दरबेड़ा	25	106	पक्का मकान	कुशु मांझी	20.08.2024
11	कान्दरबेड़ा	44	170	पक्का मकान	झोला मांझी	20.08.2024
12	कान्दरबेड़ा	41	83, 84	बाउन्ड्री	जगन मांझी	20.08.2024
13	कान्दरबेड़ा	54	39	पक्का मकान	जुइया मांझी	20.08.2024
14	कान्दरबेड़ा	5	38, 35	पक्का मकान	आनन्द कुमार दौ	20.08.2024
15	कान्दरबेड़ा	54	55	पक्का मकान	फलार मांझी	20.08.2024
16	कान्दरबेड़ा	54	159	पक्का मकान	फलार मांझी	20.08.2024
17	कान्दरबेड़ा	5	89	पक्का मकान	फलार मांझी	20.08.2024

-122-

1194

18	कान्दरवेड़ा	5	52	पक्का मकान	आनन्द कुमार दौं	20.08.2024
19	कान्दरवेड़ा	5	53, 54	बाउन्ड्री	आनन्द कुमार दौं	20.08.2024
20	कान्दरवेड़ा	46	520	टीना शेड	धीरेन नाथ भट्टाचार्य	20.08.2024
21	कान्दरवेड़ा	68	506	टीना शेड	रामधारी सिंह	20.08.2024
22	कान्दरवेड़ा	10	564	पक्का मकान	कमला सिन्हा	20.08.2024
23	कान्दरवेड़ा	10	564	पक्का मकान	कमला सिन्हा	20.08.2024
24	कान्दरवेड़ा	32	613	टीना शेड	गोपीनाथ भूमिज	20.08.2024
25	कान्दरवेड़ा	71	614	पक्का मकान	गोपीनाथ भूमिज	20.08.2024
26	कान्दरवेड़ा	71	617	टीना शेड, पक्का मकान	राम सिंह	20.08.2024
27	कान्दरवेड़ा	98	266	बाउन्ड्री	सुरेन्द्र नाथ सिन्हा	20.08.2024
28	कान्दरवेड़ा	106	264	स्कूल	सुरेन्द्र नाथ सिन्हा	20.08.2024
29	कान्दरवेड़ा	27	258	पक्का मकान	गुही राम सरदार	20.08.2024
30	कान्दरवेड़ा	10	564	पक्का मकान	कमला सिन्हा	20.08.2024
31	कान्दरवेड़ा	4	259	पक्का मकान	अजय चन्द्र नन्दी	20.08.2024
32	कान्दरवेड़ा	85	91	कम्पनी	शक्तिपद दे	20.08.2024
33	कान्दरवेड़ा	54	166	कला केन्द्र	फलारी मांझी	20.08.2024
34	कान्दरवेड़ा	54	159	Tent Garage	फलारी मांझी	20.08.2024
35	कान्दरवेड़ा	54	159	पक्का मकान	फलारी मांझी	20.08.2024
36	कान्दरवेड़ा	54	158	पक्का मकान	फलारी मांझी	20.08.2024
37	कान्दरवेड़ा	25	160	पक्का मकान	कुशु मांझी	20.08.2024
38	कान्दरवेड़ा	33	196	पक्का मकान	घसिया मांझी	20.08.2024
39	कान्दरवेड़ा	14	894	पक्का मकान	कान्तु महतो	20.08.2024
40	कान्दरवेड़ा	5	151	पक्का मकान	आनन्द कुमार दौं	20.08.2024
41	कान्दरवेड़ा	5	211	पक्का मकान	सनत कुमार दौं	20.08.2024
42	कान्दरवेड़ा	5	166	Tower - 2	सनत कुमार दौं	20.08.2024
43	कान्दरवेड़ा	41	156	टैक्टर गैरेज	जगन मांझी	20.08.2024
44	कान्दरवेड़ा	104	552	कम्पनी	दुसु देवी	20.08.2024
45	कान्दरवेड़ा	10	551	बाउन्ड्री	कमला सिन्हा	20.08.2024
46	कान्दरवेड़ा	10	541	टीना शेड	कमला सिन्हा	20.08.2024
47	कान्दरवेड़ा	10	531	मकान	कमला सिन्हा	20.08.2024
48	कान्दरवेड़ा	10	530	बाउन्ड्री	कमला सिन्हा	20.08.2024
49	कान्दरवेड़ा	10	534	बाउन्ड्री	कमला सिन्हा	20.08.2024
50	कान्दरवेड़ा	10	535	बाउन्ड्री	कमला सिन्हा	20.08.2024
51	कान्दरवेड़ा	97	527	बाउन्ड्री	हिमान्सु नारायण दे	20.08.2024

- 123 -

118

52	कान्दरबेड़ा	46	499	टीना शेड	धीरेन नाथ भट्टाचार्य	20.08.2024
53	कान्दरबेड़ा	9	618	आटा मिल	कनक लता दे	20.08.2024
54	कान्दरबेड़ा	9	618	पक्का मकान	कनक लता दे	20.08.2024
55	कान्दरबेड़ा	31	625	मिक्चर प्लांट	गुही राम सरदार	20.08.2024
56	कान्दरबेड़ा	101	276	पक्का मकान	हरीपदो सिंह	20.08.2024
57	कान्दरबेड़ा	71	280	पक्का मकान	हरीपदो सिंह	20.08.2024
58	कान्दरबेड़ा	71	281	पक्का मकान	राम सिंह	20.08.2024
59	कान्दरबेड़ा	71	284	सामुदायिक भवन	राम सिंह	20.08.2024
60	कान्दरबेड़ा	24	427, 428, 430	गोदाम	राम सिंह	20.08.2024
61	कान्दरबेड़ा	24	115	पक्का मकान	कुँवर मांझी	20.08.2024
62	कान्दरबेड़ा	100	200	पक्का मकान	सुर्यमनी भूगियाईन	20.08.2024
63	कान्दरबेड़ा	28	247	पक्का मकान	गुही राम सरदार	20.08.2024
64	कान्दरबेड़ा	22	288	पक्का मकान	कान्दु मांझी	20.08.2024
65	कान्दरबेड़ा	63	286	पक्का मकान	मकरा मांझी	20.08.2024
66	कान्दरबेड़ा	35	384	पक्का मकान	चेतेन महतो	20.08.2024
67	कान्दरबेड़ा	29	387	पक्का मकान	गुही राम सरदार	20.08.2024
68	कान्दरबेड़ा	22	382	होटल	कान्दु मांझी	20.08.2024
69	कान्दरबेड़ा	95	381	स्कूल	कान्दु मांझी	20.08.2024
70	कान्दरबेड़ा	95	343	बाउन्ड्री	सुनिल कु० राय	20.08.2024
71	कान्दरबेड़ा	49	299	पक्का मकान	नारायन मांझी	20.08.2024
72	कान्दरबेड़ा	1	302	पक्का मकान	अकलू महतो	20.08.2024
73	कान्दरबेड़ा	1	303	पक्का मकान	अकलू महतो	20.08.2024
74	कान्दरबेड़ा	75	292	पक्का मकान	शंभू महतो	20.08.2024
75	कान्दरबेड़ा	45	229	पक्का मकान	फुटु मांझी	20.08.2024
76	कान्दरबेड़ा	67	295	पक्का मकान	मनसा महतो	20.08.2024
77	कान्दरबेड़ा	81	218	पक्का मकान	सरकार मांझी	20.08.2024
78	कान्दरबेड़ा	96	148	पक्का मकान	सुनिल कु० राय चौधरी	20.08.2024
79	कान्दरबेड़ा	5	149	पक्का मकान	सनत कुमार दाँ	20.08.2024
80	कान्दरबेड़ा	5	211	पक्का मकान	सुनिल कुमार दाँ	20.08.2024
81	कान्दरबेड़ा	81	215	पक्का मकान	कान्दु मांझी	20.08.2024
82	कान्दरबेड़ा	92	130	पक्का मकान	सरावन मांझी	20.08.2024
83	कान्दरबेड़ा	44	297	पक्का मकान	धुनु मांझी	20.08.2024
84	रामगढ़	72, 21	94, 95	पक्का मकान	वंशी भुमिज	20.08.2024

~~131~~

121

85	रामगढ़	72	97, 102, 103, 104	बाउन्ही	वंशी भुमिज	20.08.2024
86	रामगढ़	61	109	3 पक्का मकान	प्रहलाद चन्द्र दास	20.08.2024
87	रामगढ़	72	111	2 पक्का मकान 1 एस्वेस्टस मकान	वंशी भुमिज	20.08.2024
88	रामगढ़	73	750	बाउन्ही	बद्री नाथ सिंह	20.08.2024
89	रामगढ़	2	125, 126	Truck Garrage	अजय सिंह	20.08.2024
90	रामगढ़	89	153	2 पक्का मकान 4 एस्वेस्टस मकान	वेचन सिंह, पिता - जदुर सिंह	20.08.2024
91	रामगढ़	119	154	बाउन्ही	श्रीकांत सिंह	20.08.2024
92	रामगढ़	133	165	बाउन्ही	राखाल सिंह	20.08.2024

कृष्ण
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर
Sca

-135-

137

कार्यालय-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साई मंदिर के पास,
पो-सोनारी, जमशेदपुर 831011

e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcfjdjrs@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 2247 दिनांक 13.08.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कांडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम:-	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:-	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:-	0657-2233041
ई-मेल संख्या:-	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:-	श्री रामहित महतो
पदनाम:-	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:-	8084107974

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

आपका विश्वासी

[Signature]
13/08/24

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

[Signature]
13/08/24



कार्यालय—उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
 वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आसामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
 पो—सोनारी, जमशेदपुर 831011
 e-mail-dfo-dirpe@gov.in, dcffidjsr@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)
 पत्रांक 2163 दिनांक 16.8.2024



सेवा में,

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय:— पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस से संबंधित सूचना संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय। Soft Copy और Hard Copy में कोई अन्तर नहीं है। उक्त सूचना की Soft Copy, Pen Drive के माध्यम से भेजी जा रही है, विवरणी निम्नवत् है:—

पदनाम:—	शबा आलम अंसारी, भा०व०से०
पदनाम:—	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
दूरभाष संख्या:—	0657-2233041
ई-मेल संख्या:—	dfo-dirpe@gov.in
मैसेन्जर का नाम:—	श्री रामहित महतो
पदनाम:—	आदेशपाल
मोबाईल संख्या:—	8084107974

अनुलग्नक:—यथोक्त ।

आपका विश्वासी

Sham
 उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
 गज परियोजना, जमशेदपुर।

Sham
 16/8/24

OK

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति,
दलमा इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) एवं इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 की कंडिका 4(6) के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई के संबंध में

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान/मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है। दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

Sl No	Village	Ward No	Plot No	Structure Details	सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डिमना	10	19	श्याम डेयरी	22.08.2024
2	डिमना	10	19	AGCS FOOD & SPICES PVT.LTD	22.08.2024
3	डिमना	10	19	माँ मनसा किराना स्टोर	22.08.2024
4	डिमना	10	19	माँ काली मेडिकल	22.08.2024
5	डिमना	10	19	दादा बोदी भोजनालय	22.08.2024
6	डिमना	10	20	Smriti Seva Sadan Hospital	22.08.2024
7	डिमना	10	20	R.V.S. School	22.08.2024
8	डिमना	10	21	Dayal Steel Construction Pvt.Ltd	22.08.2024
9	डिमना	10	29, 21	R.V.S. Academy	22.08.2024
10	डिमना	9	1751, 1752	माँ गौरी गल्स पी0जी0	22.08.2024

2nd time Press notice for first (1)

-142-

11	डिमना	9	1751	जया कलेक्शन	22.08.2024
12	डिमना	10	19	माँ तारा भेजिटेवल	22.08.2024
13	डिमना	10	19	साई स्टोर	22.08.2024
14	डिमना	10	19	आयुष स्टोर	22.08.2024
15	डिमना	9	1309, 1317, 1379	सिद्ध कान्हु स्कूल	22.08.2024
16	डिमना	9	1753, 1755, 1756, 750, 1749, 1757, 1748, 747, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770, 1776, 1771, 1772, 1775	हिल व्यू कोलोनी	22.08.2024
17	डिमना	9	1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1773, 1303, 1304, 1305, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1327, 1328, 1324, 1325, 1320, 1321, 1322, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1377, 1376, 1360, 1359, 5017	रिपिट कॉलोनी	22.08.2024
18	बालीगुमा	10	803	वारतु विहार	22.08.2024
19	बालीगुमा	10	785, 782	सन सिटी आशियाना	22.08.2024
20	बालीगुमा	10	776	इस्पात नगर	22.08.2024
21	बालीगुमा	10	798	जय माँ तारा इस्पात गोडाउन	22.08.2024
22	बालीगुमा	10	798	वृन्दावन होटल	22.08.2024
23	बालीगुमा	10	798	वृन्दावन गैरेज	22.08.2024
24	बालीगुमा	10	799	सीट गैरेज	22.08.2024
25	बालीगुमा	10	798	पंजाब ट्रक एंड कार वॉस सेंटर	22.08.2024
26	बालीगुमा	10	798	दास भोजनालय	22.08.2024
27	बालीगुमा	10	800, 801	आर0सी0 इन्डस्ट्रीज	22.08.2024
28	बालीगुमा	10	798	आर्यन ग्लास पैलेज	22.08.2024
29	बालीगुमा	10	798	अपना रेस्टोरेन्स एन्ड लॉज	22.08.2024
30	बालीगुमा	10	798	सुमन मोटर्स	22.08.2024
31	बालीगुमा	10	797	माँ संतोषी इन्जीनियरिंग वर्कस	22.08.2024
32	बालीगुमा	10	793, 794	भारत पेट्रोलियम	22.08.2024
33	बालीगुमा	10	425, 429, 430	बालीगुमा होटल	22.08.2024
34	बालीगुमा	10	430	नन्दु रोडवेज	22.08.2024
35	बालीगुमा	10	420	सुरज इन्टरप्राइजेज	22.08.2024
36	बालीगुमा	10	418	साईबाबा रोड लाइन	22.08.2024
37	बालीगुमा	10	431	भी0 के0 इन्टरप्राइजेज	22.08.2024
38	बालीगुमा	10	431	श्री सिद्धी विनायक	22.08.2024

2nd time Press notice for first (1)

				ट्रान्सपोर्ट	
39	बालीगुमा	10	422	बालीगुमा राशन दुकान	22.08.2024
40	बालीगुमा	10	424	आर्यन ऑटो इलेक्ट्रीक चर्क	22.08.2024
41	बालीगुमा	10	422	रासान प्वाइन्ट	22.08.2024
42	बालीगुमा	10	773, 775	Rivaah A Boutique Resort	22.08.2024
43	बालीगुमा	10	424	विशाल ऑटो मैकेनिक	22.08.2024
44	बालीगुमा	10	766, 758	Swarna Garden - A Unit of Ranjan Dhaba	22.08.2024
45	पटमदा	-	-	South Point School	22.08.2024
46	पटमदा	-	-	निर्माणाधीन जलमीनार	22.08.2024
47	पटमदा	-	-	अज्ञात भवन	22.08.2024
48	पटमदा	-	-	निर्माणाधीन जलमीनार	22.08.2024
49	पारडीह	8	18, 19	सिटी इन	24.08.2024
50	पारडीह	8	20	एस0 भोजनालय	24.08.2024
51	पारडीह			बाइन शॉप	24.08.2024
52	पारडीह			प्रिती भोजनालय	24.08.2024
53	पारडीह			सृष्टी पाटर्स एन्ड गैरेज	24.08.2024
54	पारडीह	8	23	अपोलो टायर	24.08.2024
55	पारडीह			ममता होटल न्यू बिल्डींग	24.08.2024
56	पारडीह	8	29	के0के0 बिल्डर्स	24.08.2024
57	पारडीह	9	250	इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प	24.08.2024
58	पारडीह	9	250	न्यू बिल्डींग	24.08.2024
59	पारडीह	9	251	सुमन जेन्ट्स ब्यूटी पार्लर	24.08.2024
60	पारडीह	9	251	लक्ष्मी भोजनालय	24.08.2024
61	पारडीह	9	251	सेन मोर्टस	24.08.2024
62	पारडीह	9	251	कृष्णा मोर्टस	24.08.2024
63	पारडीह	9	251	यूनिवर्सल मेडिकल	24.08.2024
64	पारडीह	9	246	Abid Car AC expart	24.08.2024
65	पारडीह	9	205	वाशिंग प्वाइन्ट	24.08.2024

2nd time Press notice for first (1)

-114-

114

66	पारडीह	9	204	एम0एन0 अल्मूनियम वर्कर्स	24.08.2024
67	पारडीह	9	207, 208	उषा मोटर्स	24.08.2024
68	पारडीह	9	200, 201	गुलाम सीट वर्क शॉप	24.08.2024
69	पारडीह	9	200	एस0 के0 जी0 क्लब	24.08.2024
70	पारडीह	9	209, 198	बेलकम स्टील	24.08.2024
71	पारडीह	9	197	भारती भवन	24.08.2024
72	पारडीह	9	197	दादा मिट एन्ड चिकेन शॉप	24.08.2024
73	पारडीह	9	186, 187	माँ उर्मिला होटल	24.08.2024
74	पारडीह	9	188	नालन्दा बैटरी	24.08.2024
75	पारडीह	9	178	इन्डिया कार डेकोरेशन	24.08.2024
76	पारडीह	9	176	शर्मा क्लोथ सेंटर	24.08.2024
77	पारडीह	9	176	माँ मेडिकल	24.08.2024
78	पारडीह	9	176	ईशान ऑटो मोबाईल	24.08.2024
79	पारडीह	9	175	शिव टाईल्स	24.08.2024
80	पारडीह	9	162	S.R.K Steel Traders	24.08.2024
81	पारडीह	9	162	श्री बालाजी मोबाईल	24.08.2024
82	पारडीह	9	162	वाशिंग सेंटर	24.08.2024
83	पारडीह	9	159	A.M.T.M Pvt Ltd	24.08.2024
84	पारडीह	9	120	Old Godown	24.08.2024
85	पारडीह	9	120	Maruti Suzuki Arena	24.08.2024
86	पारडीह	9	119, 123	Shib Kumar ASTHAL APARTMENT	24.08.2024
87	पारडीह	9	87, 115	Maa Durga Body Builder	24.08.2024
88	पारडीह	9	87	Tiles Godown	24.08.2024
89	पारडीह	9	18, 19	Sharda city	24.08.2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर

10/8/24



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 9be3b313ff14c39cbb0b

Receipt Date : 30-Jul-2024 11:07:16 am

Receipt Amount : 100/-

Amount In Words : One Hundred Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : EastSinghbhum

Stamp Duty Paid By : XLRI LEADERSHIP EDUCATION AND DEVELOPMENT XLEAD


Purpose of stamp duty paid : AGREEMENT

First Party Name : XLRI LEADERSHIP EDUCATION AND DEVELOPMENT XLEAD

Second Party Name : DEPARTMENT OF FOREST ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE GOVERNMENT OF JHARKHAND

GRN Number : 2403418301

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899.

का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी समीकृत का दस्तावेज का प्रमाण हेतु प्रयोग करना प्रायः भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद-62 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

- 146 -

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

XLRI Jamshedpur was invited to submit an Expression of Interest (EoI) to prepare the Zonal Master Plan for Dalma Eco-Sensitive Zone (ESZ) by the Chief Conservator of Forests, Wildlife, Jharkhand, Ranchi vide letter No. 48, dated January 11, 2021 (Annexure I).

In response, Fr. Arrupe Centre for Ecology & Sustainability, XLRI Jamshedpur had submitted its EoI to undertake the study vide letter dated March 15, 2021. Detailed technical and financial proposals were submitted along with the EoI (Annexure II).

Subsequently, the Jharkhand State Cabinet in a meeting held on February 24, 2022, had decided to award the responsibility of preparing the Zonal Master Plan for Dalma Eco-Sensitive Zone to XLRI Jamshedpur. The State Cabinet also approved a budget of Rs.45,00,000/- plus GST (Rupees Forty-Five Lakhs, plus GST) for the project vide Letter No.6/Wildlife-24/2021-863, Ranchi, dated March 03, 2022 (Annexure III).

Further, vide letter No.1500, dated October 10, 2023, it is desired that a Memorandum of Understanding between XLRI Jamshedpur and Deputy Conservator of Forests & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur be signed to operationalize the project (Annexure IV).

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is made on the 2nd of August 2024 BY AND BETWEEN the XLRI Leadership Education and Development (XLEAD), a Trust promoted and managed by XLRI having its registered office at XLRI Campus, C. H. Area (East) Jamshedpur- 831001 Jharkhand (Which expression unless excluded by or repugnant to the subject shall mean and include its successor-in- office and permitted assignees) as the **FIRST PARTY**

AND

Deputy Conservator of Forests & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur is authorized to enter into this understanding on behalf of Department of Forest, Environment & Climate Change, Government of Jharkhand, Ranchi, hereinafter called "DCF & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur" (Which expression unless excluded by or repugnant to the subject shall mean and include its successor-in-office and permitted



~~14/7~~ 11/19

assignees) as the **SECOND PARTY**.

A. SCOPE OF MOU

- a) The overall objective of the project is to develop a Zonal Master Plan (ZMP) for the ESZ of Dalma wildlife sanctuary. The ZMP will strive to strike a balance between the ecological security of Dalma WLS, and the economic development and social well-being aspirations of the local stakeholders while leading to Sustainable Development in the region.

B. NOW THE PARTIES HERETO AGREE MUTUALLY AS FOLLOWS


1. ROLES/ACTIVITIES


Roles and Responsibilities of XLRI:

- a. XLEAD will prepare the Zonal Master Plan in consultation with all the concerned State Departments including, but not limited to, Environment, Forests and Climate Change, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue, State Ground Water Board, Jharkhand State Pollution Control Board etc.
- b. Further, XLEAD proposes to conduct extensive stakeholder consultation with the villagers in the 136 notified villages in the Dalma Eco-sensitive Zone and industrial units, quarrying and mining etc. with a view to integrate stakeholder concerns into the Zonal Master Plan.

Roles and Responsibilities of the DCF & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur:

- a. Providing access to remote sensing, and GIS facilities that are available with the Jharkhand State Forest Department.
- b. Provide contacts and facilitate meetings with the State ministries/departments and with other local stakeholders.
- c. As the project is of sensitive nature and might face antagonism from some of the stakeholders, ensure full cooperation and support from the Jharkhand Government and Jharkhand Forest Department.
- d. Extend full cooperation, and provide necessary permissions to access all parts of the eco-sensitive zone for the project personnel during the fieldwork phase and in the procurement of topographic sheets, Remote Sensing data etc.
- e. While the DCF & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur shall facilitate the



-148- 

above-mentioned activities or processes, the costs involved therein shall be borne by the First party.

2. RIGHTS AND BENEFITS

XLEAD and DCF & Field Director, Project Elephant, Jamshedpur shall be jointly responsible for the storage, protection and preservation of any data and intellectual content, or property generated as part of the development and delivery of the said project. The data, stakeholder perspectives etc. collected / gathered during the project period will be used for preparation of the Zonal Master Plan. Further, the 1st party will have right to use the data, stakeholder perspectives etc. to publish research articles, case studies, and other academic outputs after obtaining prior approval of the 2nd Party.

3. DURATION

The MOU shall be valid for a period of 2 Years from the date of signing, as per the tentative timelines depicted below:

Activity	Phase I (2 months)	Phase II (6 months)	Phase III (8 months)	Phase IV (4 months)
Initiation of the project				
Hiring of research personnel				
Finalization of data collection protocols, acquisition of Toposheets, RS data				
Field work, primary data collection				
Data collation & Analysis				
Preliminary results & Initiation of stakeholder consultations				
Extensive stakeholder consultations, inter-departmental consultations, filling data gaps, draft report				
Final draft report, final report preparation and presentation				

Either party is free to terminate the agreement by giving two months of notice in advance. In the event of termination of the agreement due to valid reasons, the rights and obligations of the parties shall be settled by mutual discussion.



- 149 - 157

After the initial 2-year period, the MoU may be renewed yearly depending upon the progress of the project, its impact and on terms mutually agreed between the Parties through execution of a renewal agreement.

4. COMMERCIAL TERMS

- a) As per the approval of the state cabinet (Annexure III) XLEAD, XLRI Jamshedpur will be paid Rs 45,00,000/- plus GST to cover the costs involved in the execution of the project.
- b) Under this MOU, the payment schedule is agreed as under:
 - 1) Upon completion of Phase I and submission of a draft progress report by the 1st Party and its approval by the 2nd Party followed by submission of final progress report by the 1st Party: Rs.9,00,000/- + GST
 - 2) Upon completion of Phase II and submission of a draft progress report by the 1st Party and its approval by the 2nd Party followed by submission of final progress report by the 1st Party, but within the financial year 2024-25: Rs.13,50,000/- + GST
 - 3) Upon completion of Phase III and submission of a draft progress report by the 1st Party and its approval by the 2nd Party followed by submission of final progress report by the 1st Party: Rs.18,00,000/- + GST
 - 4) Upon completion of Phase IV, and submission of a draft ZMP report by the 1st Party and its approval by the 2nd Party followed by submission of final ZMP report in seven copies by the 1st Party: Rs. 4,50,000/- + GST

All payments should be made in favour of: XLRI LEADERSHIP EDUCATION AND DEVELOPMENT.

It is understood between the parties that while the 2nd Party is committed to fulfill its obligation to make periodic and timely payments to the 1st party; the 1st party is committed to fulfill its obligation to make progress and submit periodic progress reports.

5. CONFIDENTIALITY

- a) During the tenure of the MOU, both the parties will maintain strict confidentiality and prevent disclosure of any or all the information and data exchanged under the scope of this MOU for any purpose other than in accordance with this MOU.



- 150 -

110

b) Both the parties shall bind their respective personnel who come into possession or knowledge of any confidential information not to disclose the same to third parties without written approval of the disclosing party or use such confidential information for any use other than intended under this MOU except for Forest & Wildlife Management Purposes.

c) Further, both parties shall put in place adequate and reasonable measures to keep and store confidential information secure so as to prevent any unauthorized use.

6. TERMS OF UNDERSTANDING, AMENDMENT, RESOLUTION AND TERMINATION

a) Amendment in terms and conditions can be made. But no amendments or modifications to this MOU shall be valid unless the same is made in writing by both the parties and their authorized representatives and specifically stating the same to be an amendment of this understanding.

b) After this MOU has been signed, all earlier preceding understandings/ negotiations and correspondences pertaining to it shall become null and void.

c) Two signed original copies of this MOU shall be produced with one to reside with each party.

d) Neither parties shall be held responsible for non-fulfillment of their respective obligations under this agreement due to the exigency of one or more of the force majeure events such as acts of natural calamities, war, flood, earthquakes, strike, lockdown, epidemics, riots, civil commotion, stakeholder antagonism, resistance to fieldwork, non-cooperation etc.

7. DISPUTE SETTLEMENT

CCF (Wildlife), Government of Jharkhand, Ranchi will resolve any dispute in a spirit of independence, mutual respect, and shared responsibility and its decision will be binding on both the organizations. CCF (Wildlife), Government of Jharkhand, Ranchi will also act for mediation or arbitration for dispute resolution between the 1st party and 2nd party.

8. GOVERNING LAW

This MOU shall take effect in accordance with the laws of India and subject to the jurisdiction of Court at Jamshedpur or the High Court of Jharkhand.



~~151~~

SEAL OF THE PARTIES

IN WITNESS WHERE OF the parties here to have signed, sealed, and delivered this agreement on this day, month and year written in the presence of:

Signed by

Trustee, XLEAD & Director, XLRI Jamshedpur

(FIRST PARTY)



WITNESSES

1. Sana Esh.....

XLEAD

2. Arjun Singh.....

XLEAD

[Signature]
07/08/24

Signed by

DCF & Field Director, Project Elephant,
Jamshedpur, (Department of Forest,
Environment & Climate Change, Government of
Jharkhand (SECOND PARTY)

WITNESSES

1. Dinesh Chandra, R.P.O. Dalmowest....., Jamshedpur

2. Navin Kumar, Assistant....., Jamshedpur

Chief Conservator of Forests, Wildlife, Jharkhand, Ranchi.

Van Bhawan, Doranda, Ranchi-834002

e-mail : ccf-wildlife@gov.in, Tele Fax No. 0651&2480655

Letter No. : 48

Dated : 11 / 01 / 2021

To,

XLRI – Xavier School of Management
Rivers Meet Road
Circuit House Area
East Jamshedpur-831001
Jharkhand

Sir,

The Dalma Wildlife Sanctuary is one of the most important Protected Areas (PAs) in the state of Jharkhand. It is home to the Asian Elephants, besides, some of the most endangered species like Mouse Deer, Indian Giant Squirrel, Python, Pangolin, Serpent Eagle etc. The sanctuary has a well knit network of both perennial and semi-perennial streams and forms an important catchment for Subarnrekha River and Dimna Lake. Since it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Dalma Wildlife Sanctuary from ecological and environmental point of view, the central government has notified an area upto 5 kms from the boundary of the protected area of Dalma Wildlife Sanctuary in the State of Jharkhand as Eco-sensitive Zone (ESZ) in the year 2012 vide S.O. No. 680 (E) dated 29.03.2012 (Annexure-1).

Pursuant to the above notification, it is desired that a Zonal Master Plan (ZMP) for Dalma Eco-sensitive Zone be prepared in such a manner as are specified under the Wildlife (Protection) Act 1972, the law relating to town & country planning for the time being in force in the state of Jharkhand, the forest divisional working plans and the guidelines issued by the central government from time to time.

Declaration of Eco-sensitive Zone has brought about one of the most significant changes in land use policy of the State as listed activities in ESZ notification respectively fall in 'prohibited', 'regulated' and 'permitted' activities. ZMP would, therefore, concern many departments including, Environment and Forests, Urban Development, Tourism, Rural Development, Water Resources, Energy, Agriculture, Pollution Control Board etc. and shall be a reference document for activities to be carried out within the Eco-sensitive Zone.

In the above context, the Department invites proposal from your organization for preparation of Zonal Master Plan of Dalma Wildlife Sanctuary. The ZMP shall be prepared in consultation with and involvement of various concerned departments under the supervision of the Monitoring Committee headed by the Commissioner of Kolhan Division, Chaibasa. Needless to say that preparation of the plan shall also involve expert inputs from various specialized institutions/ individuals which shall be the responsibility of the project proponent.

- 153 -

153


Your Institute/Organization may like to submit a detailed project proposal for preparation of ZMP along with budgetary requirement and time period of completion for consideration by competent authority. Draft guidelines for preparation of ZMP for ESZ around PAs received by the Department from Wildlife Institute of India, Dehradun is attached here with (Annexure-2). Relevant materials etc. may also be sourced from the Internet. Since no ZMP has been prepared and duly sanctioned by the competent authority, the work shall be one of its kind and may show the path for preparation of other ZMPs with respect to various ESZs notified all across the country.

It may be noted that mere submission of the detailed project proposal may not be deemed as acceptance or otherwise of the proposal and any decision of competent authority in the regard shall be final.

Thanking You,

Encl ; As above

Yours faithfully


11/05/2021
Chief Conservator of Forests
Wildlife, Jharkhand, Ranchi.

~~159~~

H.S.

To
The Chief Conservator of Forests (Wildlife),
Van Bhavan, Doranda,
Ranchi -834002 Jharkhand

March 15, 2021

Dear Sir,

Subject: Proposal for Preparation of "Zonal Master Plan for Dalma Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zone"

Through this letter, XLRI Jamshedpur expresses its interest in preparing the "Zonal Master Plan for Dalma Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zone". A technical and financial proposal for the same is being submitted herewith for your kind perusal and necessary action.

Please let us know if further details or clarifications are required.

Looking forward to hearing from you soon on the way forward.

Yours Sincerely,

(Tata L. Raghu Ram)

XLRI Xavier School of Management Jamshedpur